भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

(सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-x
अध्याय – 1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली		
प्रस्तावना	1.1	1
उत्तरदायित्व की रूपरेखा	1.2 से 1.4	1-2
हरियाणा सरकार की साझेदारी	1.5	3
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	1.6 से 1.7	3-4
वर्ष के दौरान विशेष सहायता तथा रिटर्न	1.8	4-5
वित्त लेखाओं का मिलान	1.9	5-6
लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया	1.10 से 1.12	6-7
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण	1.13	7-8
लेखाओं के अंतिमकरण न करने के प्रभाव	1.14	8
सा.क्षे.उ. के अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार उनका निष्पादन	1.15 से 1.18	8-10
अकार्यरत सा.क्षे.उ. को बन्द करना	1.19 से 1.20	10-11
लेखा टिप्पणियां	1.21 से 1.22	11-12
लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर	1.23	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.24 से 1.26	12-14
सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण	1.27	14
इस प्रतिवेदन का कवरेज	1.28	14
अध्याय – 2 निष्पादन लेखापरीक्षा		
दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार की कार्यप्रणाली	2.1	15-36
कस्टम मिल्ड राइस	2.2	37-56

अध्याय – 3 लेन–देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
अतिरिक्त व्यय	3.1	57-58
लोजिस्टिक एजेंट को अनुचित भुगतान करने के कारण हानि	3.2	58-59
कस्टम डयूटी का अधिक भुगतान	3.3	60-61
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
बीमा दावों के अप्रस्तुतिकरण के कारण हानि	3.4	61-62
राजस्व की हानि	3.5	62-64
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
अतिरिक्त भुगतान	3.6	64-65
ठेका कार्यों के कार्यान्वयन में हानि	3.7	66-68
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		
अतिरिक्त व्यय	3.8	68-70
हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
एक आबंटी को अनुचित लाभ	3.9	70-71
अतिरिक्त व्यय	3.10	71-73
हरियाणा राज्य वन विकास निगम लिमिटेड		
अतिरिक्त व्यय	3.11	73-75
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		
राजस्व की हानि	3.12	75-76
हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड		
अनाधिकृत टोल संग्रहण	3.13	76-77
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड		
मूल गतिविधियों की समीक्षा	3.14	77-81
सांविधिक निगम		
हरियाणा राज्य भण्डारण निगम		
परिहार्य व्यय	3.15	82-83

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1	परिशिष्ट 1	1.11	85
2	परिशिष्ट 2	1.16	86-89
3	परिशिष्ट 3	2.1.6	90
4	परिशिष्ट 4	2.1.7	91
5	परिशिष्ट 5	2.2.6	92
6	परिशिष्ट 6	2.2.7.1	93
7	परिशिष्ट 7	3.14.3	94
संकेताक्षरों की शब्दावली			95-97

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संव्यवहार करता है।

सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों के रूप में मानी गई कंपनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों की पूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणियां देते हैं या उन्हें संपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कंपनियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अध्यधीन हैं।

सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं, जो वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। जहां आवश्यक समझे गए वर्ष 2014-15 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, भी शामिल कर लिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा-मानकों के अनुसार ही लेखापरीक्षा की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, नियमों, डायरेक्टिवज तथा प्रक्रियाओं का पालन न करने, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 4,739.28 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर तथा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार की कार्यप्रणाली' तथा 'कस्टम मिल्ड राईस' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 15 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

हरियाणा राज्य में 25 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (23 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और 5 अकार्यरत कंपनियां थी जिनमें 31,248 कर्मचारी नियुक्त थे। 31 मार्च 2015 को 30 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूंजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 40,984.19 करोड़ था। राज्य सा.क्षे.उ. के कुल निवेश का 99.42 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में था तथा शेष 0.58 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। कुल निवेश में पूंजीगत का 21.27 प्रतिशत तथा दीर्घ अवधि ऋणों का 78.73 प्रतिशत शामिल था। विद्युत क्षेत्र ने कुल निवेश का 91.95 प्रतिशत तक परिगणित किया। राज्य सरकार ने 2014-15 के दौरान 13 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 5,579.23 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.6, 1.7 तथा 1.8)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

25 कार्यरत सा.क्षे.उ. की, उनके नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, समग्र हानियां ₹ 2,632.04 करोड़ रहीं। 25 कार्यरत सा.क्षे.उ. में से 16 सा.क्षे.उ. ने ₹ 981.67 करोड़ का लाभ सूचित किया तथा सात सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,613.71 करोड़ की हानि सूचित की। आगे, राज्य सरकार की लाभांश नीति के अनुसार सभी सा.क्षे.उ. ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई दत्त शेयर-पूंजी पर कम से कम चार प्रतिशत वापसी अदा करनी है। ₹ 981.67 करोड़ का कुल लाभ अर्जित करने वाले 16 सा.क्षे.उ. में से केवल तीन सा.क्षे.उ. ने ₹ 6.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा 13 सा.क्षे.उ. ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया ।

(अनुच्छेद 1.16 तथा 1.18)

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

सितंबर 2015 को 19 कार्यरत सा.क्षे.उ. के 36 लेखे बकाया थे। लेखाओं के अंतिमकरण तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय उचित रूप से परिगणित किए गए हैं तथा वह प्रयोजन जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त किया गया है अथवा नहीं तथा इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा के नियंत्रण से बाहर रहता है।

(अनुच्छेद 1.10 तथा 1.11)

2 सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 'दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार की कार्यप्रणाली' तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड में 'चावल की कस्टम मिलिंग' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार की कार्यप्रणाली

डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. का परिचालन निष्पादन हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा नियत मानकों की तुलना में त्रुटिपूर्ण था। प्लांट लोड फैक्टर की अनुपलब्धि और ₹ 186.02 करोड़ के अधिक द्वितीयक ईंधन तेल के उपभोग और सहायक विद्युत-उपभोग के कारण 2010-15 के दौरान ₹ 1,508.64 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1, 2.1.7.2 और 2.1.7.3)

कंपनी ने अपूर्ण कार्यों की लागत की वसूली न करके और अदेय भुगतान करके ठेकेदार को ₹ 229.32 करोड़ का अदेय लाभ दिया।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

2010-15 के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. में हुए 26824:46 घंटों की 134 कटौतियों के परिणामस्वरूप ₹ 6,840.12 एम.यूज की उत्पादन हानि हुई तथा समयपूर्व ओवरहालिंग के परिणामत: ₹ 11.05 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.2)

आर.जी.टी.पी.पी. में अभियांत्रिकी, खरीद तथा निर्माण (ई.पी.सी.) ठेकेदार को अदेय लाभ दिया गया क्योंकि लंबित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से पहले ही इकाइयों को अस्थाई रूप से अधिकार में ले लिया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.8.4)

कंपनी ने लोडिंग और अनलोडिंग बिंदुओं पर ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जी.सी.वी.) में विविधता के कारण कोयले की खरीद पर ₹ 567.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.1.9.1)

कंपनी ने श्रेणी में गिरावट, स्टोन दावे, अंडर लोडिंग दावे और कम उठान पर जुर्माने के तौर पर ₹ 48.49 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.1.9.2, 2.1.9.3, 2.1.9.4 तथा 2.1.9.8)

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) में 'चावल की कस्टम मिलिंग'

एच.ए.आई.सी. ने 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमश: 75 तथा 47 प्रतिशत मामलों में मापदण्डों के अनुसार मिलर्ज को धान आबंटित नहीं किया। इसी प्रकार, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने भी 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमश: 29 तथा 14 प्रतिशत मामलों में मापदण्डों के अनुसार मिलर्ज को धान आबंटित नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.6)

खरीफ मार्केटिंग सीजन (के.एम.एस.) 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान, 19 मिलर्ज जिन्हें 8.45 लाख क्विंटल धान आबंटित किया गया था, उनके द्वारा 1.64 लाख क्विंटल चावल डिलीवर नहीं किया गया तथा उनसे 30 सितंबर 2015 तक ₹ 52.06 करोड़ वसूलनीय थे।

(अनुच्छेद 2.2.7.1)

एफ.सी.आई. ने 2010-13 की अवधि के लिए ₹ 8.24 करोड़ के किए गए दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की क्योंकि खरीद एजेंसियां (पी.एज) अभिरक्षा तथा रख-रखाव प्रभारों पर किए गए व्यय के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकीं।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

धान की मिलिंग में देरी के कारण ₹ 0.93 करोड़ तथा एफ.सी.आई. को इस आशय के प्रमाण-पत्र कि ड्राईएज की राशि मिलर्ज को पी.एज द्वारा वास्तव में भुगतान कर दी गई थी, के प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण पी.एज ने ₹ 0.63 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.2.7.3 तथा 2.2.8.7)

पी.एज में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी तथा उनके परिचालनों के आकार के अनुरूप नहीं थी। पी.एज के पास प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों का वर्णन करने के लिए कोई अकाउंटस मैनुअल नहीं था। एच.ए.आई.सी. ने राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में मिलर्ज के पास संयुक्त अभिरक्षा में रखे हुए चावल तथा धान के स्टाक का अनिवार्य भौतिक सत्यापन नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.10.1)

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

प्रतिवेदन में शामिल लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार की कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के प्रबंधन में हुई त्रुटियों को रेखांकित करती हैं, जिनमें गंभीर वित्तीय इंपलीकेशनस थी। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

- कंपनी ने 21,631.43 मीट्रिक टन आयातित कोयलों पर जो प्राप्त नहीं हुआ था, रेलवे भाड़ा, कस्टम डयूटी, स्टांप डयूटी तथा पोर्ट चार्जिज के प्रति ₹ 4.71 करोड़ का भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.2)

- कंपनी ने आयातित कोयला पर, जो गारंटिड विशिष्टताओं से कमतर थी, एक फर्म को ₹ 2.10 करोड़ की अधिक कस्टम डयूटी भुगतान की।

(अनुच्छेद 3.3)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- शुल्क दर आदेशों के अननुरूप श्रेणियों के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति के कारण कंपनी ₹ 2.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।

(अनुच्छेद 3.5)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- अनलोडिंग के समय सकल कैलोरिफिक मूल्य (जी.सी.वी.) की तुलना में खपत के समय आयातित कोयले के जी.सी.वी. में ह्रास के कारण **हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र** ने ₹ 75.39 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.6)

- डिस्कोम्ज ने अनुबंध की अनियमित निरस्तगी और ठेकेदारों को अधिक भुगतान के कारण ₹ 33.51 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.7)

हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

- कंपनी ने विस्तारण फीस पर ब्याज प्रभारण न करके एक आबंटी को ₹ 1.89 करोड़ का अनुचित लाभ अनुमत किया।

(अनुच्छेद 3.9)

- उद्धृत कीमत की अस्वीकृति के प्रावधान के परिणामस्वरूप बोली प्रक्रिया में विषमता आई जिसके कारण ₹ 1.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.10)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

कंपनी ने गेहूं स्टाक के अवैज्ञानिक और अनुपयुक्त परिरक्षण के कारण ₹ 7.89 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.12)

हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

कंपनी ने पांच राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित होने के बावजूद हरियाणा मैकेनिकल वाहन (टोल-उद्ग्रहण), अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 29.31 करोड़ के टोल लगाना और एकत्र करना जारी रखा।

(अनुच्छेद 3.13)

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड

कंपनी ने वर्ष 2012-13 से अपनी मूल गतिविधियों में परिचालनात्मक हानियां उठानी शुरू कर दी तथा इसने 2014-15 में उच्च खाद्य तथा ईंधन लागत, उच्च मानवशक्ति लागत, नवीन मार्केटिंग योजना की कमी तथा अपने कॉम्पलैक्सों पर सेवाओं की निम्न गुणवत्ता के कारण ₹ 5.44 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.14)

अध्याय 1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

1.1 राज्य सरकार की कंपनियों एवं सांविधिक निगमों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) बनते हैं। 31 मार्च 2015 को हरियाणा में 30 सा.क्षे.उ. थे। इनमें से एक निगम[1] बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बी.एस.ई.) में सूचीबद्ध था। वर्ष 2014-15 के दौरान दो सरकारी कंपनियां[2] आरंभ की गई थी जबकि कोई सा.क्षे.उ. बंद नहीं किया गया। 31 मार्च 2015 को हरियाणा में राज्य सा.क्षे.उ. के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.1: 31 मार्च 2015 को सा.क्षे.उ. की कुल संख्या

सा.क्षे.उ. की श्रेणी	कार्यरत सा.क्षे.उ.	अकार्यरत सा.क्षे.उ.[3]	कुल
सरकारी कंपनियां[4]	23	5	28
सांविधिक निगम	2	शून्य	2
कुल	**25**	5	**30**

सितंबर 2015 को कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 36,608.23 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर 2014-15 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 8.41 प्रतिशत के बराबर था। सितंबर 2015 को कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 2,632.04 करोड़ की कुल हानि उठाई। मार्च 2015 की समाप्ति पर उनके पास 31,248 कर्मचारी थे।

31 मार्च 2015 को पांच[5] अकार्यरत सा.क्षे.उ. थे। इनमें से चार सा.क्षे.उ. गत पांच से 16 वर्षों से विद्यमान हैं तथा ₹ 236.81 करोड़ के निवेश वाले हैं। यह स्थिति सोचनीय है क्योंकि अकार्यरत सा.क्षे.उ. में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं करता।

उत्तरदायित्व की रूपरेखा

1.2 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 के संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा

1 हरियाणा वित्तीय निगम।

2 एच.ए.आर.यू.पी. कोल कारपोरेशन लिमिटेड तथा हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कारपोरेशन लिमिटेड।

3 अकार्यरत सा.क्षे.उ. वे हैं जिन्होंने अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।

4 सरकारी सा.क्षे.उ. में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) में संदर्भित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

5 एक कंपनी अर्थात् हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड ने मार्च 2015 में अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।

आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से रखी जाती है तथा इसमें वो कंपनी भी शामिल होती है जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। पुन:, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार नि.म.ले.प., धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अंतर्गत आवृत्त किसी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझते हैं, तो ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा करने के लिए आदेश दे सकते हैं तथा ऐसी नमूना-लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तथा केंद्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से स्वामित्वप्राप्त या नियंत्रित सरकारी कंपनी अथवा कोई अन्य कंपनी नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं। 31 मार्च 2014 को या उससे पहले आरंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 139(5) अथवा (7) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत कंपनी की वित्तीय विवरणियां शामिल होंगी। ये वित्तीय विवरणियां अधिनियम की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) तथा हरियाणा वित्तीय निगम (एच.एफ.सी.) से संबंधित लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों तथा पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है।

सरकार तथा विधान-मंडल की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सा.क्षे.उ. के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी तथा निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधान-मंडल, सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश का लेखांकन तथा उपयोग भी मॉनीटर करता है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 के अंतर्गत अथवा संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार राज्य सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

हरियाणा सरकार की साझेदारी

1.5 इन सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार की भारी वित्तीय साझेदारी है। यह साझेदारी मुख्यत: तीन प्रकार की है:

- **शेयर पूंजी तथा ऋण**- शेयर पूंजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार समय-समय पर सा.क्षे.उ. को ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

- **विशेष वित्तीय सहायता**- जब कभी अपेक्षित होता है तो राज्य सरकार इन सा.क्षे.उ. को अनुदानों एवं परिदानों के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।

- **गारंटियां**- राज्य सरकार, वित्तीय संस्थाओं से सा.क्षे.उ. द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों के ब्याज सहित पुनर्भुगतान हेतु गारंटियां भी देती है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.6 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 30 सा.क्षे.उ. में 31 मार्च 2015 को निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 40,984.19 करोड़ था।

तालिका 1.2: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

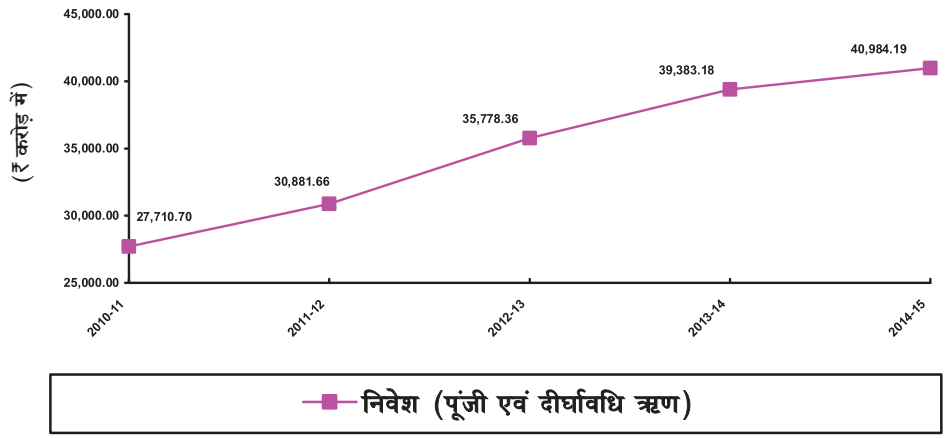
सा.क्षे.उ. की श्रेणी	सरकारी कंपनियां			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
कार्यरत सा.क्षे.उ.	8,487.70	32,020.41	40,508.11	213.50	25.76	239.26	40,747.37
अकार्यरत सा.क्षे.उ.	17.99	218.83	236.82	-	-	-	236.82
कुल	**8,505.69**	**32,239.24**	**40,744.93**	**213.50**	**25.76**	**239.26**	**40,984.19**

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना।

31 मार्च 2015 को राज्य सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 99.42 *प्रतिशत* कार्यरत सा.क्षे.उ. में तथा शेष 0.58 *प्रतिशत* अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। यह कुल निवेश, 21.27 *प्रतिशत* पूंजी एवं 78.73 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों से बना था। निवेश 2010-11 में ₹ 27,710.70 करोड़ से 47.90 *प्रतिशत* बढ़कर 2014-15 में ₹ 40,984.19 करोड़ हो गया था

जैसाकि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।

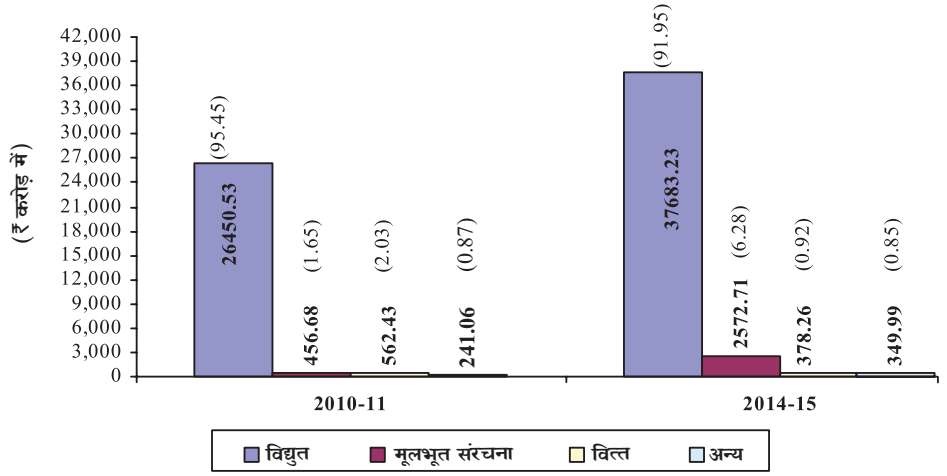
चार्ट 1.1: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश



1.7 चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा 31 मार्च 2011 एवं 31 मार्च 2015 की समाप्ति पर उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में इंगित की गई है।

चार्ट 1.2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

(कोष्ठकों में आंकड़े, कुल निवेश में क्षेत्रीय निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं)



यद्यपि विद्युत क्षेत्र में निवेश 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 26,450.53 करोड़ से ₹ 37,683.23 करोड़ तक बढ़ गया था किंतु संपूर्ण निवेश में इसका भाग, प्रतिशतता में 95.45 प्रतिशत से 91.95 प्रतिशत तक अल्प मात्रा में घटा। मूलभूत संरचना तथा अन्य क्षेत्रों में भी निवेश 2010-11 से 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 456.68 करोड़ से ₹ 2,572.71 करोड़ तथा ₹ 241.06 करोड़ से ₹ 349.99 करोड़ तक बढ़ गया किंतु इसी अवधि के दौरान वित्त क्षेत्र में निवेश ₹ 562.43 करोड़ से ₹ 378.26 करोड़ तक घट गया।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता तथा रिटर्न

1.8 राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में सा.क्षे.उ. को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/परिदानों, ऋणों के बट्टे

खाते में डालने एवं ब्याज माफी के लिए बजटीय बहिर्गमन का 2014 – 15 को समाप्त तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 1.3: सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012 – 13		2013 – 14		2014 – 15	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
1	बजट से इक्विटी पूंजी बहिर्गमन	7	199.65	6	102.92	7	68.22
2	बजट से दिए गए ऋण	शून्य	शून्य	1	6.48	2	153.25
3	बजट से अनुदान/परिदान	10	10,319.97	11	10,639.10	9	5,357.76
4	**कुल बहिर्गमन (1+2+3)**	**13**	**10,519.62**	**13**	**10,748.50**	**13**	**5,579.23**
5	ऋणों एवं ब्याज की माफी	–	–	–	–	1	81.24
6	जारी गारंटिया	5	15,908.95	5	10,425.04	6	3,966.62
7	गारंटी वचनबद्धता	9	17,111.18	9	25,074.45	8	28,746.85

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना।

राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए बजटीय बहिर्गमन 2010 – 11 के दौरान ₹ 6,847.58 करोड़ से 18.52 प्रतिशत घटकर 2014 – 15 के दौरान ₹ 5,579.23 करोड़ हो गया।

सा.क्षे.उ. को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन गारंटी देती है जिसके लिए गारंटी फीस प्रभारित की जा रही है। ऋणदाताओं के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यह फीस 0.125 प्रतिशत से दो प्रतिशत तक हो सकती है। गारंटी वचनबद्धता 2012 – 13 में ₹ 17,111.18 करोड़ से बढ़कर 2014 – 15 के दौरान ₹ 28,746.85 करोड़ हो गई। पुनः, चार सा.क्षे.उ. ने 2014 – 15 के दौरान ₹ 4.59 करोड़ की राशि की गारंटी फीस का भुगतान किया। तीन सा.क्षे.उ. ने वर्ष के दौरान गारंटी फीस का भुगतान नहीं किया तथा 31 मार्च 2015 को उनके विरूद्ध ₹ 8.55 करोड़ की संचित[6]/बकाया गारंटी फीस थी।

वित्त लेखाओं का मिलान

1.9 राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2015 को इस

[6] हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (₹ 5.23 करोड़), हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 3.23 करोड़) तथा हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (₹ 0.09 करोड़)।

विषय में स्थिति नीचे बताई गई है।

तालिका 1.4: वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी, ऋणों, बकाया गारंटियों की राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों से तुलना

(₹ करोड़ में)

से संबंधित बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	7,094.77	7,532.31	437.54
ऋण	1,222.55	1,438.28	215.73
गारंटियां	28,752.45	28,746.85	5.60

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ये अन्तर, 14 सा.क्षे.उ. के संबंध में थे तथा कुछ अंतर 2004-05 से मिलान हेतु लंबित थे। इक्विटी तथा ऋणों के आंकड़ों में अंतर सरकार द्वारा अथवा कंपनियों द्वारा उनके लेखाओं में आंकड़ों के गलत वर्गीकरण के कारण थे। बकाया गारंटियों के आंकड़ों में यह अंतर वित्त लेखाओं को तैयार करने के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को सरकारी खजानों द्वारा तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को सा.क्षे.उ. द्वारा भेजे गए अलग-अलग आंकड़ों के कारण थे। राज्य सरकार तथा संबंधित सा.क्षे.उ. को अंतरों का जल्दी मिलान करने बारे पत्र/अनुस्मारक जारी किए गए हैं। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने भी मुख्य सचिव के साथ यह मामला उठाया (अक्तूबर 2015) परंतु इसमें बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। सरकार तथा सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों के मिलान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

1.10 अधिनियम की धारा 96 (1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनियों की प्रत्येक वर्ष की वित्तीय विवरणियां संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर अर्थात् सितंबर के अंत तक अंतिमकृत की जानी अपेक्षित हैं। ऐसा करने में विफलता अधिनियम की धारा-99 के अंतर्गत दंड प्रावधान आकृष्ट करती है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखे उनके संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिमकृत, लेखापरीक्षित एवं विधानसभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

निम्न तालिका 30 सितंबर 2015 को लेखाओं की स्थिति प्रदान करती है।

तालिका 1.5: कार्यरत सा.क्षे.उ. के लेखाओं के अन्तिमकरण से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	22	22	24	24	25[7]
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमकृत लेखाओं की संख्या	23	22	18	23	22
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	29	29	34	35	36
4.	कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया हैं, की संख्या	17	17	19	19	19
5.	बकाया-अवधि (संख्या वर्षों में)	1 से 5	1 से 4	1 से 4	1 से 4	1 से 5

[7] दो सा.क्षे.उ., एच.ए.आर.यू.पी. कोल कारपोरेशन लिमिटेड तथा हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कारपोरेशन लिमिटेड, की पहली वार्षिक आम बैठक 31 दिसंबर 2015 को देय है तथा इसके लेखे बकायों में शामिल नहीं किए गए हैं।

यह देखा जा सकता है कि बकाया लेखाओं की संख्या 29 (2010-11) से 36 (2014-15) तक बढ़ गई है जिनमें दो सा.क्षे.उ. के बकाया लेखे 2010-11 से संबंधित, चार सा.क्षे.उ. के 2011-12 से संबंधित, पांच सा.क्षे.उ. के 2012-13 से संबंधित, छः सा.क्षे.उ. के 2013-14 से संबंधित तथा 19 सा.क्षे.उ. के 2014-15 से संबंधित हैं। लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब हेतु कंपनियों द्वारा बताए गए मुख्य कारण प्रशिक्षित स्टाफ की कमी तथा प्रबंधन का निरंतर स्थानान्तरण है। प्रशासनिक विभागों के पास इन उपक्रमों की गतिविधियां देखने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा.क्षे.उ. द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाए एवं अपनाया जाए। प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) द्वारा लेखाओं के बकाया की स्थिति अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के संज्ञान में लाई गई (अप्रैल 2015)। लेखाओं के बकाया के कारण 31 मार्च 2015 को इन सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का लेखापरीक्षा में निर्धारण नहीं किया जा सका। लेखाओं के पुराने बकाया को समयबद्ध ढंग से शीघ्र निपटाने का मामला प्र.म.ले. ने प्रधान सचिव, वित्त विभाग के साथ भी उठाया (जुलाई तथा अक्तूबर 2015) किंतु स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

1.11 उन वर्षों के दौरान जिनके लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ है, राज्य सरकार ने 11 सा.क्षे.उ. में ₹ 5,509.04 करोड़ {इक्विटी: ₹ 31.02 करोड़ (सात सा.क्षे.उ.), ऋण: ₹ 37.48 करोड़ (एक सा.क्षे.उ.), अनुदान: ₹ 159.99 करोड़ (पांच सा.क्षे.उ.) तथा सबसिडी: ₹ 5,280.55 करोड़ (पांच सा.क्षे.उ.)} का निवेश किया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 1*** में वर्णित है। लेखाओं के अंतिमकरण तथा उनके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किए गए निवेश तथा व्यय उचित रूप से लेखाओं में लिए गए हैं या नहीं तथा वह उद्देश्य प्राप्त किया गया है या नहीं जिसके लिए राशि निवेश की गई थी और इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा नियंत्रण से बाहर रहा।

1.12 उपर्युक्त के अतिरिक्त 30 सितंबर 2015 को अकार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा भी लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया थे। पांच अकार्यरत सा.क्षे.उ. में से दो बंद होने की प्रक्रिया में थे तथा शेष तीन अकार्यरत सा.क्षे.उ.[8] के लेखे एक से दो वर्षों से बकाया थे।

तालिका 1.6: अकार्यरत सा.क्षे.उ. के संबंध में वर्षवार लेखाओं के बकाया से संबंधित स्थिति

अकार्यरत कंपनियों की संख्या	अवधि, जिसके लेखे बकाया में थे	वर्षों की संख्या, जबसे लेखे बकाया में थे
1	2013-14	1
3	2014-15	3

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

1.13 नीचे चित्रित स्थिति सांविधिक निगमों के लेखाओं पर नि.म.ले.प. द्वारा जारी किए गए (30 सितंबर 2015 तक) पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.प्र.) के विधानसभा में

[8] हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड तथा हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड।

प्रस्तुतिकरण की स्थिति दर्शाती है।

1.7: विधानसभा में पृ.ले.प.प्र. के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष, जब तक विधानसभा में पृ.ले.प.प्र. प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके पृ.ले.प.प्र. विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किए गए	
			पृ.ले.प.प्र. का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1	हरियाणा वित्तीय निगम	2013 – 14	–	–
2	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2012 – 13	2013 – 14	प्रक्रियाधीन

लेखाओं के अंतिमकरण न करने के प्रभाव

1.14 जैसा कि ऊपर (अनुच्छेद 1.10 से 1.12) इंगित किया गया है, लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब से संबंधित विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। लेखाओं के बकायों की उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत वर्ष 2014 – 15 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) में सा.क्षे.उ. के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा राजकोष में उनके योगदान की सूचना भी राज्य विधानमंडल को नहीं दी जा सकी।

सा.क्षे.उ. के अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार उनका निष्पादन

1.15 सा.क्षे.उ. टर्नओवर और राज्य स.घ.उ. का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. गतिविधियों की स्थिति दर्शाता है। नीचे तालिका 2014 – 15 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि हेतु कार्यरत सा.क्षे.उ. टर्नओवर तथा राज्य स.घ.उ. के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.8: राज्य स.घ.उ. की तुलना में कार्यरत सा.क्षे.उ. टर्नओवर के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
टर्नओवर[9]	18,756.18	21,465.56	22,384.88	25,262.69	36,608.23
राज्य स.घ.उ.	2,60,621.28	2,98,688.33	3,41,351.16	3,88,916.63[10]	4,35,310.05[11]
राज्य स.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	7.20	7.19	6.56	6.50	8.41

स्रोत: सा.क्षे.उ. तथा राज्य स.घ.उ. से एकत्र की गई सूचना।

9 अनुवर्ती वर्ष की 30 सितंबर तथा 2014 – 15 के लिए 30 सितंबर 2015 को अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार टर्नओवर।

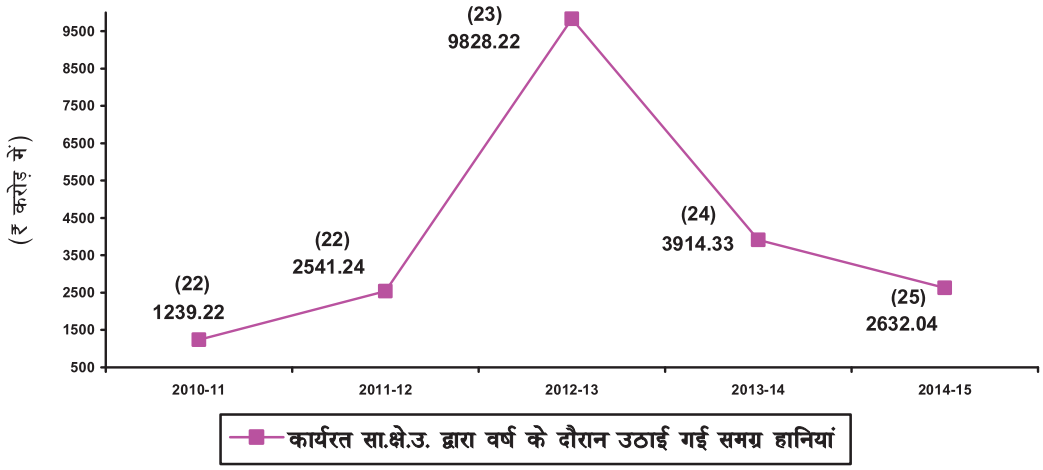
10 शीघ्र अनुमान।

11 अग्रिम अनुमान।

सा.क्षे.उ. का टर्नओवर मुख्यतया विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के टर्नओवर में वृद्धि के कारण 2010 – 11 में ₹ 18,756.18 करोड़ से बढ़कर 2014 – 15 में ₹ 36,608.23 करोड़ हो गया। राज्य स.घ.उ. की तुलना में सा.क्षे.उ. गतिविधियों की भूमिका भी बढ़ गई क्योंकि इसकी प्रतिशतता 2010 – 11 में 7.20 प्रतिशत से बढ़कर 2014 – 15 में 8.41 प्रतिशत हो गई।

1.16 2010 – 11 से 2014 – 15 के दौरान राज्य कार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा उठाई गई समग्र हानियां नीचे ग्राफ में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.3: कार्यरत सा.क्षे.उ. की हानियां



(कोष्ठकों में आंकड़े, संबंधित वर्षों में कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष, जिसके लेखे अंतिमकृत किए गए थे, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम *परिशिष्ट 2* में दिए गए हैं। 2010 – 11 में सा.क्षे.उ. की समग्र हानियां ₹ 1,239.22 करोड़ थी। 2012 – 13 में हानियां ₹ 9,828.22 करोड़ तक बढ़ गई जो कि मुख्यत: उ.ह.बि.वि.नि.लि. की वर्ष 2011 – 12 में ₹ 2,011.24 करोड़ की हानि से वर्ष 2012 – 13 में ₹ 8,603.60 करोड़ तक हानि में वृद्धि के कारण थी। 25 कार्यरत सा.क्षे.उ. की, उनके नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, समग्र हानियां ₹ 2,632.04 करोड़ रहीं। 25 कार्यरत सा.क्षे.उ. में से 16 सा.क्षे.उ. ने ₹ 981.67 करोड़ का लाभ सूचित किया तथा सात सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,613.71 करोड़ की हानि सूचित की। दो सा.क्षे.उ. (एच.ए.आर.यू.पी. कोल कंपनी तथा हरियाणा मैडीकल सर्विसिज कारपोरेशन लिमिटेड) द्वारा अभी वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने हैं तथा उन्होंने अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए थे। लाभ के प्रमुख अंशदाता हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 748.59 करोड़), हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 108.21 करोड़) तथा हरियाणा वित्तीय निगम (₹ 51.83 करोड़) थे। प्रमुख हानियां दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,088.65 करोड़) तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,465.01 करोड़) द्वारा उठाई गई थी।

1.17 सा.क्षे.उ. के कुछ अन्य मुख्य पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.9: राज्य सा.क्षे.उ. के मुख्य पैरामीटर

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010 – 11	2011 – 12	2012 – 13	2013 – 14	2014 – 15
पूंजी लागत पर रिटर्न (*प्रतिशत*)	1.57	-	-	2.01	6.96
उधार	19,936.66	21,838.13	27,231.91	30,739.75	37,847.90
टर्नओवर[12]	18,756.18	21,465.61	22,384.88	25,262.69	36,608.23
उधार/टर्नओवर अनुपात	1.06:1	1.02:1	1.22:1	1.22:1	1.03:1
ब्याज भुगतान	1,667.56	2,445.50	3,526.20	4,361.24	4,411.32
संचित लाभ/हानियां	(-) 5,676.03	(-) 8,622.09	(-) 21,210.01	(-) 23,813.48	(-) 24,043.86

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना।

(टर्नओवर, जो कि कार्यरत सा.क्षे.उ. के लिए है, को छोड़कर उपर्युक्त आंकड़े सभी सा.क्षे.उ. से संबंधित हैं)।

राज्य के कार्यरत सा.क्षे.उ. का टर्नओवर 2010 – 11 के दौरान ₹ 18,756.18 करोड़ से 95.18 प्रतिशत तक बढ़कर 2014 – 15 में ₹ 36,608.23 करोड़ हो गया। उसी अवधि के दौरान कर्जे भी ₹ 19,936.66 करोड़ से 89.84 प्रतिशत तक बढ़कर ₹ 37,847.90 करोड़ हो गए।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति का प्रतिपादन किया (अक्तूबर 2003) जिसके अधीन सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई दत्त शेयर – पूंजी पर कम से कम चार *प्रतिशत* वापसी अदा करनी है। 16 सा.क्षे.उ. ने अपने अन्ततम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 981.67 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया किंतु केवल तीन सा.क्षे.उ. ने ही ₹ 6.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

अकार्यरत सा.क्षे.उ. को बन्द करना

1.19 विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अकार्यरत कंपनियों की संख्या नीचे दी गई है।

तालिका 1.10: अकार्यरत सा.क्षे.उ.

विवरण	2010 – 11	2011 – 12	2012 – 13	2013 – 14	2014 – 15
अकार्यरत कंपनियों की संख्या	7	7	7	4	5

31 मार्च 2015 को पांच अकार्यरत सा.क्षे.उ. (कंपनियां) थे। इनमें से दो सा.क्षे.उ.[13] ने परिसमापन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शेष तीन कंपनियां समापनाधीन थीं अर्थात् बंद करने के आदेश/अनुदेश जारी किए गए किंतु समापन प्रक्रिया अभी आरंभ नहीं की गई। 2014 – 15 के दौरान, अकार्यरत सा.क्षे.उ. ने स्थापना पर ₹ 1.44 करोड़ का व्यय किया। यह व्यय, परिसम्पत्तियों/निवेश की बिक्री,

[12] 30 सितंबर 2015 को अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार कार्यरत सा.क्षे.उ. का टर्नओवर।

[13] हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

एफ.डी.आर. पर ब्याज, विभिन्न प्राप्तियों तथा स्रोत पर काटे गए कर के रिफंड के माध्यम से वहन किया गया था।

1.20 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्वत: बंद करने की प्रक्रिया बहुत तीव्र है तथा इसे अपनाए जाने/अनुसरण किए जाने की आवश्यकता है। सरकार तीन[14] अकार्यरत सा.क्षे.उ. को बंद करने के बारे में निर्णय ले सकती है जहां उनके अकार्यरत होने के बाद उनकी निरंतरता के बारे में अथवा कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया है।

लेखा टिप्पणियां

1.21 वर्ष 2014-15 के दौरान अठारह कार्यरत कंपनियों ने अपने 20 लेखापरीक्षित लेखे प्र.म.ले. को अग्रेषित किए। इनमें से नौ कंपनियों के नौ लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए थे। नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.11: कार्यरत कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	5	11.48	10	29.51	5	2.83
2	हानि का बढ़ना	4	6,018.96	2	1,081.47	6	1,074.35
3	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	4	234.35	6	254.86	4	3,805.09
4	वर्गीकरण की त्रुटियां	4	68.15	3	667.14	5	5,979.35

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखाओं को परिमित प्रमाण-पत्र तथा एक लेखे को प्रतिकूल प्रमाण-पत्र प्रदान किए। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नि.म.ले.प. ने पूरक लेखापरीक्षा के दौरान के एक लेखे (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वर्ष 2013-14 के लेखे पर) पर प्रतिकूल टिप्पणियां दी। कंपनियों की लेखा मानकों (ले.मा.) की अनुपालना हल्की रही क्योंकि वर्ष के दौरान नौ लेखाओं में अनुपालना न करने के 29 उदाहरण मिले।

1.22 इसी प्रकार, दो कार्यरत सांविधिक निगमों-एच.एफ.सी. ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए अपने दो लेखे तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने वर्ष 2013-14 का अपना एक लेखा वर्ष 2014-15 के दौरान प्र.म.ले. को पूरक लेखापरीक्षा के लिए अग्रेषित किए। दो लेखाओं (एच.एफ.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के 2013-14) की टिप्पणियां अंतिमकृत की गई तथा 2014-15 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम के एक लेखे पर टिप्पणियां अंतिमकरणाधीन हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की पूर्ण/पूरक लेखापरीक्षा ने

[14] हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड तथा हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड।

इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.12: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	1	3.98	1	3.78	1	2.28
2	हानि का बढ़ना	-	-	1	4.55	-	-
3	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	1	29.76	1	40.81	-	-
4	वर्गीकरण की त्रुटियां	-	-	-	-	2	4.39

स्रोत: सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखाओं से संकलित सूचना।

वर्ष के दौरान, दो सांविधिक निगमों के तीन लेखे प्राप्त किए गए थे तथा सभी लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा परिमित प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए थे।

लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर

निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा अनुच्छेद

1.23 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 18 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद, छ: सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को जारी किए गए थे। तथापि, तीन अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2016)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लंबित उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को निरूपित करता है। अत: यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए हैं (जुलाई 1996) कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन महीनों की अवधि के अंदर उसमें शामिल अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

तालिका 1.13: प्राप्त नहीं हुई व्याख्यात्मक टिप्पणियां (31 जनवरी 2016 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/सा.क्षे.उ.)	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (नि.लेप.) तथा अनुच्छेद		नि.लेप./अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		नि.लेप.	अनुच्छेद	नि.लेप.	अनुच्छेद
2012 – 13	25.03.2015	2	10	2	6
2013 – 14	04.09.2015	2	9	2	9
कुल		**4**	**19**	**4**	**15**

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 23 अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से तीन विभागों[15], जिन पर टिप्पणियां की गई थी, के संबंध में 19 अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रतीक्षित थीं (जनवरी 2016)।

कोपु द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.25 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में प्रकट उन निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों, जिन पर लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा चर्चा की गई, की 31 जनवरी 2016 को स्थिति निम्नानुसार थी।

तालिका 1.14: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट समीक्षाओं/अनुच्छेदों की तुलना में 31 जनवरी 2016 तक चर्चा किए गए

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	नि.लेप.	अनुच्छेद	नि.लेप.	अनुच्छेद
2012 – 13	2	10	–	1
2013 – 14	2	9	–	–
कुल	**4**	**19**	**–**	**1**

लोक उपक्रम समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 फरवरी 2009 तथा मार्च 2015 के मध्य राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपु के छः प्रतिवेदनों से संबंधित 25 अनुच्छेदों पर 'एक्शन टेकन नोट्स' (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए थे

[15] विद्युत, कृषि तथा उद्योग विभाग।

(जनवरी 2016) जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 1.15: कोपु प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपु रिपोर्ट का वर्ष	कोपु रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपु रिपोर्ट में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2008-09	1	14	1 (पैरा सं. 14)
2010-11	1	10	1 (पैरा सं. 8)
2011-12	1	8	2 (पैरा सं. 3 और 5)
2012-13	1	16	3 (पैरा सं. 4, 5 और 7)
2013-14	1	10	6 (पैरा सं. 2 से 6 और 10)
2014-15	1	12	12 (पैरा सं. 1 से 12)
योग	**6**	**70**	

कोपु के इन प्रतिवेदनों में नौ विभागों[16] से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित हैं, जो 2003-2004 से 2010-11 के वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकट हुई थी।

सिफारिश की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि: (क) निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट/ड्राफ्ट पैराग्राफ/निष्पादन लेखापरीक्षा और कोपु की सिफारिशों पर ए.टी.एन. का जवाब भेजा जाएगा; (ख) निर्धारित अवधि के भीतर हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी; तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली तैयार होगी।

सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

1.27 राज्य सरकार ने 2014-15 के दौरान अपने किसी भी सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य नहीं किया।

इस प्रतिवेदन का कवरेज

1.28 इस प्रतिवेदन में ₹ 4,739.28 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित ''दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर तथा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार की कार्यप्रणाली'' तथा ''कस्टम मिल्ड राईस'' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 15 अनुच्छेद शामिल हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधन ने ₹ 24.14 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले एक अनुच्छेद का उत्तर नहीं दिया। इसी प्रकार, हरियाणा सरकार ने ₹ 61.34 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले तीन अनुच्छेदों का उत्तर नहीं दिया।

[16] कृषि, वन, गृह, उद्योग, विद्युत, लो.नि.वि. भ. एवं स., अ.जा. एवं पि.व. कल्याण, परिवहन तथा पर्यटन।

अध्याय 2

2 सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार की कार्यप्रणाली

2.1 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) के 3,167.80 एम.डब्ल्यू. की कुल स्थापित क्षमता वाले तीन थर्मल पावर प्लांट हैं, यथा-पानीपत थर्मल पावर स्टेशन पानीपत (पी.टी.पी.एस.), दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर (डी.सी.आर.टी.पी.पी.) और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार (आर.जी.टी.पी.पी.)। दो थर्मल पावर प्लांट अर्थात् डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी., जिनकी स्थापित क्षमता 1,800 एम.डब्ल्यू. है, को निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

मुख्यांश

डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. का परिचालन निष्पादन हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा नियत मानकों की तुलना में त्रुटिपूर्ण था। प्लांट लोड फैक्टर की अनुपलब्धि और ₹ 186.02 करोड़ के अधिक द्वितीयक ईंधन तेल के उपभोग और सहायक विद्युत-उपभोग के कारण 2010-15 के दौरान ₹ 1,508.64 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1, 2.1.7.2 और 2.1.7.3)

कंपनी ने अपूर्ण कार्यों की लागत की वसूली न करके और अदेय भुगतान करके ठेकेदार को ₹ 229.32 करोड़ का अदेय लाभ दिया।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

2010-15 के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. में हुए 26824:46 घंटों की 134 कटौतियों के परिणामस्वरूप ₹ 6,840.12 एम.यूज की उत्पादन हानि हुई तथा समयपूर्व ओवरहालिंग के परिणामत: ₹ 11.05 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.2)

आर.जी.टी.पी.पी. में अभियांत्रिकी, खरीद तथा निर्माण (ई.पी.सी.) ठेकेदार को अदेय लाभ दिया गया क्योंकि लंबित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से पहले ही इकाइयों को अस्थाई रूप से अधिकार में ले लिया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.8.4)

कंपनी ने लोडिंग और अनलोडिंग बिंदुओं पर ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जी.सी.वी.) में विविधता के कारण कोयले की खरीद पर ₹ 567.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.1.9.1)

कंपनी ने श्रेणी में गिरावट, स्टोन दावे, अंडर लोडिंग दावे और कम उठान पर जुर्माने के तौर पर ₹ 48.49 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.1.9.2, 2.1.9.3, 2.1.9.4 तथा 2.1.9.8)

2.1.1 प्रस्तावना

कंपनी जो मार्च 1997 में निगमित हुई थी, हरियाणा में विद्युत की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए विद्युत उत्पादन प्लांट्स का परियोजन, संचालन और परिचालन करती है। 300 – 300 एम.डब्ल्यू. के दो डी.सी.आर.टी.पी.पी. थर्मल इकाइयां 2008 – 09 में चालू की गई थी और 600 – 600 एम.डब्ल्यू. की आर.जी.टी.पी.पी. की दो इकाइयां 2010 – 11 में चालू की गई थी। कंपनी ने डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. का निर्माण कार्य रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, अब रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.इन्फ्रा.) से ई.पी.सी. आधार पर करवाया। दोनों मामलों में, मूल उपकरण उत्पादक (ओ.ई.एम.) शंघाई इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन (एस.ई.सी.), चीन था।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

कंपनी का प्रबंधन एक निदेशक मंडल में (बी.ओ.डीज) निहित है, जिसमें 31 मार्च 2015 को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एम.डी.), तीन पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यू.टी.डीज) और दो अंशकालिक निदेशक थे। दैनिक परिचालन करने के लिए एम.डी. की सहायता तीन डब्ल्यू.टी.डीज और मुख्य अभियंताओं द्वारा की जाती है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करने थे कि:

- उत्पादन इकाइयों की स्थापित क्षमता का सर्वोत्कृष्ट उपयोग किया जा रहा था और उत्पादन की लागत वसूल की जा रही थी;
- ई.पी.सी. ठेकेदार के संविदात्मक दायित्व पर्याप्त थे और संतोषजनक रूप से पूरे किए जा रहे थे;
- सामान सूचियों का प्रापण और ईंधन का परिवहन मितव्ययता, दक्षता और प्रभावी रूप से किया जा रहा था;
- पर्यावरण संरक्षण के उपाय प्रभावी ढंग से किए जा रहे थे; तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्लांट के आकार और गतिविधियों के अनुपातिक रूप में थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

लेखापरीक्षा जनवरी से जून 2015 के बीच की गई थी और इसमें 2010 – 11 से 2014 – 15 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया गया। डी.सी.आर.टी.पी.पी. के निर्माण और परिचालन की गतिविधियां वर्ष 2008 – 09 के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट (वाणिज्य), हरियाणा सरकार में सूचित की गई थी। लोक उपक्रम समिति (कोपू) हरियाणा की 59वीं रिपोर्ट

में निहित सिफारिशें राज्य विधान सभा को 11 मार्च 2013 को प्रस्तुत की गई थी। अपनी सिफारिशों पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई पर कोपू के निर्णय अभी प्रतीक्षित थे (नवंबर 2015)। एच.पी.जी.सी.एल. की विद्युत उत्पादन गतिविधियों (राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की निर्माण गतिविधियों सहित) की समीक्षा की गई थी और 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए सी.ए.जी. की आडिट रिपोर्ट नं. 4-हरियाणा सरकार में सूचित की गई। इस रिपोर्ट पर चर्चा कोपू, हरियाणा में की गई और इसकी सिफारिशें 60वीं रिपोर्ट में शामिल कर राज्य विधान सभा को प्रस्तुत (4 मार्च 2014) की गई। वित्तीय मामलों पर कोपू की सिफारिश पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई प्रतीक्षित थी (नवंबर 2015)।

हमने एक एंट्री कांफ्रेंस (फरवरी 2015) के दौरान लेखापरीक्षा उद्देश्यों का ब्यौरा कंपनी को दिया। लेखापरीक्षा के परिणाम राज्य सरकार तथा प्रबंधन को सूचित किए गए (अगस्त 2015) थे। सरकार तथा प्रबंधन के उत्तर प्राप्त हुए (अक्तूबर/नवंबर 2015) और इन पर एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2015) जिसमें अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग और कंपनी के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे, चर्चा की गई। इस निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम करते समय सरकार तथा प्रबंधन के विचारों को ध्यान में रखा गया है।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों का मूल्यांकन लेखापरीक्षा मानदंडों के विरूद्ध किया गया जिनके स्रोत निम्न थे:

- हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा जारी परिचालन निष्पादन के लिए मार्गनिर्देश/मानक;
- ई.पी.सी. संविदा के निबंधन एवं शर्तें;
- कोयला कंपनियों, रेलवेज, परिवहन एजेंसी तथा अन्य ठेकेदार/एजेंटों के साथ किए गए अनुबंधों की अनुपालना; तथा
- ऊर्जा लेखापरीक्षा से संबंधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधान।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 कार्यचालन परिणाम

मार्च 2015 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान दोनों पावर प्लांट्स के कार्यचालन परिणाम ***परिशिष्ट 3*** में दिए गए हैं। अवधि के दौरान उत्पादन की लागत, राजस्व और प्रति इकाई किए गए लाभ/हानि नीचे दिए गए हैं:

(राशि ₹ में प्रति के.डब्ल्यू.एच.)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	डी.सी.आर. टी.पी.	आर.जी. टी.पी	डी.सी.आर. टी.पी.	आर.जी. टी.पी	डी.सी.आर. टी.पी.	आर.जी. टी.पी	डी.सी.आर. टी.पी.	आर.जी. टी.पी	डी.सी.आर. टी.पी.	आर.जी. टी.पी
1. प्रति इकाई लागत (₹ में)	3.38	2.10	3.89	4.33	8.20	4.83	4.43	4.96	4.34	4.89
2. प्रति इकाई राजस्व (₹ में)	3.29	1.72	3.64	3.50	4.06	4.24	4.36	5.02	4.32	4.90
3. प्रति इकाई लाभ/हानि (₹ में)	(-)0.09	(-)0.38	(-)0.25	(-)0.83	(-)4.14	(-)0.59	(-)0.07	0.06	(-)0.02	0.01

ऊपरी तालिका और ***परिशिष्ट 3*** से यह देखा जा सकता है कि 2010-11 से 2014-15 के

दौरान किसी भी वर्ष के लिए न तो डी.सी.आर.टी.पी.पी. और न ही आर.जी.टी.पी.पी. अपने उत्पादन की लागत की वसूली कर सके (2013-14 और 2014-15 तक के दौरान आर.जी.टी.पी.पी. को छोड़कर) और इन्होंने क्रमश: ₹ 490.54 करोड़ और ₹ 794.50 करोड़ का घाटा वहन किया।

2.1.7 परिचालन निष्पादन

मार्च 2015 को समाप्त पांच वर्षों के लिए डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी.का परिचालन निष्पादन ***परिशिष्ट 4*** में दिया गया है। विभिन्न परिचालन मापदंडों पर मूल्यांकित प्लांट्स के परिचालन निष्पादन की चर्चा नीचे की गई है:

2.1.7.1 प्लांट लोड फैक्टर

प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) प्लांट की उत्पादक क्षमता में वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता प्रस्तुत करता है। पी.एल.एफ. हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा उत्पादन को प्रभावित करने वाले सभी घटकों को ध्यान में रखकर नियत की जाती है। नियत लागत[1] की वसूली संबंधित प्लांट्स के लिए अनुमोदित पी.एल.एफ. के मानकों से संबंधित होती है अर्थात् कुल नियत लागत एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित पी.एल.एफ. पर वसूल की जाती है और कम पी.एल.एफ. के मामले में नियत लागत प्रो-रैटा आधार पर वसूल की जाएगी। 2010-15 के दौरान, एच.ई.आर.सी. द्वारा दोनों इकाइयों के लिए नियत बनाम वास्तव में प्राप्त पी.एल.एफ. निम्नानुसार था:

वर्ष	डी.सी.आर.टी.पी.			आर.जी.टी.पी		
	एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत पी.एल.एफ.	वास्तविक पी.एल.एफ.[2]		एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत पी.एल.एफ.	वास्तविक पी.एल.एफ.	
	इकाई I और II	इकाई I	इकाई II	इकाई I और II	इकाई I	इकाई II
2010-11	80	87.6	66.04	80	40.91	6.00
2011-12	85	93.36	32.18	85	56.32	51.49
2012-13	85	14.11	30.13	85	40.33	63.99
2013-14	85	95.49	59.57	70	78.23	43.10
2014-15	85	85.53	70.51	85	90.55	62.13

डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. द्वारा पी.एल. एफ की प्राप्ति न करने के कारण विद्युत के 16,465.743 एम.यूज की अनुमानित उत्पादन हानि हुई। 2010-15 के दौरान ₹ 1,508.54 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली हुई। पावर प्लांट्स में जल्दी ओवरहॉलिंग, बॉयलर टयूब लीकेजीज की पुनरावृत्ति और अन्य मशीनी समस्याएं थी जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों 2.1.8.2 और 2.1.8.5 में चर्चा की गई है।

पुन:, सस्ती विद्युत के उपलब्ध होने पर, वितरण कंपनियों (डिस्कोम्ज) ने कंपनी को बैकिंग डाउन अनुदेश जारी किए और प्लांट्स आंशिक लोड पर चल रहे थे। परिणामस्वरूप, कंपनी ने 2010-15 के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. पर क्रमश: 1,613,40 एम.यूज और 4,992.10 एम.यूज के विद्युत उत्पादन का अवसर खो दिया। कंपनी ने एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से खुले बाजार में विद्युत बेचने की संभावना की खोज प्रभावी रूप से नहीं की थी।

[1] स्थाई लागत में साम्या पर रिटर्न, ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त, कार्यचालन पूंजी परिचालन और रख-रखाव व्यय तथा मूल्यह्रास पर ब्याज शामिल है।

[2] डिस्कोम्ज के बैकिंग डाउन अनुदेशों के दौरान मानकीय उत्पादन शामिल है।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि बार-बार बंद होने तथा प्रारंभिक कठिनाइयों के कारण, पी.एल.एफ. की प्राप्ति नहीं हो सकी। पुन: यह बताया गया कि डिस्कोम्ज से अग्रिम समय-सारणी तथा क्लीयरेंस की अनुपलब्धि के कारण, अतिरिक्त विद्युत का थर्ड पार्टी विक्रय एक प्रधान चुनौती था। अग्रिम समय-सारणी की अनुपलब्धता का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को अतिरिक्त विद्युत के विक्रय की योजना हेतु डिस्कोम्ज द्वारा अग्रिम समय-सारणी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयत्न जारी रखना था। यह इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि 7 मार्च 2014 को भारतीय एनर्जी एक्सचेंज का ग्राहक सदस्य बनने के बाद कंपनी, 2014-15 और 2015-16 (अगस्त 2015 तक) के दौरान 26.68 एम.यूज की अतिरिक्त विद्युत बेचकर ₹ 10.55 करोड़ का राजस्व कमाने में समर्थ हुई।

2.1.7.2 सहायक विद्युत का अधिक उपभोग

सहायक विद्युत उपभोग इकाइयों द्वारा उपकरण तथा सामान्य सेवाओं को चलाने के लिए स्वयं उपभोग की गई विद्युत है। 2010-15 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत मानक की सीमा डी.सी.आर.टी.पी.पी. के मामले में 8.5 से 9 प्रतिशत तथा आर.जी.टी.पी.पी. के मामले में 6 से 7.5 प्रतिशत है। प्लांट-वार उपभोग की गई सहायक विद्युत की चर्चा नीचे की गई है:

डी.सी.आर.टी.पी.पी.

डी.सी.आर.टी.पी.पी. के इकाई-I और इकाई-II का सहायक विद्युत उपभोग क्रमश: 8.70 से 13.07 प्रतिशत तथा 8.97 से 11.04 प्रतिशत की सीमा में रहा। अधिक सहायक विद्युत उपभोग का कारण इकाइयों का बार-बार बंद होना तथा उनका पूर्ण/आंशिक बैकिंग डाउन था। अधिक सहायक विद्युत उपभोग के कारण कंपनी, एच.ई.आर.सी. मानकों के अनुसार, ₹ 44.59 करोड़ मूल्य के 100.30 एम.यूज बेचने में असमर्थ रही।

आर.जी.टी.पी.पी.

आर.जी.डी.पी.पी. के इकाई-I और इकाई-II का सहायक विद्युत उपभोग 2010 से 2015 के दौरान क्रमश: 5.67 से 8.59 तथा 5.77 से 18.36 प्रतिशत की सीमा में रहा। 2010-12 के दौरान दोनों इकाइयों के संबंध में सहायक विद्युत उपभोग एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत मानकों से अधिक था जबकि इकाई-II में उपभोग 2013-14 के दौरान और इकाई-I में 2014-15 के दौरान अधिक था। अधिक सहायक विद्युत उपभोग का कारण इकाइयों का बार-बार बंद होना और उनका पूर्ण/आंशिक बैकिंग डाउन था। अधिक सहायक विद्युत उपभोग के कारण कंपनी, एच.ई.आर.सी. मानकों के अनुसार, ₹ 16.42 करोड़ मूल्य के 40.85 एम.यूज बेचने में असमर्थ रही।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर/नवंबर 2015) कि सहायक विद्युत का अधिक उपभोग कोयले की खराब गुणवत्ता तथा बार-बार इकाइयों में कटौती के कारण था और संभव सीमा तक सहायक उपभोग को कम करने के प्रयास किए जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोयले की गुणवत्ता तथा बार-बार कटौती को मानकों के भीतर रखा जाना अपेक्षित था।

2.1.7.3 द्वितीयक ईंधन तेल का अधिक उपभोग

दोनों प्लांट्स में डीजल और फरनैस तेल द्वितीयक ईंधन तेल के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। ईंधन तेल का उपभोग अनिवार्य कटौती के साथ-साथ बैंकिंग डाउन (रिजर्व शट-डाउनज) के

कारण होने वाले ट्रिपिंग पर निर्भर करता है। ईंधन ऑयल के उपभोग के लिए एच.ई.आर.सी. के मानक 2010-15 के दौरान उत्पादित विद्युत का 1 एम.एल. प्रति के.डब्ल्यू.एच. था।

डी.सी.आर.टी.पी.पी. में वास्तविक द्वितीयक ईंधन ऑयल का उपभोग 2010-15 के दौरान इकाई-I में 0.51 से 3.06 एम.एल. प्रति के.डब्ल्यू.एच. और इकाई-II में 1.05 से 6.15 एम.एल. प्रति के.डब्ल्यू.एच. की सीमा में रहा जबकि आर.जी.टी.पी.पी. में, यह इकाई-I के लिए 0.28 से 10.51 एम.एल. प्रति के डब्ल्यू.एच. की सीमा में तथा इकाई-II के लिए 0.56 से 23.57 एम.एल. प्रति के डब्ल्यू.एच. के बीच रहा। अत: दोनों प्लांटस में मानकों की तुलना में तेल का उपभोग अधिक रहा। आडिट ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. में क्रमश: ₹ 38.14 करोड़ मूल्य के 11,827.22 के.एल. तेल और ₹ 86.87 करोड़ मूल्य के 23,513.27 के.एल. तेल का अधिक उपभोग अवलोकित किया।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि द्वितीयक ईंधन तेल का अधिक उपभोग प्रारंभिक समस्याओं, बार-बार ट्यूब लीकेज व बार-बार स्टार्ट-अप, परीक्षण और स्थाईकरण के कारण था।

2.1.7.4 ऊर्जा लेखापरीक्षा

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 नियमित आधार पर ऊर्जा लेखापरीक्षा का प्रावधान, उत्पादन स्टेशनों की दक्षता सुधारने तथा इनपुट लागत नियंत्रित करने के लिए करता है। ऊर्जा लेखापरीक्षा डी.सी.आर.टी.पी.पी. में 2013-14 में की गई थी, जिसने ₹ 17.78 करोड़ की अनुमानित वार्षिक वित्तीय बचतों तथा इनके उपायों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को अभी क्रियान्वित किया जाना था (सितंबर 2015)। आर.जी.टी.पी.पी. में प्लांट की स्थापना से ही लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी। अत: आर.जी.टी.पी.पी. में ऊर्जा लेखापरीक्षा न करना तथा डी.सी.आर.टी.पी.पी. के लिए की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन न किया जाना, एच.ई.आर.सी. के इनपुट लागत लक्ष्यों की अनुपलब्धि के कारणों में से एक था।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि दोनों प्लांट्स का अंतिम अधिकरण क्रमश: मई 2013 और जुलाई 2015 में किया गया था तथा इसीलिए ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्लांट्स का अधिकरण अस्थाई रूप से कर लिया गया था तथा कंपनी उत्पादन पर खर्च कर रही थी, इसलिए ऊर्जा लेखापरीक्षा करवाई जानी अपेक्षित थी।

2.1.8 संविदात्मक दायित्व

दोनों प्लांट्स के संबंध में ई.पी.सी. ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों की अनुपालना की चर्चा नीचे की गई है:

डी.सी.आर.टी.पी.पी.

कंपनी ने प्रत्येक 300 एम.डब्ल्यू. के दो इकाइयों के निर्माण के लिए ₹ 2,097 करोड़ के स्थिर मूल्य पर (मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति के लिए ₹ 1,572 करोड़ और सिविल निर्माण कार्यों और प्रस्थापन, परीक्षण और चालू करने के लिए ₹ 525 करोड़) टर्नकी आधार पर ठेका आर.ई.एल. (ई.पी.सी. ठेकेदार) को दिया (मार्च 2004)। दोनों इकाइयों को चालू करने संबंधी प्रमुख मील पत्थर निम्नानुसार थे:

मीलपत्थर	इकाई I	इकाई II
अस्थाई अधिकरण (पी.टी.ओ.) की अनुसूचित तारीख	19 नवंबर 2007	19 फरवरी 2008
पी.टी.ओ. की वास्तविक तारीख	31 अगस्त 2009	31 अगस्त 2009
एफ.टी.ओ. की तारीख	01 मई 2013	01 मई 2013
उपकरण परफार्मेंस गारंटी	इकाइयों को एफ.टी.ओ. की तारीख से बारह मास की अवधि तक के लिए समस्या मुक्त परफार्मेंस की गारंटी दी गई थी।	

2.1.8.1 अपूर्ण निर्माण कार्यों की लागत की कटौती न करना तथा अदेय भुगतानों की निर्मुक्ति

संविदा की शर्तों के अनुसार, इकाइयों का एफ.टी.ओ., सभी लंबित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने पर ही किया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने एफ.टी.ओ. प्रभावी करने का निर्णय लिया (15 मार्च 2013) और ₹ 155.78 करोड़ मूल्य के लंबित निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने के बावजूद अनिवार्य स्पेयर्ज (₹ 6.40 करोड़) की अनापूर्ति तथा क्रमश: इकाई-I एवं इकाई-II के टर्बाईन की मरम्मत पर राशि (₹ 6.86 करोड़) खर्च करने तथा निर्माण कार्यों को आर.ई.एल. की लागत व जोखिम पर संपन्न करने (₹ 0.44 करोड़) के आधार पर कटौती करने के बाद आर.ई.एल. को ₹ 73.54 करोड़ निर्मुक्त कर दिए।

यह अपूर्ण निर्माण कार्यों की लागत का कटौती न करना तथा एफ.टी.ओ. पर ₹ 73.54 करोड़ के भुगतान की निर्मुक्ति, आर.ई.एल. को अनुचित लाभ था और यह कंपनी के ₹ 229.32 करोड़ तक के वित्तीय हितों के साथ जोखिम था।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि उपर्युक्त राशि आर्बिट्रेशन केस में दर्ज (अगस्त 2014) 'प्रति-दावों' में शामिल की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन एफ.टी.ओ. के समय उपर्युक्त लंबित मदों/निर्माण कार्यों से अवगत थी और इस प्रकार ऐसी राशि, ठेकेदार को अदा करने की बजाय उससे वसूलनीय थी।

2.1.8.2 डी.सी.आर.टी.पी.पी. में प्रतिस्थापित बायलर टर्बाईन और जैनरेटर का परफार्मेंस

एस.ई.सी. चीन (ओ.ई.एम.) द्वारा उत्पादित प्लांट की आपूर्ति पहली बार भारत में डी.सी.आर.टी.पी.पी. को ही की गई थी (2004)।

नीचे दिए विवरण अनुसार प्लांट में बार-बार अनिवार्य कटौतियां होती रही:

वर्ष	इकाई I		इकाई II	
	ट्रिपिंग की संख्या	कटौती की अवधि (घंटे: मिनट)	ट्रिपिंग की संख्या	कटौती की अवधि (घंटे: मिनट)
2010-11	19	418:14	35	520:55
2011-12	14	484:19	17	5414:14
2012-13	5	7913:21	8	6181:20
2013-14	7	1044:41	10	3653:49
2014-15	8	312:46	11	881:07
कुल	**53**	**10173:21**	**81**	**16651:25**

जैसा कि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है प्लांट ने 2010-15 के दौरान 26824:46 घंटे की 134 अनिवार्य कटौतियां वहन की जिसके परिणामस्वरूप 6,840.12 एम.यूज की उत्पादन हानि हुई।

इकाई-I और II के मुख्य दीर्घ कटौतियों तथा उनके कंपनी पर प्रभाव की चर्चा नीचे की गई है:

(i) इकाई-I की दीर्घ कटौतियां और ओवरहॉलिंग पर अतिरिक्त व्यय

31 मार्च 2012 को एल.पी. रोटर की क्षति के कारण डी.सी.आर.टी.पी.पी. के इकाई-I का अनिवार्य शटडाउन हुआ। ई.पी.सी. ठेकेदार ने मरम्मत कार्य करने से इनकार कर दिया और मामला सीधा ओ.ई.एम. के साथ उठाने का सुझाव दिया। चूंकि इकाई-II भी अनिवार्य शटडाउन के अधीन था, ओ.ई.एम. ने (25 मई 2012) दोनों इकाइयों के टर्बाइन और जेनरेटर की पूर्ण ओवरहालिंग करवाने का सुझाव दिया और इकाई-I के एल.पी. रोटर की मरम्मत तथा दोनों इकाइयों की ओवरहालिंग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया बशर्ते कि मरम्मत और ओवरहॉलिंग के प्रभार न ई.पी.सी. और न ही ओ.ई.एम. से वसूल किए जाएंगे। कंपनी को एल.पी. रोटर को शंघाई भेजकर उसकी मरम्मत तथा इकाई की ओवरहॉलिंग अपनी लागत पर करवानी पड़ी (जून 2012)। कंपनी को ₹ 9.25 करोड़ (₹ 2.90 करोड़ का भुगतान ओ.ई.एम. को इकाई-I की ओवरहालिंग के लिए ₹ 0.27 करोड़ संबंधित कार्यों तथा ₹ 6.08 करोड़ स्पेयर्स के लिए) का व्यय वहन करना पड़ा। तथापि, कंपनी ने न तो ई.पी.सी. ठेकेदार द्वारा दी गई परफार्मेंस गारंटी का नकदीकरण किया और न ही क्षतिग्रस्त एल.पी. रोटर की मरम्मत करवाने के लिए ई.पी.सी. कांट्रेक्टर के इनकार करने पर आरबीट्रेशन में गई। इसके अतिरिक्त, कंपनी को 2012-13 के दौरान 1,900.52 एम.यूज की उत्पादन हानि और परिणामत: ₹ 191.95 करोड़ की स्थाई लागत[3] की अवसूली वहन करनी पड़ी।

पुन: रोटर की मरम्मत के साथ-साथ नए रोटेटिंग ब्लेडज खरीदने की संभावना देखे बिना ही, रोटेटिंग ब्लेडज जो डी.सी.आर.टी.पी.पी. के पास पड़े हुए थे, वे भी एल.पी. रोटर में फिटिंग के लिए एस.ई.सी., शंघाई को भेज दिए गए। चूंकि इन ब्लेडज को अनिवार्य स्पेयर्ज के रूप में रखा जाना था, कंपनी को एस.ई.सी. शंघाई को नए ब्लेडज की खरीद के लिए ₹ 7.58 करोड़ का नया आदेश देना पड़ा (मार्च 2015) और यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2015)। इस प्रकार, यदि कंपनी एल.पी. रोटर के मरम्मत कार्य के साथ ही एल.पी. रोटर में नए ब्लेडज की आपूर्ति और फिटिंग के लिए आदेश दे देती तो पुराने ब्लेडज के लिए ₹ 1.80 करोड़ तक के परिवहन प्रभार बचाए जा सकते थे।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि एस.ई.सी. ने इस शर्त पर कि लागत ई.पी.सी. ठेकेदार या ओ.ई.एम. से प्रभारित नहीं की जाएगी, इकाई की मरम्मत के लिए सहमति दी थी। ये स्पेयर्स एस.ई.सी. को इसलिए भेजे गए थे ताकि विलंब न हो। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने मरम्मत का कार्य लेने के लिए ई.पी.सी. ठेकेदार के इनकार के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की थी और साथ ही नए ब्लेडज खरीदने के लिए संभावना की खोज नहीं की थी।

[3] एच.ई.आर.सी. द्वारा संबंधित वर्षों के टैरिफ आदेश में अनुमत, प्रति इकाई स्थाई लागत।

(ii) इकाई-II के हाई इंटरमीडिएट प्रेशर रोटर की क्षति और ओवरहालिंग के कारण अनिवार्य शटडाउन

इकाई-II, 25 सितंबर 2011 को ट्रिप हो गया तथा हाई इंटरमीडिएट प्रेशर (एच.आई.पी.) रोटर की क्षति के कारण बंद करना पड़ा। चूंकि ओ.ई.एम. ने मरम्मत किए रोटर के लिए कोई वारंटी/गारंटी के बिना ही ₹ 13 करोड़ पर खराब रोटर की मरम्मत करने का प्रस्ताव दिया था (21 दिसंबर 2011), कंपनी ने आर.ई.एल. के जोखिम और लागत पर रोटर की मरम्मत करवा ली। जब इकाई-II का एच.आई.पी. रोटर मरम्मत अधीन था, इकाई-I भी ट्रिप हो गया तथा ओ.ई.एम. की सिफारिश पर, कंपनी ने इकाई-II की ओवरहालिंग अपनी लागत पर की। इसी प्रकार की पूर्व शर्त के कारण कि मरम्मत और ओवरहॉलिंग के प्रभार ई.पी.सी. या ओ.ई.एम. से वसूली नहीं जाएंगी, कंपनी इकाई-II की ओवरहॉलिंग पर खर्च किए ₹ 2.32 करोड़ की ई.पी.सी. कंट्रेक्टर से वसूल नहीं कर सकी जबकि उपकरण परफोर्मेंस गारंटी के अधीन थे। कंपनी ने निरंतर 10,295 घंटों की कटौती के कारण 2,625.23 एम.यूज की उत्पादन-हानि और ₹ 293.16 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली की हानि उठाई।

सरकार और प्रबंधन के अपने उत्तर में बताया कि एस.ई.सी. ने इस पूर्व शर्त पर रोटर की मरम्मत के लिए सहमति दी थी कि लागत को ई.पी.सी. ठेकेदार या ओ.ई.एम. को प्रभारित नहीं किया जाएगा और स्थाई लागत की वसूली आबिट्रेटर को भेजे गए मामले का हिस्सा भी है। तथ्य रह जाता है कि कंपनी ने ई.पी.सी. ठेकेदार के विरूद्ध मरम्मत से इनकार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(iii) ओ.ई.एम. से पुनरूत्थान की आवश्यकता वाली इकाई-II की अनिवार्य कटौती

ओवरहॉलिंग के बाद भी इकाई-II में निरंतर समस्याएं बनी रही और यह दिसंबर 2012 तथा मई 2013 के मध्य 1,006 घंटों के लिए अनिवार्य शटडाउन के अधीन थी। इकाई का 3 जून 2013 को फिर से 2,156 घंटों के लिए 4 सितंबर 2013 तक अनिवार्य शटडाउन हुआ।

कंपनी ने ओ.ई.एम. को इकाई-II के पुनरूत्थान के लिए कार्य आदेश दिया (21 जून 2013) और ₹ 2.31 करोड़ का व्यय किया। कंपनी ने इस राशि की वसूली ई.पी.सी. ठेकेदार से नहीं की जबकि आपूरित उपकरण 30 अप्रैल 2014 तक परफार्मेंस गारंटी में था। इकाई, 2,156 घंटों के लिए अनिवार्य शटडाउन अधीन रहा और 646.96 एम.यूज के उत्पादन की हानि के साथ ₹ 74.40 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली हुई।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि इकाई के पुनरूत्थान की आवश्यकता विभिन्न परिचालन चूकों के कारण थी और संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इकाइयां परफार्मेंस गारंटी अवधि जो अप्रैल 2014 तक वैध थी, के दौरान भी बार-बार अनिवार्य शट-डाउन के अधीन थी।

आर.जी.टी.पी.पी.

कंपनी ने टर्नकी आधार पर प्रत्येक 600 एम.डब्ल्यू. की दो इकाइयों के निर्माण के लिए ठेका आर. इन्फ्रा को ₹ 3,775.43 करोड़ (आफशोर ठेके के लिए ₹ 1,431.01 करोड़, आनशोर ठेके

के लिए ₹ 1,593.42 करोड़ और सेवा ठेके के लिए ₹ 751 करोड़) के स्थाई मूल्य पर दे दिया। इकाइयों को चालू करने संबंधी प्रमुख मीलपत्थर निम्नानुसार थे:

मीलपत्थर गतिविधि	इकाई I	इकाई II
अस्थाई अधिकरण की नियत तारीख (पी.टी.ओ.)	28 दिसंबर 2009	28 मार्च 2010
वास्तविक वाणिज्यिक परिचालन की तारीख (सी.ओ.डी)[4]	24 अगस्त 2010	01 मार्च 2011
पी.टी.ओ. की वास्तविक तारीख	10 फरवरी 2014	20 सितंबर 2014
एफ.टी.ओ. की वास्तविक तारीख	15 जुलाई 2015	15 जुलाई 2015

यह देखा गया कि सी.ओ.डी. की घोषणा से एफ.टी.ओ. प्रभावी करने तक की अवधि के दौरान आर. इन्फ्रा को अनुचित लाभ दिया गया जैसा कि नीचे चर्चित है:

2.1.8.3 अनियमित शट-डाउन के कारण उत्पादन हानि

इकाई-I और इकाई-II के क्रमश: 24 अगस्त 2010 और 1 मार्च 2011 को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने के बावजूद, इकाई बार-बार ट्रिप कर रहे थे। आर. इन्फ्रा की ओर से अपूर्ण निर्माण कार्य के परिणामस्वरूप इकोनोमाईजर टयूब लीकेज, बॉयलर टयूब लीकेज और टरबाईन कंपन की वजह से 2010-11 के दौरान 38 ट्रिपिंग (इकाई-I) और 29 ट्रिपिंग (इकाई-II) थी और 2011-12 के दौरान 48 ट्रिपिंग (इकाई-I) और 22 ट्रिपिंग (इकाई-II) थी। लंबित निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए ई.पी.सी. संविदात्मक प्रावधानों से इतर आर. इन्फ्रा को 8,305 घंटों के शट-डाउन उपलब्ध करवाए गए, जिस कारण 207.63 एम.यूज की उत्पादन हानि हुई और परिणामत: ₹ 256 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली हुई। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ये शट-डाउन उपलब्ध करवाने के बावजूद इकाई-I और इकाई-II ने 2012 से 2015 के दौरान क्रमश: कुल 9,145 घंटों (इकाई-I) और 11,641 घंटों (इकाई-II) तक की 61 और 52 ट्रिपिंग वहन की।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि मांग-आपूर्ति अंतर के कारण इकाइयां वाणिज्यिक परिचालन के लिए बाध्य हुई और संविदा के अनुसार आर. इन्फ्रा से कटौती योग्य अधिकतम 10 प्रतिशत लिक्विडेटिड डैमेजिज (एल.डी.) की वसूली की जा चुकी है। परंतु तथ्य रह जाता है कि अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण कंपनी को परिहार्य स्थाई लागत वहन करनी पड़ी।

2.1.8.4 सभी लंबित निर्माण कार्यों के पूर्ण हुए बिना पी.टी.ओ. प्रभावी करना

ई.पी.सी. संविदा के खंड 35 के अनुसार, प्लांट का पी.टी.ओ. इकाई के ट्रायल आपरेशन[5] के सफलतापूर्वक पूर्ण होने, मालिक द्वारा अनुमोदित सभी लंबित निर्माण कार्यों की पूर्णता और अंतिम परिचालन एवं रख-रखाव मैनुअल उपलब्ध करवाने पर ही प्रभावी किया जाना था।

यह देखा गया कि वाणिज्यिक परिचालन के बाद, इकाई का निष्पादन संतोषप्रद नहीं था। ई.पी.सी. ठेकेदार ने राख व्यवस्था प्रणाली, मिल अस्वीकार प्रणाली, अपरिष्कृत जल का जलाशय, सघन पॉलिशिंग इकाई, निस्सारी ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य संबंधित कार्यों जैसे सभी लंबित कार्य पूर्ण नहीं किए थे। इन कार्यों की पूर्णता लंबित होने पर भी कंपनी ने 16 प्रधान वरीयता निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ करने के लिए आर. इन्फ्रा से अधिकरण लेकर, केवल दो निर्माण कार्यों की

4 वाणिज्यिक कार्यचालन की तारीख वह तारीख है जिस तारीख से प्लांट को ग्रिड के साथ समायोजित किया गया है तथा डिस्कोम्ज को नियत विद्युत बेचनी शुरू की गई है।

5 ट्रायल अपरेशन, संविदा के अनुसार 14 दिनों के लिए प्लांट का निरंतर परिचालन है।

पूर्णता पर ही पी.टी.ओ. प्रभावी करने का निर्णय लिया (फरवरी 2014)। इकाई-I का पी.टी.ओ. वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से 41 मास व्यतीत होने के बाद 10 फवरी 2014 को प्रभावी किया गया।

इसी प्रकार, इकाई-II में एच.आई.पी. टरबाईन बेयरिंग में उच्च कंपन की समस्या के विलंबित समाधान और लंबित कार्यों के पूर्ण होने में देरी के कारण इकाई का पी.टी.ओ. ट्रायल आपरेशन के पूर्ण होने की तारीख से 42 मास व्यतीत होने के बाद 20 सितंबर 2014 को प्रभावी किया गया। दोनों इकाइयों का एफ.टी.ओ. लंबित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद 15 जुलाई 2015 को प्रभावी किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि पी.टी.ओ., राजस्व कमाकर ब्याज का भार हल्का करने के लिए किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी ने पी.टी.ओ. लंबित कार्य की पूर्णता सुनिश्चित किए बिना अनुमत कर दिया और ठेकेदार का पक्ष लिया।

2.1.8.5 रोटर में कमी के कारण इकाई-II का अनिवार्य शटडाउन

इकाई-II में 7 मार्च 2011 से 17 अगस्त 2013 के दौरान बार-बार ट्रिपिंग के कारण, 12 अक्तूबर 2013 को इसका शटडाउन बाध्य हो गया। पी.टी.ओ. के लंबित होते, आर. इन्फ्रा अपेक्षित मरम्मत करने के लिए बाध्य थी। तथापि, आर. इन्फ्रा/एस.ई.सी. ने कार्य 6 जनवरी 2014 को करीब तीन मास की देरी के बाद शुरू किया। मरम्मत करते समय यह पाया गया कि टर्बाइन का एच.आई.पी. रोटर मुड़ा हुआ था और केवल ओ.ई.एम. वर्क्स शंघाई में मरम्मत किया जा सकता था। अत्यधिक विद्युत मांग के चलते, कंपनी ने समुद्र की बजाय, हवाई मार्ग से ₹ 10.65 करोड़ की लागत पर इसे परिवहन करके रोटर की मरम्मत करवाने का निर्णय लिया (28 जनवरी 2014)। कंपनी को ₹ 8.34 करोड़ मूल्य के समुद्री और हवाई किराए का अंतर वहन करना पड़ा।

पुनः, कंपनी द्वारा आर. इन्फ्रा के साथ मामले के समाधान हेतु लिए गए 108 दिनों (दिनांक 12 अक्तूबर 2013 से 28 जनवरी 2014) के अत्यधिक समय के कारण 78 दिनों (मामले के समाधान के लिए 30 दिनों का समय देने के बाद) के दौरान 1,123.2 एम.यूज के उत्पादन की हानि और ₹ 126.70 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली हुई।

सरकार तथा प्रबंधन ने बताया कि देरी अपेक्षित अनुमोदनों में हुई अपरिहार्य प्रक्रियात्मक विलंबों के साथ-साथ ठेकेदार के प्रभार्य आधार पर मरम्मत करने की जिद के कारण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रक्रियात्मक विलंबों के कारण मरम्मत में देरी हुई थी तथा साथ ही कंपनी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

2.1.9 खरीद, परिवहन और ईंधन का उपभोग

प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट को कोल लिंकेज (कोयले की आपूर्ति का स्रोत और प्रमात्रा) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) की स्टैडिंग लिंकेज समिति (एस.एल.सी.) द्वारा अनुमोदित की गई थी। अनुमोदित कोल लिंकेज के आधार पर कंपनी ने डी.सी.आर.टी.पी.पी. के मामले में सैंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सी.सी.एल.) के साथ और आर.जी.टी.पी.पी. के मामले में नार्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एन.सी.एल.), ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (ई.सी.एल.), महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (एम.सी.एल.) एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ.एस.ए.) पर हस्ताक्षर किए थे। स्थानीय स्रोत के कोयले के साथ आयतित कोयले को मिलाकर इसकी जी.सी.वी. सुधारने के लिए 2010-15 के दौरान

मैसर्ज पी.ई.सी. लिमिटेड और एम.एस.टी.सी. लिमिटेड (भारत सरकार के पी.एस.यूज़) से उच्च जी.सी.वी. वाला आयातित कोयला भी खरीदा।

इस बारे में लेखापरीक्षा परिणाम नीचे चर्चित हैं:

2.1.9.1 लोडिंग और अनलोडिंग प्वायंट्स पर जी.सी.वी. में भिन्नताओं के कारण कोयले की खरीद पर अतिक्ति व्यय

जी.सी.वी. के आधार पर कोयले को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कोयले का मूल्य कोयले की श्रेणी पर निर्भर करता है। एफ.एस.ए. के अनुसार, विक्रेता को प्रत्येक कोयला खान के लिए एक श्रेणी घोषित करनी होती है जहां से कोयला प्रेषित किया जाता है। विक्रेता सर्वप्रथम आपूरित कोयले के लिए घोषित श्रेणी के आधार पर स्रोत-वार बिल प्रस्तुत करता है। बाद में, कोयले की वास्तविक गुणवत्ता के अनुसार आधार-मूल्य पर पहुंचने के लिए कोयले की जी.सी.वी. लोडिंग सीमा पर निर्धारित की जाती है और अंतरीय श्रेणी गिरावट (अर्थात् कोयले की घोषित श्रेणी और विश्लेषित श्रेणी के आधार-मूल्य के बीच का अंतर यदि कोई हो) के लिए श्रेय विक्रेता द्वारा दिया जाना था। एफ.एस.ए. में अनलोडिंग छोर पर कोयले की जी.सी.वी. के परीक्षण हेतु किसी प्रावधान के अभाव में, लोडिंग छोर और अनलोडिंग छोर के बीच श्रेणी गिरावट हेतु श्रेय उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप यदि प्लांट पर प्राप्त किए कोयले की जी.सी.वी. लोडिंग छोर पर जी.सी.वी. से कम हो तो प्लांट्स को निम्न श्रेणी के कोयले के लिए उच्चतर दरें अदा करनी पड़ती हैं।

डी.सी.आर.टी.पी.पी.

जनवरी 2013 से दिसंबर 2014 के दौरान नमूना-जांच किए 1,172 रेक्स की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 679 रेक्स में अनलोडिंग छोर पर जी.सी.वी. लोडिंग छोर से कम थी। लोडिंग छोर पर जी.सी.वी. 4,841 से 5,344 तथा अनलोडिंग छोर पर 3,517 से 5,050 के बीच रही। लोडिंग छोर पर जी.सी.वी. की तुलना में अनलोडिंग छोर पर जी.सी.वी. में भिन्नता 88 के.सी.ए.एल./के.जी से 1,502 के.सी.ए.एल./कि.ग्रा. की सीमा के बीच रही। इसके परिणामस्वरूप 2013-14 के दौरान उत्पादन की लागत ₹ 0.25/के.डब्ल्यू.एच.[6] तक बढ़ने के साथ-साथ जनवरी 2013 से दिसंबर 2014 के दौरान ₹ 152.22 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान फलित हुआ।

आर.जी.टी.पी.पी.

अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के दौरान, जांच किए गए रेक्स की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि अनलोडिंग छोर पर जांचे गए कुल 1,519 रेक्स में से 1,463 रेक्स में जी.सी.वी. कम पाई गई। जी.सी.वी. लोडिंग छोर पर 3,655.41 से 5,091.92 की सीमा में और अनलोडिंग छोर पर 2,545.09 से 3,834.10 के बीच रही। अनलोडिंग छोर पर जी.सी.वी. में विभिन्नता लोडिंग छोर पर जी.सी.वी. की तुलना में 710.57 के.सी.ए.एल./कि.ग्रा. से 2,115.79 के.सी.ए.एल./कि.ग्रा. के बीच रही। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के दौरान आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 414.91 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ और 2013-14 एवं 2014-15 के लिए क्रमश: ₹ 0.34/के.डब्ल्यू.एच. और ₹ 0.51/के.डब्ल्यू.एच से उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।

[6] जी.सी.वी. में अंतर के कारण प्लांट द्वारा वहन की गई अतिरिक्त लागत को निवल उत्पादित विद्युत से विभक्त करके।

उत्पादन की इस अधिक लागत से उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझा पड़ा क्योंकि उन्हें उच्चतर टैरिफ अदा करनी पड़ी। कंपनी ने यह मामला राज्य सरकार के माध्यम से कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, के साथ नहीं उठाया था। सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि मामला केंद्र सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया था परंतु कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ और कंपनी ने मार्च 2015 से थर्ड पार्टी सैंपलिंग को नियुक्त किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को भारी वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मामला निपटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे।

2.1.9.2 श्रेणी गिरावट पर परिहार्य व्यय

विश्लेषित गुणवत्ता/श्रेणी के अनुसार कोयले की लागत के समायोजन के लिए, कोयला कंपनियां केवल कोयले के आधार-मूल्य में अंतर की सीमा तक ही श्रेय गिरावट पर श्रेय देती हैं। कोयला कंपनियों ने कोयले की घोषित श्रेणी और विश्लेषित श्रेणी के आधार-मूल्य में अंतर के कारण सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, उच्च शिक्षा उपकर और केंद्रीय बिक्री कर पर डी.सी.आर.टी.पी.पी./आर.जी.टी.पी.पी. द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एफ.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार, कोयले की श्रेणी की सैंपलिंग और विश्लेषण उसके प्रेषण के 4-5 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना था और चालन/बिल कोयला कंपनियों द्वारा डिलीवरी के सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करना था। तदनुसार, बिलिंग कोयले की वास्तविक/विश्लेषित श्रेणी के आधार पर उसके परिणामों की प्राप्ति के बाद की जा सकती थी। फिर भी, विश्लेषण के परिणाम की प्राप्ति से पहले ही कोयले की बिलिंग घोषित श्रेणी के आधार पर की गई। परिणामस्वरूप, कंपनी को वैधानिक शुल्क के तौर पर ₹ 4.68 करोड़ (₹ 3.75 करोड़ डी.सी.आर.टी.पी.पी. और 0.93 करोड़ आर.जी.टी.पी.पी.) का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि दावे एफ.एस.ए. के अनुसार दर्ज किए गए थे और अब मामला केंद्रीय उत्पाद कर के अस्थाई निर्धारण के लिए उठाया जाएगा।

2.1.9.3 एफ.एस.ए. के अनुसार वैधानिक प्रभारों और कम लोडिंग के कारण प्रमात्रा अंतर की प्रतिपूर्ति न होने के कारण अतिरिक्त व्यय

कोयला कंपनियां डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. को कोयले की आपूर्ति रेलवे के माध्यम से करती हैं और रेलवे-भाड़ा वैगन की लदान क्षमता के अनुसार प्रभारित करती हैं। लदान क्षमता से कम लोडिंग पर होने वाले व्यर्थ भाड़ा प्रभार कोयला कंपनियों द्वारा प्रतिपूरित किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भाड़ा प्रभारों में मूल किराया, डायनिमिक मूल्य प्रभार (डी.पी.सी.), विकास सरचार्ज (डी.एस.) और उस पर सेवाकर शामिल थे। कम लोडिंग के मामले में, डी.सी.आर.टी.पी.पी./आर.जी.टी.पी.पी., डी.पी.सी., डी.एस. और सेवाकर के साथ-साथ व्यर्थ भाड़े का दावा कोयला कंपनी से करती है। तथापि, कोयला कंपनियां केवल मूल भाड़े के लिए ही श्रेय देती हैं।

पुनः आइडल भाड़े के लिए मानी गई कम लोडिंग प्रमात्रा एफ.एस.ए. के अनुसार अनुमत प्रमात्रा से भी कम थी। मई 2015 को, कम लोडिंग, डी.पी.सी., डी.एस., सेवाकर इत्यादि के तौर पर कुल बकाया दावे, जो 2010-15 अवधि के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों से वसूलनीय थे, ₹ 25.87 करोड़ (डी.सी.आर.टी.पी.पी. ₹ 7.49 करोड़ और आर.जी.टी.पी.पी. ₹ 18.38 करोड़) थे।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि मामला कोयला कंपनियों के साथ उठाया गया है। और कोयला कंपनियों को कम लोडिंग घटाने के लिए कहा गया है।

2.1.9.4 वैधानिक प्रभारों का परिहार्य भुगतान और बढ़े माप के पत्थरों के लिए दावे प्रस्तुत करने में विलंब

कोयला कंपनियों से कोयले की आपूर्ति प्राप्त करते समय कुछ मात्रा पत्थर की भी प्राप्त होती है। एफ.एस.ए./मैमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू.) के अनुसार अधिक आकार के पत्थरों (250 एम.एम. से ऊपर) की मात्रा के लिए रेलवे भाड़ा एवं वैधानिक प्रभारों (रायल्टी, उपकर, शुल्क, कर, उद्ग्रहण इत्यादि) को छोड़कर, भारित औसत के अनुसार आधार-मूल्य तथा अन्य प्रभारों, की प्रतिपूर्ति करने के लिए कोयला कंपनियां उत्तरदायी थी। इस प्रकार, प्लांट्स द्वारा वैधानिक प्रभारों और रेलवे भाड़े का भुगतान किया जाना था जिसकी प्रतिपूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा नहीं होनी थी। पत्थर पर इन प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए प्लांट्स द्वारा कोयला संचालन एजेंट[7] की सहायता से कोयले के साथ आने वाले पत्थर की प्राप्ति कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने अपेक्षित थे।

डी.सी.आर.टी.पी.पी.

प्लांट ने कोयला संपादन एजेंट के कार्य-क्षेत्र में पत्थर की प्राप्ति कम से कम करने का दायित्व शामिल नहीं किया था। अप्रैल 2010 से नवंबर 2014 के दौरान 30,467.47 एम.टी. पत्थर (250 एम.एम. से ऊपर) सी.सी.एल. से प्राप्त हुआ था जो कोयला आपूर्ति का 0.36 प्रतिशत परिकलित हुआ। परिणामत: प्लांट को अधिक बड़े पत्थरों पर भुगतान किए वैधानिक प्रभारों के कारण ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

आर.जी.टी.पी.पी.

आर.जी.टी.पी.पी. में कोयला संपादन एजेंट के कार्यक्षेत्र में पत्थर की प्राप्ति कम से कम करने के दायित्व को शामिल नहीं किया गया था। इसे ₹ 0.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय (जुलाई 2011 से जुलाई 2012 के दौरान एन.सी.एल. से 0.15 करोड़ और मई 2014 से मार्च 2015 के दौरान बी.सी.सी.एल. के मामले में ₹ 0.38 करोड़) अधिक बड़े पत्थरों पर भुगतान किए वैधानिक प्रभारों के एवज में वहन करना पड़ा।

पुन:, आर.जी.टी.पी.पी. ने जुलाई 2011 से जुलाई 2012 के दौरान एन.सी.एल. से कोयले के साथ-साथ 4,283.78 एम.टी. पत्थर प्राप्त किए। पत्थर के निर्धारण के बारे में कोयला कंपनी को आगामी मास की 15 तारीख से पहले सूचित करना था। तथापि, आर.जी.टी.पी.पी. ने पत्थरों की मात्रा के बारे मे (2 सितंबर 2013) सूचित किया और जुलाई 2011 से जुलाई 2012 से संबंधित 0.54 करोड़ का दावा एन.सी.एल. को 12 से 24 मास की देरी से प्रस्तुत किया। एन.सी.एल. ने दावा अस्वीकार कर दिया जो अभी भी (जून 2015) बकाया था।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया तथा बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुरूप सीमित करने का खंड कोयला संपादन एजेंट के अनुबंधों में डाल दिया गया है।

[7] कोयला संचालन एजेंट की नियुक्ति कंपनी द्वारा कोयला कंपनियों और रेलवे के मध्य संयोजन तथा लिंकेज के मूर्तरूप में सुधार के लिए की जाती है।

2.1.9.5 कोयले की अत्यधिक पारगमन हानियां

विभिन्न कोयला खानों से कोयला डी.सी.आर.टी.पी.पी./आर.जी.टी.पी.पी. को रेलवेज विभिन्न रेल पथों से भेजता है। पिट हैड (कोयला खान) से आपूरित और थर्मल पावर प्लांट में प्राप्त कोयले में अंतर पारगमन हानि है। एच.ई.आर.सी. द्वारा दोनों प्लांट्स के संबंध में निर्धारित मानक वर्ष 2010–12 के लिए तथा 2012–15 के दौरान कुल कोयला आपूर्ति का क्रमशः 1 और 1.5 प्रतिशत था। अत्यधिक पारगमन हानियां विद्युत प्लांट्स की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं।

डी.सी.आर.टी.पी.पी.

2010–13 के दौरान, पारगमन हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों से अधिक थीं और 2.80 प्रतिशत से 7.17 प्रतिशत की सीमा में रहीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 83.10 करोड़ मूल्य के 2.98 लाख एम.टी. कोयले की हानि हुई।

आर.जी.टी.पी.पी.

2010–13 के दौरान, पारगमन हानियां अधिक थीं और 6.93 प्रतिशत से 10.92 प्रतिशत की सीमा में रही। परिणामस्वरूप ₹ 116.48 करोड़ मूल्य के 4.23 लाख एम.टी. कोयले की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि कोयला संपादन एजेंट के साथ अनुबंध में, 3 प्रतिशत से अधिक पारगमन हानियों के मामले में जुर्माने का प्रावधान था, जबकि एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत मानक पारगमन हानियां 1 से 1.5 प्रतिशत की सीमा में थीं। परिणामस्वरूप कंपनी को कोयला एजेंट की नियुक्ति के बावजूद अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि कोयला संपादन एजेंट के हाल में दिए कार्य आदेश में पारगमन हानियों के लिए मानक/मानदंड एच.ई.आर.सी. आदेशों के अनुरूप 1.5 प्रतिशत रखे गए हैं।

2.1.9.6 लाभदायी कोयले का क्रय न करना

लाभदायी कोयला 20 से 22.5 प्रतिशत तक परिवहन लागत बचाने और कोयले की बेहतर गुणवत्ता देने के साथ जी.सी.वी. में सुधार करता है तथा प्लांट के रख–रखाव को भी कम करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई. एंड एफ.), भारत सरकार ने अधिसूचित किया (सितंबर 1997) कि पिटहैडस से 1,000 के.एमज से अधिक दूरी पर स्थित थर्मल प्लांट्स को, वार्षिक आधार पर, 34 प्रतिशत तक सीमित राख प्रतिशतता वाला लाभदायी कोयला (जून 2002 से) प्रयोग करना चाहिए। लाभदायिता के लाभों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आर.जी.टी.पी.पी. के लिए एम.सी.एल. द्वारा आपूरित कोयले की लाभदायिता आरंभ कर दी (मार्च 2011)। एफ श्रेणी के 5.55 एम.टी.पी.ए. कोयले की धुलाई के लिए कार्य आदेश चार आपूरकों[9] को दिए गए (मार्च 2011)। आपूरकों ने जून 2011 से मई 2012 के दौरान

[8] लाभदयिता कोयले से धूल, पत्थर और शैल्ज को हटाने के लिए वाशरीज पर घटिया गुणवत्ता के कच्चे कोयले की धुलाई और कोयले को उपयुक्त आकार में काटने की प्रक्रिया है।

[9] मैसर्ज ग्लोबल कोल फील्डज लिमिटेड एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज भाटिया कोल वाशरीज लिमिटेड, मैसर्ज गुप्ता ग्लोबल रिसोर्सिज लिमिटेड और ए.सी.बी. इंडिया लिमिटेड।

केवल 1.49 एम.टी. की ही आपूर्ति की। उसके बाद लाभदायी कोयले के प्रयोग के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। इस प्रकार, 2010-15 के दौरान कच्चे कोयला लिंकेज की पूरी मात्रा को लाभदायी कोयले के तौर पर प्रयुक्त करने की कंपनी की विफलता के कारण ₹ 0.14 प्रति के.डब्ल्यू.[10] की दर पर परिकलित/विचारित ₹ 517.54 करोड़ की बचत का लाभ नहीं उठाया जा सका और इसके अतिरिक्त एम.ओ.ई. एंड एफ. के निर्देशों की अनुपालना भी नहीं हुई।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि कंपनी का विचार था कि रन-आफ माइन्ज (आर.ओ.एम.) कोयला केवल सरकारी स्वामित्व वाली वाशरीज द्वारा ही लाभदायी बनाया जाना चाहिए और सरकार वाशरीज की अनुपलब्धता के कारण कोयले को लाभदायी नहीं बनाया जा सका। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि मामला कोयला कंपनियों के साथ उठाया गया है और लाभदायी कोयले की आपूर्ति के लिए उनके द्वारा वाशरीज की स्थापना की जाएगी। परंतु तथ्य रह जाता है कि कंपनी एम.ओ.ई. एंड एफ. के निर्देशों की अनुपालना करने तथा साथ ही लाभदायी कोयला प्रयुक्त करने पर होने वाले विचारित बचतों का फायदा उठाने में विफल रही।

2.1.9.7 एम.सी.एल. के साथ एफ.एस.ए. के अनिष्पादन के परिणामस्वरूप पत्थर के एवज में तथा प्रमात्रा की कम प्राप्ति पर आधारित दावों के अनिपटान

18 अक्तूबर 2007 को कोयला मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कोयला वितरण नीति के अंतर्गत, मानकीय आवश्यकता की मात्रा का शत-प्रतिशत कोयला कंपनियों द्वारा एफ.एस.ए. के माध्यम से आपूरित किया जाना था। कंपनी यह आपूर्ति 31 मार्च 2013 तक मैमोरैंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू.) के माध्यम से प्राप्त करती रही थी। पहला एम.ओ.यू. 30 नवंबर 2009 को आर.जी.टी.पी.पी. को कोयले की आपूर्ति के लिए महानदी कोल फील्डज (एम.सी.एल.) लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। उसके बाद, कंपनी ने हस्ताक्षरित/समय-समय पर बढ़ाई गई एम.ओ.यूज के आधार पर 31 मार्च 2013 तक कोयले की आपूर्ति प्राप्त करना जारी रखा।

यह देखा गया कि 30 नवंबर 2009 और 21 मई 2010 को हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. में एक खंड था कि एम.ओ.यू. के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें एफ.एस.ए. के अनुमोदित प्रारूप-माडल (3 जुलाई 2008) के अनुरूप होनी चाहिए। तथापि, ये नियम व शर्तें 30 अगस्त 2010 और 6 अप्रैल 2012 के बीच हस्ताक्षरित/बढ़ाए गए एम.ओ.यूज में शामिल नहीं की गई थीं।

आर.जी.टी.पी.पी. ने जून 2010 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए मॉडल एफ.एस.ए. के अनुसार पत्थर, कम प्राप्ति और कम लोडिंग के एवज में ₹ 56.04 करोड़ के मूल्य के दावे एम.सी.एल. को प्रस्तुत किए परंतु ये 30 अगस्त 2010 और 6 अप्रैल 2012 के बीच किए गए/बढ़ाए गए एम.ओ.यूज में मॉडल एफ.एस.ए. के मानक नियम एवं शर्तों के शामिल न होने के कारण स्वीकृत नहीं किए गए। इस प्रकार, आर.जी.टी.पी.पी. व्यर्थ भाड़ा और कम आपूर्ति इत्यादि के ₹ 56.04 करोड़ मूल्य के दावे वसूल करने में असमर्थ रहा।

[10] लाभदायी कोयले की खरीद के लिए उच्च शक्ति क्रय समिति को प्रस्तुत विचारित लाभों के आधार पर कंपनी द्वारा परिकलित।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि खंड को कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के अनुरोध पर हटाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी को मामला भारत सरकार के साथ उठाना चाहिए था।

2.1.9.8 ई.सी.एल. द्वारा लगाए जुर्माने पर परिहार्य व्यय

ई.सी.एल. के साथ एफ.एस.ए. के अनुसार, यदि क्रेता/विक्रेता वार्षिक अनुबंध मात्रा (ए.सी.क्यू.) की 65 प्रतिशत तक की मात्रा लेने/देने में विफल रहता है तो चूककर्ता पार्टी लेने/देने, जो भी मामला हो, में ऐसी कमी के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आर.जी.टी.पी.पी. ने विभिन्न कोयला कंपनियों से कोयला लेने की योजना इस प्रकार नहीं बनाई थी कि जुर्मानों के परिहार के लिए आवश्यक न्यूनतम मात्रा उठा ली जाए। सितंबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान आर.जी.टी.पी.पी. ने 2.85 लाख एम.टी. (4.39 लाख एम.टी. के ए.सी.क्यू. का 65 प्रतिशत) के विरूद्ध ई.सी.एल. से 0.82 लाख एम.टी. कोयला लिया जो ए.सी.क्यू. का 18.7 प्रतिशत था। तथापि, इसने अप्रैल 2013 से दिसंबर 2013 के दौरान एन.सी.एल. से 10.61 लाख एम.टी. (नौ मास के लिए 15.72 लाख एम.टी. के ए.सी.क्यू. का 90 प्रतिशत) के विरूद्ध 12.37 लाख एम.टी. लिया जो ए.सी.क्यू. का 104.92 प्रतिशत था। इस प्रकार, 1.76 लाख एम.टी. (12.37 लाख एम.टी.-10.61 लाख एम.टी.) अधिक उठाया गया। लेकिन ई.सी.एल. से 2.03 लाख एम.टी. (2.85 लाख एम.टी.-0.82 लाख एम.टी.) कम उठाने के कारण, आर.जी.टी.पी.पी. को ₹ 18.20 करोड़ के जुर्माने का भुगतान करना पड़ा। यदि आर.जी.टी.पी.पी. ने ई.सी.एल. से कम से कम 1.76 लाख एम.टी. लिया होता, तो यह ₹ 15.78 करोड़ के जुर्माने का परिहार कर सकता था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में तर्क दिया कि ई.सी.एल. से अनलोडिंग छोर पर प्राप्त कोयले के जी.सी.वी., बिल किए गए श्रेणी के जी.सी.वी. जो 4,000 के.सी.ए.एल./कि.ग्रा. था, से भिन्न था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ई.सी.एल. कोयला की लैंडिड कोस्ट एम.सी.एल. और एन.सी.एल. से आपूरित कोयले की तुलना में अधिक थी तथा कंपनी ने ई.सी.एल. और एन.सी.एल. की लैंडिड कोस्ट के आधार पर ₹70 करोड़ बचाए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी की बचतों का तर्क ई.सी.एल. से प्राप्त कोयले की गुणवत्ता को नजरअंदाज करके केवल कोयले को लाने की लागत पर आधारित था। जहां तक ई.सी.एल. से आपूरित कोयले की जी.सी.वी. में भिन्नता का संबंध हैं, कंपनी को यह मामला उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाना चाहिए था। तथापि, तथ्य रह जाता है कि कंपनी ने यदि ई.सी.एल. से कम से कम 1.76 लाख एम.टी. कोयला लिया होता तो यह ₹ 15.78 करोड़ के जुर्माने का परिहार कर सकती थी।

2.1.10 माल सूची प्रबंधन

2.1.10.1 अधिक माल सूचियां बनाम मानक

परिचालन गतिविधियों के लिए स्पेयर्ज भंडार तथा अन्य माल की आवश्यकता देशी और विदेशी खरीदों के माध्यम से पूरी की जाती है। कंपनी के खरीद मैनुअल के अनुसार माल की खरीद न्यूनतम आवश्यकता तक सीमित करनी चाहिए ताकि स्टॉक उपभोग के लिए तुरंत उपलब्ध होने के साथ-साथ अधिक स्टॉक का भी परिहार किया जा सके। एच.ई.आर.सी. ने 2010-15 के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. के लिए माल सूची (प्लांट के साथ आपूरित ओ.ई.एम.

सिफारिशों के अनुसार अनिवार्य स्पेयर्ज को छोड़कर) की मानक सीमा ₹ 18 करोड़ और ₹ 7.23 करोड़ के बीच तथा आर.जी.टी.पी.पी. में ₹51.18 करोड़ और ₹ 7.26 करोड़ के बीच नियत की थी।

डी.सी.आर.टी.पी.पी. में, 2010-15 के दौरान माल सूची का वास्तविक अंतिम स्टॉक ₹ 56.59 करोड़ से ₹ 67.24 करोड़ के बीच सीमित रहा जो मानक स्टाक सीमा से 2.5 से 7.9 गुणा की सीमा तक अधिक था। आर.जी.टी.पी.पी. में वास्तविक अंतिम स्टॉक उसी अवधि के दौरान ₹ 104.24 करोड़ से ₹ 166.99 करोड़ की सीमा में था जो मानक स्टॉक सीमा से 1.15 से 22 गुणा तक अधिक था। इस प्रकार, कंपनी की निधियां उस सीमा तक अवरूद्ध रही। खरीदे गए तथा भंडार में पड़े उच्च मूल्य के स्पेयर्ज के संबंध में, 31 मार्च 2015 को ₹ 15.32 करोड़ (आर.जी.टी.पी.पी. की 11.21 करोड़ और डी.सी.आर.टी.पी.पी. की 4.11 करोड़) मूल्य की माल सूची दो सालों से अप्रयुक्त पड़ी थी।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि काफी अधिक माल सूचियां शिपिंग विलंबों के परिहार के लिए रखनी पड़ती हैं। तथापि, तथ्य रहता है कि माल सूची स्टाक मानकों से अधिक रहा और कंपनी एच.ई.आर.सी. को उच्चतर माल सूची मानकों पर विचार करने के लिए मनवा नहीं सकी।

2.1.10.2 खरीद प्रक्रिया

कंपनी के क्रय विनियमनों के विनियम 6.2 में प्रावधान है कि सभी खरीदों के लिए खुले टेंडर आमंत्रित करने है सिवाय उन मदों के जिनके लिए कंपनी अन्यथा निर्णय ले। आपूरकों द्वारा कार्टेल बनाने की संभावना हटाने तथा उनको भंडारों की प्रोप्राइटरी प्रकृति का अनुचित लाभ लेने से रोकने के लिए, हरियाणा सरकार के मार्गनिर्देश (मई 2010) वैकल्पिक उत्पादों का प्रयोग निर्धारित करती है। वैकल्पिक उत्पादों के प्रयोग की संभावना खोजने के लिए मार्गनिर्देशों ने विशेषज्ञ समितियों के गठन के निर्देश दिए। मार्गनिर्देशों ने इस प्रकार की प्रोप्राइटरी मदों की आपूर्ति के संबंध में प्रतियोगिता का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापक टेंडर आमंत्रित करने भी निर्धारित किए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने खरीद करने हेतु भंडारों की प्रकृति निर्धारित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया जैसे कि वे प्रोप्राइटरी प्रकृति के थे या नहीं। डी.सी.आर.टी.पी.पी. ने 2010-15 के दौरान ₹ 148.58 करोड़ की खरीद की जिसमें से ₹ 108.36 करोड़ (73 प्रतिशत) मूल्य की खरीद उन भंडारों की थी जो प्रोप्राइटरी प्रकृति के थे (सीमित निविदा या एकल निविदा आधार पर खरीदे हुए) और ₹ 38.78 करोड़ (27 प्रतिशत) की खरीद खुली निविदा आधार पर की गई थी जबकि आर.जी.टी.पी.पी. ने 2010-15 के दौरान ₹ 292.77 करोड़ की खरीद की जिसमें से ₹ 238.77 करोड़ (82 प्रतिशत) प्रोप्राइटरी प्रकृति के भंडार की (सीमित निविदा आधार पर खरीदे) और ₹ 52.42 करोड़ (18 प्रतिशत) मूल्य की खरीद खुली निविदा के आधार पर थी। सीमित निविदा आधार पर प्रोप्राइटरी प्रकृति वाले भंडार की उच्च मात्रा की खरीद, पहले उसकी प्रकृति का निर्णय किए बिना करना, कंपनी के खरीद मैनुअल के और राज्य सरकार के मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में थी।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि खरीदे गए हिस्सों के विस्तृत ड्राईंग्स की अनुपलब्धता के कारण यह खरीद प्रोप्राइटरी आधार पर करने पड़े और अब कंपनी ने वेंडर

डेवलपमेंट की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। तथ्य रहता है कि कंपनी ने खरीद करने हेतु भंडारों की प्रकृति निर्धारित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। जहां तक, खरीद करने हेतु पार्टों की विस्तृत ड्राईंग्ज की अनुपलब्धता का संबंध है, अनुबंधों के हिस्से के रूप में वचनबद्ध होने के बावजूद कंपनी ने उनकी आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं पर दबाव नहीं डाला।

2.1.10.3 सी.एम.आई.एम.एस. के प्रयोग में विलंब के कारण निष्फल व्यय

कंप्यूटरीकृत रख-रखाव तथा माल प्रबंधन प्रणाली (सी.एम.आई.एम.एस.) आर.जी.टी.पी.पी. में परियोजना के बॉयलर-टर्बाईन-जेनरेटर पैकेज के अधीन टर्नकी कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रदान किया जाना था जिसमें ₹ 6.40 करोड़ लागत के हार्डवेयर-सर्वर, क्लाईट पी.सी. इत्यादि तथा साफ्टवेयर-एम.एस.आफिस, एडोबी रीडर और सी.एम.आई.एम.एस. एप्लीकेशन साफ्टवेयर 'एवान्टीज प्रो' हों। पूरे माल की आपूर्ति ई.पी.सी. ठेकेदार द्वारा नवंबर 2009 में की गई थी जिसके लिए भुगतान दिसंबर 2009 में, एफ.टी.ओ. के समय देय ₹ 0.64 करोड़ अवरोधन धन की कटौती के बाद किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि इकाई-I और II 2011 से परिचालन में थे परंतु सी.एम.आई.एम.एस. अभी तक कस्टमाईजेशन[11] न होने के कारण परिचालित नहीं किया गया था (जून 2015)। कंपनी ने ई.पी.सी. ठेकेदार से इसके आगामी बिलों में से सी.एम.आई.एम.एस. के अपरिचालन के कारण भुगतान की कटौती अभी (नवंबर 2015) तक नहीं की थी। सी.एम.आई.एम.एस. के अप्रयोग के कारण, इसके द्वारा करने के लिए विचारित कार्य, मैनुअली किया जा रहा था और इसपर ₹ 5.76 करोड़ का व्यय निष्फल रहा था।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में अपरिचालन को स्वीकारते हुए कहा कि परिचालन प्रभार ठेकेदार के बिलों से रोक लिए गए हैं और इसे प्रयोग करने के प्रयास किए जा रहे थे।

2.1.11 पर्यावरण संरक्षण उपाय

2.1.11.1 एम.ओ.ई. एंड एफ. मार्गनिर्देशों के अनुसार शुष्क फ्लाई ऐश का अप्रयोग

ई.पी.सी. अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार, आर. इन्फ्रा द्वारा दो प्रणालियों वाला ऐश हैंडलिंग प्लांट (ए.एच.पी.) स्थापित करना था, एक चार धाराओं वाले शुष्क फ्लाई ऐश (80 प्रतिशत) के लिए और दूसरा गारेवाली गीली बॉटम ऐश (20 प्रतिशत) के लिए जिसे ऐश के तालाब में छोड़ा जाना था। शुष्क फ्लाई ऐश की निकासी ऐश सिलो[12] के माध्यम से होनी थी और निपटान एम.ओ.ई. एंड एफ. के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाना था। कंपनी शुष्क फ्लाई ऐश के उठाने और प्रयोग के लिए सीमेंट उत्पादक कंपनियों के साथ अनुबंध करती है तथा ऐसी निकासित शुष्क फ्लाई ऐश पर प्रशासनिक प्रभार एकत्रित करती है।

डी.सी.आर.टी.पी.पी. में शुष्क फ्लाई ऐश निकासी प्रणाली अपर्याप्त थी जिसके परिणामत: शुष्क रूप की बजाय गीले रूप में अधिक ऐश का उत्पादन हुआ जो पर्यावरण के लिए नुकसान का कारण

[11] कस्टमाईजेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक मानक उत्पाद/साफ्टवेयर, संगठन की निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाता है।

[12] ऐश सिलोज ऐश की निकासी के लिए स्टोरेज टैंक है।

था। यह अपर्याप्तता इस तथ्य से प्रतिबिंबित होती है कि उत्पादित 23.00 लाख एम.टी. फ्लाई ऐश से प्लांट 2010-15 के दौरान 7.33 लाख एम.टी. ही शुष्क रूप में निकाल सका जो उत्पादित ऐश की मात्रा का केवल 14 से 53 प्रतिशत था। इससे कंपनी ने उसी अवधि में ₹ 28.90 करोड़ कमाए। चूंकि शेष 15.67 लाख एम.टी. फ्लाई ऐश की शुष्क रूप में निकासी नहीं हो सकी, ₹ 61.76 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व उसी अवधि के दौरान कंपनी द्वारा नहीं कमाया जा सका।

आर.जी.टी.पी.पी. में दोनों इकाइयों के लिए शुष्क ऐश निकासी प्रणाली प्लांट के चालू होने की नियत तारीख से 11 मास के विलंब के बाद नवंबर 2011 में चालू की गई। निकासी प्रणाली के चालू होने के बाद भी अपर्याप्त निकासी[13] प्रणाली के कारण जनवरी 2012 से फरवरी 2014 के दौरान शुष्क रूप में ऐश की उत्पत्ति 2 से 36 प्रतिशत की सीमा में रही। कंपनी ने 54.01 लाख एम.टी. फ्लाई ऐश का उत्पादन किया जिसमें से 11.18 लाख एम.टी. शुष्क रूप में थी, जिसके विक्रय से कंपनी ने 2010-15 के दौरान ₹ 33.72 करोड़ कमाए। शेष 42.83 लाख एम.टी. फ्लाई ऐश की निकासी शुष्क रूप में नहीं की जा सकी और कंपनी उस अवधि में ₹ 140.23 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व नहीं कमा सकी। पुनः, अपर्याप्त शुष्क फ्लाई ऐश निकासी प्रणाली के कारण, ऐश का निपटान गीले रूप में करना पड़ा जिसके कारण ऐश डाईक[14] की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। ऐश डाईक की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य ₹ 25.04 करोड़ में दिया गया (11 फरवरी 2014) जो प्रगति में था (सितंबर 2015)। अनुबंध के अनुसार, ई.पी.सी. ठेकेदार प्लांट के परिचालन के लिए पर्याप्त मूलभूत संरचना उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी था, परंतु ऐश डाईक की ऊंचाई बढ़ाने की लागत आर. इन्फ्रा से वसूल नहीं की गई।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारा और कहा कि ऐश डाईक को आर. इन्फ्रा के जोखिम और लागत पर बढ़ाना विचाराधीन है।

2.1.11.2 उच्चतर दरों पर जल उपकर के निर्धारण के कारण अतिरिक्त व्यय और उस पर छूट का लाभ न उठाना

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 3 निर्धारित करती है कि यदि व्यक्ति अधिनियम की धारा 25 के किसी भी प्रावधानों और केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंडों की अनुपालना में विफल रहता है तो उपकर उच्चतर दरों पर देय होगा। पुनः, इस अधिनियम की धारा 7 अन्य बातों के साथ यह बताती है कि जहां कोई व्यक्ति सीवेज या व्यापारिक निकास-प्रवाह के ट्रीटमैंट के लिए कोई प्लांट लगाता है तो वह देय उपकर पर 25 प्रतिशत की छूट का हकदार होगा।

यह देखा गया कि चूंकि दोनों प्लांट एम.ओ.ई. एंड एफ., भारत सरकार की लाभदायी कोयले के प्रयोग की आवश्यकता की अनुपालना करने में विफल रहे जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 2.1.9.6 में चर्चा की गई है, उनपर जल उपकर उच्चतर दरों पर लगाया गया था। पुनः, कंपनी दोनों

13 शुष्क फ्लाई निकासी प्रणाली बाद में आर. इन्फ्रा द्वारा जनवरी 2014 और जून 2014 में अपनी लागत पर आवर्धित की गई।

14 ऐश डाईक पांच वर्षों के दौरान अनुमानित गीली ऐश उत्पादन के लिए ऐश गारा एकत्र करने हेतु निर्मित तालाब है।

प्लांट्स में निकास-प्रवाह ट्रीटमैंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट की परिस्थापन के बावजूद उपकर पर 25 प्रतिशत की छूट का लाभ नहीं उठा सकी। इसके परिणामस्वरूप 2010-15 के दौरान उच्चतर दरों पर उपकर के भुगतान तथा जल उपकर पर 25 प्रतिशत छूट का लाभ न उठाने के कारण ₹ 1.16 करोड़ (डी.सी.आर.टी.पी.पी. ₹ 0.61 करोड़ और आर.जी.टी.पी.पी. ₹ 0.55 करोड़) के उपकर का परिहार्य भुगतान हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पत्राचार किया गया परंतु वे छूट प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तथ्य रहता है कि कंपनी छूट प्राप्त करने के लिए मापदंडों को पूरा नहीं कर सकी।

2.1.12 आंतरिक नियंत्रण

2.1.12.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण यह समुचित आश्वासन प्रदान करने के लिए कि प्रबंधन उद्देश्य दक्षतापूर्ण और प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जा रहे है एक प्रबंधन यंत्र है। कंपनी द्वारा अपनाई गई आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की समीक्षा से प्रकट हुआ कि वे अपर्याप्त थे और अन्यत्र तथा नीचे इंगित कमियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के परिचालन के आकार के साथ पूर्ण नहीं थे।

- ई.पी.सी. अनुबंध शर्तें लागू नहीं की गई; ठेकेदार के साथ मामले के निपटान के लिए निर्णय में विलंब किए गए; घोषित श्रेणी के आधार पर कोयला कंपनियों द्वारा बिलिंग की प्रणाली नहीं बनाई गई; दावों की विलंबित प्रस्तुति; कोयला कंपनियों के साथ एफ.एस.ए. का निष्पादन न होना और अधिक माल सूचियां बनाया जाना;

- कंपनी द्वारा बैंक में माल-भाड़े का अग्रिम भुगतान करने हेतु अपरिवर्तनीय साखपत्र रखने के बावजूद दोनों प्लांट्स ने माल-भाड़े का अग्रिम भुगतान करने के लिए निधियों की सामयिक व्यवस्था न करने के कारण कोयले के परिवहन पर रेलवेज को ₹ 2.38 करोड़ (डी.सी.आर.टी.पी.पी. ₹ 0.82 करोड़ और आर.जी.टी.पी.पी. ₹ 1.56 करोड़) के परिहार्य माल-भाड़ा सरचार्ज का भुगतान किया।

इस अपर्याप्तता पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं पर अपनी रिपोर्ट में बार-बार टिप्पणी की गई थी। प्रबंधन ने बताया कि प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.1.12.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा सैल है तथा 2013-14 तक की लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी थी तथा 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा प्रगति में था (सितंबर 2015)। तथापि, लेखापरीक्षा जांच के क्षेत्र और सीमा तथा इसमें कवर किए जाने वाले क्षेत्रों को निर्धारण करने वाला कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल नहीं था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों ने प्रबंधन के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कोई प्रक्रियात्मक मामलों और हानियों को इंगित नहीं किया और मात्र भुगतानों और स्टोक्ज, अनियमित क्षुद्र खरीदों, हकदारी मामलों इत्यादि के पुर्नसमायोजन पर अभ्युक्तियों तक ही सीमित थे।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि मैनुअल अंतिम चरण पर है और यह आंतरिक लेखापरीक्षा को आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है।

निष्कर्ष

दोनों प्लांट्स 2010-15 के दौरान मानक पी.एल.एफ. प्राप्त करने में असमर्थ रहे। एच.ई.आर.सी. के मानकों से अधिक इनपुट के उपभोग तथा कोयले की अत्यधिक पारगमन हानियों के कारण बिजली उत्पादन की लागत बहुत अधिक थी। ई.पी.सी. ठेकेदार की सेवाएं त्रुटिपूर्ण थीं और कंपनी डी.सी.आर.टी.पी.पी. में अपूर्ण निर्माण कार्यों की लागत तथा प्लांट्स की ओवरहालिंग पर किए व्यय की वसूली न करके ई.पी.सी. ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान कर रही थी। प्लांट्स के बार-बार अनिवार्य रूप से बंद होने तथा रोटर्ज के क्षतिग्रस्त होने के परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि हुई। श्रेणी गिरावट, वैधानिक शुल्कों, पत्थरों के दावे और कोयला लिंकेज की कमजोर व्यवस्था के कारण कोयले की खरीद पर परिहार्य व्यय हुआ। दोनों प्लांट्स पर माल सूचियां भी एच.ई.आर.सी. मानकों से अधिक थीं। कंपनी ने अपने खरीद विनियमों तथा हरियाणा सरकार के मार्गनिर्देशों की उल्लंघना में, पहले ही उसकी प्रकृति का निर्णय किए बिना प्रोप्राइटरी प्रकृति के भंडार की खरीद सीमित टेंडर आधार पर की। प्लांट्स में आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियां थी।

सिफारिशें

कंपनी विचार कर सकती है कि वह:

i. सहायक विद्युत, कोयला, द्वितीयक ईंधन तेल के अधिक उपभोग को कम करने के उपाय करे;

ii. ई.पी.सी. अनुबंध की शर्तों को लागू करे और वारंटी अवधि के दौरान की गई मरम्मत की लागत की वसूली करवाए;

iii. श्रेणी गिरावट के दावे, पत्थर दावों और परिहार्य वैधानिक शुल्कों के भुगतान से संबंधित मामले निपटाने के लिए कोयला कंपनियों तथा कोयला मंत्रालय का अनुसरण करे;

iv. माल सूचियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखे तथा खरीदों को हरियाणा सरकार के विनियमों के अनुसार बनाए; तथा

v. अपने परिचालनों की प्रभावी निगरानी के लिए अपने आंतरिक नियंत्रणों और लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करे।

2.2 हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

कस्टम मिल्ड राइस

2.2.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार, दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) सहित अपनी पांच खरीद एजेंसियों[1] (पी.एज.) के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए धान प्राप्त करती है। धान सीधे ही मंडियों से मिलिंग के लिए मिलर्ज के परिसरों में भेज दिया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप बने चावल को कस्टम मिल्ड राइस (सी.एम.आर.) कहते हैं, जो सीधे ही भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को डिलीवर कर दिया जाता है। सा.क्षे.उ. अर्थात् हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) के कस्टम मिल्ड राइस से संबंधित परिचालनों को इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित किए गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं।

मुख्यांश

एच.ए.आई.सी. ने 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमश: 75 तथा 47 प्रतिशत मामलों में मापदण्डों के अनुसार मिलर्ज को धान आबंटित नहीं किया। इसी प्रकार, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने भी 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमश: 29 तथा 14 प्रतिशत मामलों में मापदण्डों के अनुसार मिलर्ज को धान आबंटित नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.6)

खरीफ मार्केटिंग सीजन (के.एम.एस.) 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान, 19 मिलर्ज जिन्हें 8.45 लाख क्विंटल धान आबंटित किया गया था, उनके द्वारा 1.64 लाख क्विंटल चावल डिलीवर नहीं किया गया तथा उनसे 30 सितंबर 2015 तक ₹ 52.06 करोड़ वसूलनीय थे।

(अनुच्छेद 2.2.7.1)

एफ.सी.आई. ने 2010-13 की अवधि के लिए ₹ 8.24 करोड़ के किए गए दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की क्योंकि खरीद एजेंसियां (पी.एज) अभिरक्षा तथा रख-रखाव प्रभारों पर किए गए व्यय के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकीं।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

धान की मिलिंग में देरी के कारण ₹ 0.93 करोड़ तथा एफ.सी.आई. को इस आशय के प्रमाण-पत्र कि ड्राईएज की राशि मिलर्ज को पी.एज द्वारा वास्तव में भुगतान कर दी गई थी, के प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण पी.एज ने ₹ 0.63 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.2.7.3 तथा 2.2.8.7)

[1] खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा मार्केटिंग संघ लिमिटेड (हैफेड), हरियाणा राज्य भण्डारण निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार संघ लिमिटेड (कॉनफेड)।

पी.एज में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी तथा यह उनके परिचालनों के आकार के अनुरूप नहीं थी। पी.एज के पास प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों का वर्णन करने के लिए कोई अकाउंटस मैनुअल नहीं था। एच.ए.आई.सी. ने राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में मिलर्ज के पास संयुक्त अभिरक्षा में रखे हुए चावल तथा धान के स्टाक का अनिवार्य भौतिक सत्यापन नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.10.1)

2.2.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

(i) पी.एज ने धान की खरीद तथा गतिविधि की लाभप्रदत्ता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया था;

(ii) राइस मिलर्ज को धान का आबंटन कुशलतापूर्वक किया गया था;

(iii) मिलिंग अनुबंध के निबंधन एवं शर्तें पूर्ण थी तथा उनकी विधिवत् अनुपालना की गई थी;

(iv) एफ.सी.आई. से वैधानिक तथा अन्य परिचालनात्मक प्रभारों की वसूली मापदण्डों के अनुरूप की गई थी; तथा

(v) पी.एज की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी थी।

2.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा जनवरी से अप्रैल 2015 के मध्य की गई थी तथा इसमें 2010-11 से 2014-15 तक के पांच वर्षो की अवधि को शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में दो पी.एज के मुख्यालय, एच.ए.आई.सी. के दस किसान सेवा केन्द्रों (एफ.एस.सीज) में से पांच किसान सेवा केन्द्र तथा धान परिचालनों में शामिल एच.एस.डब्ल्यू.सी. के बारह राजस्व जिला कार्यालयों में से पांच[2] राजस्व जिला कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल की गई थी।

हमने जनवरी 2015 में प्रबंधन के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस के दौरान दोनों पी.एज को लेखापरीक्षा उद्देश्य बताए। लेखापरीक्षा परिणाम राज्य सरकार तथा दोनों पी.एज (जुलाई 2015) के प्रबंधन को प्रतिवेदित किए गए थे तथा इन पर एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2015) में चर्चा की गई थी जिसमें दोनों पी.एज के विभागाध्यक्षों ने भाग लिया था। दोनों पी.एज के प्रबंधन के सरकार द्वारा समर्थित उत्तर (नवंबर तथा दिसंबर 2015) प्राप्त किए गए हैं तथा इस निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय शामिल किए गए हैं।

[2] समग्र राज्य के लिए धान की अधिकतम खरीद के आधार पर करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल तथा फतेहाबाद चुने गए थे। एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा की गई अधिकतम खरीद के आधार पर यमुनानगर चुना गया था।

2.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा परिणाम, लेखापरीक्षा मापदण्ड के विरूद्ध मूल्यांकित किए गए थे जो निम्नलिखित से लिए गए हैं:

(i) खरीद की गतिविधियों तथा धान की कस्टम मिलिंग के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार/एफ.सी.आई. द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश;

(ii) लागत, प्रासंगिक व्ययों तथा अंतरीय दावों की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार के अनुदेश;

(iii) राइस मिलर्ज के साथ पी.एज द्वारा किए गए मिलिंग अनुबंध; तथा

(iv) खरीदे गए/मिल्ड धान तथा डिलीवर किए गए चावल आदि के रिटर्नज/स्टाक अकाउंट।

2.2.5 लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.5.1 सी.एम.आर. गतिविधि का परिचालनात्मक निष्पादन

राज्य सरकार ने के.एम.एस. 2010-11 से के.एम.एस. 2013-14 के लिए दोनों पी.एज के लिए अलग-अलग राज्य में खरीदे गए कुल धान के 10 प्रतिशत के तथा के.एम.एस. 2014-15 के लिए दोनों पी.एज के लिए अलग-अलग 11 प्रतिशत के लक्ष्य निर्धारित किए। 2010-15 की अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए राज्य में 158.22 लाख एम.टी. धान खरीदा गया। इसमें से, 23.61 लाख एम.टी. तथा 12.95 लाख एम.टी. धान क्रमश: हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.)द्वारा खरीदा गया जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध है:

के.एम.एस.	नियत लक्ष्य[3] (एम.टी. में)	खरीदा गया वास्तविक धान (एम.टी. में)		एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी		एच.ए.आई.सी. द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी
		एच.एस.डब्ल्यू.सी.	एच.ए.आई.सी.	(एम.टी. में)	नियत लक्ष्यों से प्रतिशतता	
2010-11	248200	144943	293221	103257	42	शून्य
2011-12	293300	230880	385702	62420	21	शून्य
2012-13	384600	327572	598248	57028	15	शून्य
2013-14	357500	346435	588001	11065	3	शून्य
2014-15	328000	245247	496220	82753	25	शून्य
कुल	**1611600**	**1295077**	**2361392**	**316523**	**20**	

(स्रोत: कंपनी डाटा)।

धान परिचालनों का एजेंसीवार निष्पादन नीचे वर्णित है:

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

- मार्च 2015 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान एच.ए.आई.सी. (कंपनी) ने क्रमश: 2.93 लाख एम.टी., 3.85 लाख एम.टी., 5.98 लाख एम.टी., 5.88 लाख एम.टी. तथा 4.96 लाख एम.टी. धान खरीदा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में खरीद की प्रतिशतता 118 से 164 के मध्य रही।

[3] दोनों पी.एज के लिए लक्ष्य समान हैं।

- कंपनी ने 2013-14 तक के अपने लेखाओं का अंतिमकरण किया। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान, इसने क्रमश: ₹ 7.27 करोड़ तथा ₹ 8.15 करोड़ का शुद्ध लाभ सूचित किया जबकि 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान इसने ₹ 43.87 करोड़ तथा ₹ 44.64 करोड़ की हानि सूचित की। 2012-13 के दौरान हानि का मुख्य कारण खाद्यान्नों के स्टाक के धीमे परिसमापन के कारण ब्याज-लागत का ₹ 142.49 करोड़ से ₹ 230 करोड़ तक बढ़ जाना था जबकि 2013-14 के दौरान हानियों का मुख्य कारण गेहूं के स्टाक में क्षति थी। कंपनी ने अपनी खरीद गतिविधियों के लाभ/हानि को अलग से परिकलित नहीं किया, अत: धान परिचालनों की कार्यक्षमता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

एच.ए.आई.सी. ने बताया कि इसके द्वारा अलग से कोई कैश क्रेडिट (सी.सी.) लिमिट प्राप्त नहीं की गई थी और इसलिए धान गतिविधियों के लिए प्राप्त सी.सी. पर ब्याज घटक को अलग करना मुश्किल हो गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एच.एस.डब्ल्यू.सी. धान परिचालनों के लिए अलग लेखे का रख-रखाव कर रही थी तथा यही प्रक्रिया एच.ए.आई.सी. द्वारा भी अपनाई जा सकती थी।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

- 2010-15 के दौरान एच.एस.डब्ल्यू.सी. (निगम) ने 1.45 लाख एम.टी., 2.31 लाख एम.टी., 3.28 लाख एम.टी., 3.46 लाख एम.टी. तथा 2.45 लाख एम.टी. धान खरीदा। निगम ने 2014-15 तक पांचों वर्षों में राज्य सरकार द्वारा खरीद के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त नहीं किए थे तथा यह कमी 3 से 42 प्रतिशत के मध्य रही। चूंकि खरीदे गए धान की मात्रा में परिवर्तन होने के बावजूद स्थायी लागत वही रहती है, निगम को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने बताया कि उसको आबंटित मंडियों में धान के कम/न पहुंचने के कारण खरीद लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उन मंडियों में भी जो इसके और एच.ए.आई.सी. के साथ बांटी हुई थी तथा खरीद के लिए आबंटित दिनों की संख्या भी समान होने के बावजूद निगम द्वारा प्राप्त धान एच.ए.आई.सी. से काफी कम था।

- निगम ने 2013-14 तक के अपने लेखाओं का अंतिमकरण किया। सिवाय 2012-13 के निगम ने 2010-14 के दौरान ₹ 20.35 करोड़ से ₹ 28.48 करोड़ के मध्य लाभ (वैधानिक लेखापरीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के प्रभाव को छोड़कर) सूचित किया। यदि लेखाओं पर टिप्पणियों के प्रभाव पर विचार किया जाता तो लाभ ₹ 16.38 करोड़ से ₹ 26.45 करोड़ के मध्य रहता। 2012-13 के दौरान निगम ने ₹ 138.51 करोड़ (टिप्पणियों को निकालकर) की हानि उठाई जो ₹ 146.84 करोड़ तक जा सकती थी यदि टिप्पणियों पर विचार किया जाता। निगम ने 2012-13 में धान खरीद प्रक्रियाओं में ₹ 27.32 करोड़ की हानि उठाई। हानि का मुख्य कारण सेवानिवृत्ति तथा लीव एनकैशमेंट के लिए बीमांकिक मूल्य-निर्धारण के अनुसार ₹ 171.65 करोड़ के प्रावधान करना था जो पहले तदर्थ आधार पर किए गए थे।

- निगम ने 2010–11 से 2013–14 के दौरान धान प्रक्रियाओं में ₹ 0.60 करोड़ से ₹ 27.32 करोड़ के मध्य हानि उठाई। निगम ने इस गतिविधि में लगातार हानि के लिए कारण विश्लेषित नहीं किए थे।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने उत्तर दिया कि सी.एम.आर. एक हानि उठाने वाली गतिविधि थी तथा अभिरक्षा तथा रख–रखाव प्रभारों की प्रतिपूर्ति न होने तथा एफ.सी.आई. द्वारा 'नो स्पेस सर्टिफिकेट' (एन.एस.सी.) के जारी करने के कारण मिलर्ज से होल्डिंग प्रभारों की अवसूली को इसका जिम्मेदार ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.एस.सी. के जारी करने के मामले में यह प्रभार एफ.सी.आई. से वसूलनीय थे जिनका एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने दावा नहीं किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अभिरक्षा तथा रख–रखाव प्रभार के समर्थन में रिकार्ड प्रस्तुत न करने के कारण एफ.सी.आई. द्वारा यह मना किए गए थे।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. में चालू खातों की बाहुल्यता

2.2.5.2 2010–15 के दौरान, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने हैड आफिस पर 12 से 13 चालू खाते तथा खाद्यान्नों की प्राप्ति के लिए खोले गए सी.सी.एल. अकाउंट के अतिरिक्त भी दो से तीन सी.सी.एल. अकाउंट रखे। इसने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए सी.सी.एलज तथा एस.टी.एलज से चालू खातों में एकमुश्त फंड ट्रांसफर किए। लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि एच.एस.डब्ल्यू.सी. के पास 2010–11 से 2014–15 के दौरान खोले गए पांच चालू खातों[4] में ₹ 0.15 लाख से ₹ 56.71 करोड़ के मध्य फंड रहे थे। सी.सी.एल./एस.टी.एल. अकाउंट के मामले में ब्याज उस तारीख से लगाया जाता है जिस तारीख को राशि निकाली जाती है तथा चालू खाते में पड़े हुए फंड कोई ब्याज नहीं कमाते। विवेकपूर्ण नकद प्रबंधन की मांग है कि भुगतान, सी.सी.एल. अकाउंट से किए जाने चाहिए। पुनः, चालू खातों में बड़ी रकम रखने की बजाए, एच.एस.डब्ल्यू.सी. को सी.सी.एल. की पूर्ति करनी चाहिए थी तथा इस प्रकार, 2010–11 से 2014–15 के दौरान ₹ 1.79 करोड़[5] के ब्याज के भुगतान को बचाया जा सकता था।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बिक्री प्राप्तियों के प्रेषण में देरी

2.2.5.3 एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा गेहूं और चावल के प्रेषण के लिए, एफ.सी.आई. द्वारा संबंधित जिला प्रबंधक के चालू खाते में इलैक्ट्रोनिक तरीके से भुगतान जमा करवा दिए जाने थे, जो बाद में इन बिक्री प्राप्तियों को अपने हैड आफिस को प्रेषित करता था। ये प्रेषण उसी दिन हैड आफिस को भेज देने चाहिए ताकि ये कैश क्रेडिट लिमिट के शीघ्र भुगतान के लिए प्रयोग किए जा सकें। हैड आफिस ने इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को कोई निर्देश जारी नहीं किए थे।

4 भारतीय स्टेट बैंक, महाराष्ट्र बैंक, एक्सिस, एच.डी.एफ.सी. तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला।

5 2010–11 के लिए 7.75 प्रतिशत तथा बाकी वर्षों के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष (एस.टी.एल. की वर्तमान दर) की दर पर औसत मासिक शेष पर परिकलित।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एच.ए.आई.सी. के तीन[6] चयनित किसान सेवा केन्द्रों (एफ.एस.सी.) द्वारा खाद्यान्नों की बिक्री प्राप्तियां इनके हैड आफिस को 3 से 56 दिनों की देरी से प्रेषित की गई थी। इनमें शामिल राशि ₹ 0.11 करोड़ से ₹ 14.16 करोड़ के मध्य रही। प्रेषण में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 1.74 करोड़[7] के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। इसी प्रकार, एच.एस.डब्ल्यू.सी. के सर्कल आफिस, पानीपत के मामले में ₹ 0.14 करोड़ से ₹ 7.91 करोड़ के मध्य निधियां 3 से 48 दिनों की देरी से हैड आफिस को प्रेषित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप निगम को ₹ 0.74 करोड़[8] के ब्याज की हानि हुई।

हैड आफिस को बिक्री प्राप्तियों के प्रेषण में विलंब को न्यूनतम अपेक्षित राशि रखने के बाद निधियों के दैनिक ट्रांसफर के लिए बैंकों को स्थाई आदेश देकर आसानी से बचाया जा सकता था।

2.2.6 राइस मिलर्ज को धान का आबंटन

प्रत्येक राजस्व जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जिला मिलिंग कमेटी[9] (डी.एम.सी.) इसके द्वारा खरीदे जाने वाले धान के आधार पर प्रत्येक पी.ए. को मंडीवार राइस मिलर आबंटित करती है। एफ.एस.डी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, पी.एज द्वारा प्रत्येक मिलर को इसकी मिलिंग क्षमता के अनुसार धान आबंटित करना अपेक्षित है ताकि राइस मिलरों द्वारा धान की मिलिंग समय पर की जा सके।

तथापि, पी.एज में दो वर्षों[10] (2013-14 तथा 2014-15) के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि राइस मिलर्ज को धान का आबंटन मानकों के अनुसार नहीं था जैसा कि नीचे वर्णित है:

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

- कंपनी ने 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमश: 75 तथा 47 प्रतिशत मामलों में मानकों के अनुसार मिलिंग के लिए धान आबंटित नहीं किया। 34 तथा 11 प्रतिशत मामलों में अधिक आबंटन तथा 41 तथा 36 प्रतिशत मामलों में कम आबंटन था।

- 2013-15 के दौरान मात्रा के हिसाब से मंडीवार अधिक तथा कम आबंटन क्रमश: 2 से 239 प्रतिशत तथा 1 से 86 प्रतिशत के मध्य रहा।

6 करनाल, यमुनानगर तथा फतेहाबाद।

7 ब्याज की उस दर पर परिकलित जिस पर खाद्यान्नों की खरीद के लिए सी.सी.एल. लिमिट पर फंड प्राप्त किए गए थे।

8 ब्याज की उस दर पर परिकलित जिस पर खाद्यान्नों की खरीद के लिए सी.सी.एल. लिमिट पर फंड प्राप्त किए गए थे।

9 जिला मिलिंग कमेटी में संबंधित जिले के उपायुक्त चेयरमैन के रूप में तथा जिला खाद्य तथा आपूर्ति नियंत्रक, सदस्य सचिव के रूप में होते हैं। एफ.सी.आई. सहित खरीद एजेंसियों के जिला मुखिया तथा राइस मिलर्ज के दो चयनित व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं।

10 पिछले वर्षों (2010-11 से 2012-13) का डाटा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

- निगम ने भी 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान क्रमश: 29 तथा 14 प्रतिशत मामलों में मापदण्डों के अनुसार धान आबंटित नहीं किया। 12 तथा 6 प्रतिशत मामलों में अधिक आबंटन तथा 17 तथा 8 प्रतिशत मामलों में कम आबंटन था।

- 2013–15 के दौरान मात्रा के हिसाब से मंडीवार अधिक तथा कम आबंटन क्रमश: 2 से 65 प्रतिशत तथा 1 से 68 प्रतिशत के मध्य रहा।

इस प्रकार, पी.एज ने मिलर्ज को धान के आबंटन के समय मापदण्डों को ध्यान में नहीं रखवा। मिलर्ज को उनकी मिलिंग क्षमता से अधिक धान के आबंटन ने समय पर एफ.सी.आई. को चावल की देरी से/नान डिलीवरी के जोखिम को बढ़ा दिया। लेखापरीक्षा ने 2012–13 तथा 2013–14 के दौरान अवलोकित किया कि आठ मिलर्ज (एच.ए.आई.सी. के सात तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के एक), जिनको उनकी पात्रता (70 एम.टी. से 3,449 एम.टी. के मध्य) से ज्यादा धान आबंटित किया गया था, ने ₹ 28.47 करोड़ के ***(परिशिष्ट 5)*** धान का गबन किया।

एच.ए.आई.सी. ने बताया कि धान मानकों के अनुसार आबंटित किया गया था लेकिन इसमें मिलिंग क्षमता की तुलना में विषमताएं हैं क्योंकि उन्होंने मिलिंग के लिए धान आबंटित करते समय आबंटित मंडियों से मिलर्ज की दूरी, मिलर्ज का पुराना ट्रैक रिकार्ड, मिल पर उपलब्ध सुविधाएं आदि कारणों को ध्यान में रखवा। तथ्य रहता है कि मिलों को 239 प्रतिशत तक धान का अधिक आबंटन था।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने बताया कि इसके अपने कार्य–कारी हितों को ध्यान में रखते हुए मिलिंग क्षमता की तुलना में धान आबंटन में विषमताएं थीं तथा भविष्य में कोशिश रहेगी कि धान के आबंटन में निर्देशों का सख्ती से पालन हो।

2.2.7 मिलिंग अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों की अनुपालना

प्रत्येक वर्ष एफ.एस.डी. द्वारा जारी निर्देश तथा मिलर्ज के साथ किए गए मिलिंग अनुबंध निर्धारित करते हैं कि धान के विरूद्ध सभी चावल अगले वर्ष 31 मार्च तक डिलीवर कर दिए जाएं। अनुबंध यह भी निर्धारित करता है कि यदि मिलर चावल के टर्नआऊट अनुपात की पूरी मात्रा डिलीवर करने में असमर्थ है, तो वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित सी.एम.आर. की दरों पर कम डिलीवर हुए चावल की लागत का भुगतान करने साथ ही कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) पैटर्न पर ब्याज सहित ऐसे कम डिलीवर किए गए चावल (केवल के.एम.एस. 2013–14 के लिए 10 प्रतिशत तक कम किया गया) के 50 प्रतिशत की दर पर पेनल्टी के लिए दायी है। प्रत्येक के.एम.एस. के आरंभ होने से पहले राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के साथ यह प्रावधान किया गया कि धान के रिलीज आर्डर जारी करते समय मिलर्ज से ₹ 0.25 करोड़[11] प्रति मीट्रिक टन (एम.टी.) प्रति घंटा मिलिंग क्षमता के अनुसार पोस्ट डेटिड चैक (पी.डी.सीज) के रूप में गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए थी। धान के आबंटन के लिए किसी भी चूककर्त्ता राइस मिलर पर किसी

[11] के.एम.एस. 2012–13 के लिए ₹ 30 लाख तथा के.एम.एस. 2013–14 तथा आगे के लिए ₹ 50 लाख तक बढ़ाया गया।

भी परिस्थिति के अंतर्गत विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धान के सुरक्षित संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पाक्षिक आधार पर धान स्टाक्स का सामूहिक[12] भौतिक सत्यापन (पी.वी.) भी कराया जाना चाहिए था। पी.एज द्वारा मिलर्ज के साथ किए गए मिलिंग अनुबंध प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक मिलर संपूर्ण धान तथा चावल हेतु बीमा प्राप्त करेगा। यदि भारत सरकार द्वारा लगाए गए वैल्यू-कट के कारण कोई राशि वसूलनीय है तो वह मिलर्ज से वसूल की जानी चाहिए।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया:

2.2.7.1 धान के गबन के कारण हानि

के.एम.एस. 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए चावल की डिलीवरी के देय तिथि क्रमशः मार्च 2013 से जनवरी 2014, मार्च 2014 से सितंबर 2014 तथा मार्च 2015 से सितंबर 2015 तक बढ़ा दी गई थी। हमने देखा कि इन तीन के.एम.एस. के दौरान, 19 मिलर्ज[13] जिन्हें 8.45 लाख[14] क्विंटल धान आबंटित किया गया था, 1.64 लाख[15] क्विंटल चावल (2.45 लाख क्विंटल देय धान के विरूद्ध) डिलीवर नहीं किया तथा इस प्रकार 30 सितंबर 2015 तक ₹ 52.06 करोड़[16] वसूलनीय थे जैसा कि ***परिशिष्ट 6*** में वर्णित है। पी.एज ने 11 मिलर्ज, जिन्होंने चावल की डिलीवरी में चूक की थी, के धान के लिए गारंटी के रूप में रखे गए पोस्ट डेटिड चैक प्रस्तुत किए। चैक बाउंस हो गए तथा चावल के गबन के लिए इन मिलर्ज के खिलाफ प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई।

पी.एज की ओर से पाई गई चूक, जिन्होंने चावल की नॉन डिलीवरी को बढ़ावा दिया, इस प्रकार है:

- एच.ए.आई.सी. के मामले में, भौतिक सत्यापन रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थी जबकि एच.एस.डब्ल्यू.सी. के मामले में, पी.वी. रिपोर्टें अपूर्ण थी।
- जिला मिलिंग कमेटी द्वारा आबंटित न किए जाने के वाबजूद मिलर[17] को धान दिया गया था।
- कंपनी ने चूककर्त्ता मिलर्ज[18], जिन्होंने भौतिक डिलीवरी शेडयूल के अनुसार आबंटित धान से कोई चावल डिलीवर नहीं किया था, के परिसरों से धान की शिफटिंग की कार्रवाई नहीं की।

12 पी.एज तथा मिलर।

13 एच.ए.आई.सी. के 17 मिलर तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के दो मिलर।

14 के.एम.एस. 2012-13 के लिए धान के 88,760 क्विंटल, के.एम.एस. 2013-14 के लिए 5,26,850 क्विंटल तथा के.एम.एस. 2014-15 के लिए 2,29,100 क्विंटल।

15 के.एम.एस. 2012-13 के लिए ₹ 8.55 करोड़ की कीमत का 22,540 क्विंटल, के.एम.एस. 2013-14 के लिए ₹ 36.25 करोड़ का 97,410 क्विंटल तथा के.एम.एस. 2014-15 के लिए ₹ 10.74 करोड़ का 43,730 क्विंटल चावल।

16 जनवरी 2014 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान प्रचलित सी.सी.एल. दर के न्यूनतम 11.83 प्रतिशत की दर पर ब्याज जमा नॉन डिलीवरी के कारण चावल की कीमत की 50 प्रतिशत की पेनल्टी जमा चावल की कीमत।

17 मैसर्ज बोध प्रकाश रोहित कुमार राइस मिल, अंबाला।

- अनुदेश का उल्लंघन करने के बावजूद पहले वाले के.एम.एस. के चूककर्त्ता मिलर्ज[19] को धान आबंटित किया गया।

इस प्रकार, राज्य सरकार के दिशानिर्देशों की अनुपालना न करने तथा धान की मिलिंग के लिए एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में उचित गारंटी न लेने, मिलर्ज के परिसरों में स्टोर किए गए धान की खराब मानीटरिंग आदि ने धान के गबन को सुगम बनाया।

एच.ए.आई.सी. ने बताया कि एक मामले (2012–13) में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी थी तथा 10 मामलों (के.एम.एस. 2013–14) में राज्य सरकार की नीति (सितंबर 2015) को देखते हुए भुगतान प्राप्त किए जाने के लिए मार्च 2016 तक इंतजार किया जाना था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि के.एम.एस. 2013–14 हेतु उपर्युक्त नीति के लिए मिलर्ज को 30 सितंबर 2015 तक देय राशि का 25 प्रतिशत तक जमा कराना आवश्यक था तथा देय राशि के लिए अंडरटेकिंग के साथ–साथ पोस्ट डेटिड चैक भी देने थे जिसकी किसी भी मिलर द्वारा अनुपालना नहीं की गई थी।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने बताया कि संबंधित मिलर्ज के पास भण्डार की कोई भौतिक कमी नहीं थी तथा एफ.सी.आई. द्वारा केवल डिलीवर किए गए चावल को नामंजूर किया गया था। इसके अतिरिक्त इसने चूककर्त्ता मिलर्ज के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि एफ.सी.आई. को उचित औसत गुणवत्ता चावल प्रदान करना मिलर की जिम्मेदारी थी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने सूचित किया कि इसने एक मिलर से वसूलनीय ₹ 2.25 करोड़ में से ₹ 1.05 करोड़ वसूल कर लिए थे लेकिन इसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए (नवंबर 2015)।

2.2.7.2 मिलर्ज से देयों की वसूली न होना

भारत सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 2013–14 के लिए सी.एम.आर. की अस्थाई दरों को बताते समय (अप्रैल 2014) एफ.सी.आई. को डिलीवर किए गए चावल की लागत के एक प्रतिशत की दर पर मूल्य कटौती[20] लगाई। लगाई गई कटौती का मूल्य ₹ 22.54 प्रति क्विंटल था जो मिलर्ज से वसूल किया जाना था।

हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा लगाई गई मूल्य कटौती के परिणामस्वरूप उन्हें भुगतान योग्य मिलिंग प्रभारों तथा ड्राईएज दोनों को समायोजित करने के बाद मिलर्ज से नेट राशि वसूलनीय बनती थी। यह देखा गया कि एच.ए.आई.सी. का एक एफ.एस.सी. (कुरूक्षेत्र) तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के दो जिला कार्यालय (कुरूक्षेत्र तथा अंबाला) सितंबर 2014 तक के.एम.एस. 2013–14 के पूरा होने के वाबजूद चौदह मिलर्ज से ₹ 1.55 करोड़ (एच.ए.आई.सी.: ₹ 0.84 करोड़ तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी.: ₹ 0.71 करोड़) वसूल नहीं कर सके। हमने पुन: देखा कि के.एम.एस. 2013–14 से संबंधित ₹ 1.55 करोड़ के पहले वाले देयों को वसूल किए बिना के.एम.एस. 2014–15 के लिए इन पी.एज द्वारा उपर्युक्त चौदह मिलर्ज को मिलिंग के लिए धान दिया गया था।

18 एच.ए.आई.सी. की जय मां शारदा मिल्ज, नारायणगढ़ तथा मैसर्ज मित्तल राइस एंड जनरल मिल।

19 मैसर्ज दयाचन्द राइस मिल, जींद।

20 यदि किसी कारण से भारत सरकार ने केंद्रीय भंडारण के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले चावल की विशेषताएं कम कर दी तो यह कम की गई विशेषता के अनुसार सी.एम.आर. की कीमत में वैल्यू कट लगा सकती है, जो मिलरों से वसूल किया जाना था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान एच.ए.आई.सी. ने बताया कि इस कारण से इसने ₹ 0.84 करोड़ की संपूर्ण राशि वसूल कर ली थी। तथापि वसूली को प्रभावित करने वाले दस्तावेज प्रतीक्षित थे (नवंबर 2015)। एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने बताया कि ₹ 0.71 करोड़ की वसूली के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

2.2.7.3 धान की मिलिंग में देरी के कारण हानि

के.एम.एस. 2008-09 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अस्थाई प्रासंगिक व्ययों के साथ-साथ इनमें ₹ 19.58 प्रति क्विंटल की दर पर दो महीने के लिए ब्याज प्रभार भी शामिल थे। दरों के अंतिमकरण के समय पर, भारत सरकार ने राज्य के सभी पी.एज के धान की वास्तविक भण्डारण अवधि को एक साथ लेकर उसके आधार पर ब्याज परिकलित किया।

हमने देखा कि के.एम.एस. 2008-09 तथा के.एम.एस. 2010-11 के दौरान, एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के धान की औसत भण्डारण अवधि सभी राज्य पी.एज की वास्तविक भारित औसत भण्डारण अवधि से अधिक[21] थी। इस प्रकार, धान की मिलिंग में देरी के कारण, पी.एज ने ₹ 0.93 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

दोनों पी.एज ने उत्तर दिया कि उन्होंने चावल की डिलीवरी में देरी के लिए मिलर्ज से धारण-प्रभार वसूल किए लेकिन उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

2.2.8 एफ.सी.आई. से वैधानिक तथा अन्य प्रभारों की प्रतिपूर्ति

प्रत्येक खरीफ मार्केटिंग सीजन (के.एम.एस.) के लिए भारत सरकार सी.एम.आर. की दरें निर्धारित करती है जिसमें धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तथा प्रासंगिक व्ययों की दरें भी शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिपूरित किए गए प्रासंगिक व्ययों में वैधानिक प्रभार (मार्किट फीस, आढ़तिया कमीशन तथा आर.डी. सैस) तथा अन्य प्रभार (ड्राईएज, संरक्षण तथा रख-रखाव प्रभार, ब्याज प्रभार, बोरों की लागत तथा मूल्यह्रास) शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा प्रेषित सी.एम.आर. दरों में उल्लिखित कुछ शर्तों के अध्यधीन ये प्रभार प्रतिपूर्ति योग्य हैं। पी.एज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल वही व्यय किए जाएं जो भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य हैं तथा प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक शर्तों की अनुपालना की जानी चाहिए।

इस संबंध में देखी गई त्रुटियां नीचे चर्चित हैं:

2.2.8.1 संरक्षण तथा रख-रखाव प्रभारों की प्रतिपूर्ति न होना

के.एम.एस. 2012-13 तक के प्रासंगिक व्ययों में धान की मिलिंग तथा एफ.सी.आई. को डिलीवरी देने से पहले धान के स्टाक के अनुरक्षण तथा रख-रखाव की लागत के लिए दो महीने के संरक्षण तथा रख-रखाव प्रभार शामिल हैं। राज्य सरकार (खाद्य तथा आपूर्ति विभाग, नोडल एजेंसी) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, कि ये प्रभार वहन किए गए, की प्रस्तुति पर ही यह अनुमत थे।

[21] के.एम.एस. 2008-09 में, सभी राज्य पी.एल. की 2.59 महीने की औसत स्टोरेज अवधि के विरूद्ध एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के पास क्रमश: 2.72 महीने तथा 3.01 महीने थी। के.एम.एस. 2010-11 में सभी राज्य पी.ए. के 2.74 महीने की औसत स्टोरेज अवधि के विरूद्ध एच.एस.डब्ल्यू.सी. की औसत स्टोरेज अवधि 3.03 महीने थी।

हमने अवलोकित किया कि पी.एज द्वारा प्राप्त धान मिलर्ज तथा पी.एज के सामूहिक संरक्षण के अंतर्गत सीधे ही मिलर्ज के परिसरों में स्टोर की गई थी। यद्यपि धान मिल मालिकों के परिसर में सामूहिक संरक्षण में रहा, पी.एज ने मिलर्ज को आपूरित क्रेटस तथा तिरपाल की लागत पर मूल्यह्रास के रूप में व्यय किया। पी.एज ने इस संबंध में वास्तव में किए गए व्यय का एक अलग अकाउंट नहीं रखवा। इस प्रकार, पी.एज आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके तथा एफ.सी.आई. ने 2010–13 की अवधि के लिए ₹ 8.24 करोड़[22] के उनके द्वारा किए गए दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की। पुनः, एफ.सी.आई. ने आवश्यक दस्तावेजों को प्रदान न करने के कारण के.एम.एस. 2005–08 के लिए एच.एस.डब्ल्यू.सी. से ₹ 1.72 करोड़ के संरक्षण तथा रख–रखाव प्रभारों की भी कटौती की (जनवरी 2012)। के.एम.एस. 2009–10 के लिए संरक्षण तथा रख–रखाव प्रभारों की एफ.सी.आई. द्वारा प्रतिपूर्ति[23] नहीं की गई थी।

दोनों पी.एज ने संरक्षण तथा रख–रखाव प्रभारों के अलग रिकार्डो का रख–रखाव न करने के तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि एफ.सी.आई. की आवश्यकतानुसार भविष्य में अलग रिकार्ड रखवा जाएगा।

2.2.8.2 धारण प्रभारों की प्रतिपूर्ति न होना

(i) पी.एज खरीद गतिविधियों के लिए बैंकों से कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) प्राप्त करते हैं। एफ.सी.आई. मिलर्ज से चावल की प्राप्ति के बाद पी.एज को भुगतान जारी करती है। एफ.एस.डी. द्वारा जारी निर्देश यह प्रावधान करते हैं कि यदि मिल, अनुबंध में उल्लिखित शेडयूल के अनुसार एफ.सी.आई. को चावल डिलीवर करने में विफल रहता है तो वह विद्यमान सी.सी.एल. दर पर परिकलित ब्याज के रूप विलंबित अवधि के लिए पी.एज को धारण प्रभारों के भुगतान के लिए दायी होगा। तथापि, मिलर को स्थान प्रदान करने में एफ.सी.आई. की विफलता के कारण डिलीवरी में देरी के मामले में ऐसे प्रभार मिलर्ज से वसूलनीय नहीं हैं। हमने देखा कि सी.एम.आर. के प्रासंगिक व्ययों की दरों को अंतिमकृत करते समय भारत सरकार, चावल की एफ.सी.आई. को डिलीवरी की तिथि तक पी.एज को ब्याज प्रभार अनुमत कर रही थी यद्यपि, पी.एज अपनी आपरेशनल हानियों को पूरा करने के लिए डिलीवरी की वास्तविक तिथि तथा डिलीवरी की शेड्यूल्ड तिथि के अंतराल की अवधि के लिए मिलर्ज से धारण प्रभार[24] वसूल कर रहे थे। हमने अवलोकित किया कि जब भारत सरकार ने के.एम.एस. 2012–13 की डिलीवरी अवधि सितंबर 2013 से जनवरी 2014 तक बढ़ाने की अनुमति (जनवरी 2014) दे दी थी तो यह उसके लिए किसी लागत पर सहमति नहीं थी अर्थात् 30 सितंबर 2013 के बाद यह ब्याज प्रभार पी.एज को भुगतानयोग्य नहीं थे। इस प्रकार, मिलर्ज द्वारा चावल की डिलीवरी में देरी के कारण पी.एज द्वारा उठाई गई ब्याज की लागत मिलर्ज से वसूल की जानी चाहिए थी।

के.एम.एस. 2010–11 से 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मिलर्ज ने एफ.सी.आई. के 'नो स्पेस सर्टिफिकेट' (एन.एस.सीज) प्रस्तुत किए। मिलर्ज द्वारा आपूरित एन.एस.सीज पर एफ.सी.आई. की कोई संदर्भ संख्या, तारीख आदि नहीं थी तथा ये मिलर्ज के

22 धान की 19.81 लाख एम.टी., जिसके विरूद्ध सी.एम.आर. आपूरित किया था, के लिए ₹ 41.60 प्रति एम.टी. (के.एम.एस. 2010–11 से 2012–13 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) की अनुमोदित दरों पर प्रस्तुत किए गए दावे।

23 दोनों पी.एज से विवरण प्रतीक्षित हैं।

24 शेडयूल्ड डिलीवरी तारीख तथा वास्तविक डिलीवरी तारीख की अंतराल अवधि के लिए मिलर्ज से पी.एज द्वारा प्रभारित ब्याज से संबंधित है।

लैटर पैड पर थे। तब भी पी.एज. ने एफ.सी.आई. से इन प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नहीं करवाया। इस प्रकार, मिलर्ज ने एफ.सी.आई. गोदामों में स्थान की अनुपलब्धता के कारण प्रकट रूप से एफ.सी.आई. को देय तिथि पर चावल डिलीवर नहीं किया तथा पी.एज की निधियां ब्लॉक हो गईं और उन्होंने एन.एस.सीज की अवधि के लिए मिलर्ज से ₹ 8.64 करोड़ की ब्याज राशि के रूप में धारण-प्रभारों को वसूल नहीं किया।

दोनो पी.एज ने बताया कि एफ.सी.आई. से एन.एस.सीज को सत्यापित कराने का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एन.एस.सीज, एफ.सी.आई. की किसी संदर्भ संख्या आदि के बिना मिलर्ज के लैटर पैड पर थे और इसीलिए खुद परखने योग्य नहीं थे।

पुनः, के.एम.एस. 2012-13 के लिए मिलर्ज से वसूलनीय धारण प्रभारों को परिकलित करते समय, हमने अवलोकित किया कि एच.एस.डब्ल्यू.सी. के पांच चयनित राजस्व जिलों में से, दो राजस्व जिलों[25] ने एफ.सी.आई. द्वारा जारी 'नो स्पेस सर्टिफिकेट' की अवधि में डिलीवरी शेड्यूल[26] में संचयित विस्तार दिया। मिलर्ज को इस अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप जिला कार्यालय कैथल में ₹ 0.13 करोड़ तक धारण प्रभारों की कम वसूली हुई। अन्य राजस्व जिलों के संबंध विस्तृत सूचना प्रतीक्षित थी (नवंबर 2015)। एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने मिलर्ज से पुनर्निरीक्षण तथा वसूली, यदि कोई हो, के लिए आश्वासन दिया।

(ii) के.एम.एस. 2012-13 के दौरान, निगम के अंबाला जिला कार्यालय ने 4,176.73 एम.टी. धान की मिलिंग के लिए मैसर्ज अंकित ट्रेडर्ज राइस मिल, मुस्तफाबाद के साथ अनुबंध (अक्तूबर 2012) किया। मिलर को 30 सितंबर 2013 तक बढ़ाई गई अवधि तक एफ.सी.आई. को 2,798.41 एम.टी. चावल डिलीवर करना अपेक्षित था। मिलर ने 26 फरवरी 2013 तक 620 एम.टी. चावल आपूरित किया। फर्म के मालिक की फरवरी 2013 में मृत्यु हो गई। वैध उत्तराधिकारी ने शेष चावल की आपूर्ति करने का दायित्व लिया (जुलाई 2013) लेकिन निगम ने उससे पी.डी.सीज नहीं लिए। फर्म ने एफ.सी.आई. को चावल की संपूर्ण मात्रा की आपूर्ति तो की लेकिन अनुबंध में निर्धारित डिलीवरी शेड्यूल का पालन नहीं कर सकी तथा इस प्रकार उनसे ₹ 0.20 करोड़ के धारण प्रभार वसूलनीय थे। निगम ने ₹ सात लाख की गारंटी को वसूलनीय राशि के विरूद्ध समायोजित करने की बजाए निर्मुक्त कर दिया (सितंबर 2013)। इस प्रकार, किसी पी.डी.सीज/अन्य सिक्योरिटी के अभाव में ₹ 0.20 करोड़ के धारण प्रभार की वसूली नहीं की जा सकी।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि राइस मिलर के गारंटर के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा संबंधित जिला प्रबंधक को चार्जशीट कर दिया गया है। तथापि तथ्य रहता है कि वसूली अभी की जानी है।

2.2.8.3 बिलिंग-कम-भुगतान एजेंटों को परिहार्य भुगतान

एच.ए.आई.सी. ने उसको आबंटित प्रत्येक मंडी के लिए बिलिंग-कम-भुगतान एजेंट (बी.सी.पी.एज) नियुक्त किए। एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने के.एम.एस. 2010-15 के दौरान 126 मंडियों में से 23 में बी.सी.पी.एज नियुक्त किए। उन्हें प्रति बैग के लिए 11 पैसे का कमीशन दिया गया

25 कैथल तथा कुरूक्षेत्र।

26 अक्तूबर तथा नवंबर 2012-20 प्रतिशत, दिसंबर 2012-25 प्रतिशत, जनवरी 2013-25 प्रतिशत, फरवरी 2013-15 प्रतिशत तथा मार्च 2013-15 प्रतिशत।

था। बी.सी.पी.एज का कार्य सभी आढ़तियों[27] से बिलों को एकत्र करना था तथा प्रत्येक दिन का एक बिल तैयार करना और उसे भुगतान के लिए संबंधित पी.एज को प्रस्तुत करना था। बी.सी.पी.एज को दिए गए कमीशन की भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं होनी थी। हमने अवलोकित किया कि पी.एज ने आढ़तियों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए जिसमें बी.सी.पी.एज द्वारा किए जाने वाले कार्य निहित थे, कमीशन आधार पर नियुक्त किया था। 2010 – 15 के दौरान, दो पी.एज ने पांच चयनित जिलों में बी.सी.पी.एज को ₹ 0.71 करोड़ का भुगतान किया।

दोनो पी.एज ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण गिनी – चुनी मंडियों में बी.सी.पी.एज नियुक्त किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने अवलोकित किया कि मंडियों में स्टाफ की तैनाती बी.सी.पी.एज की तैनाती को ध्यान में रखे बिना की गई थी। एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने पुन: बताया कि बी.सी.पी.एज बोरियों को भरने, प्लेटफार्म स्केल पर उनका भार तोलने तथा ट्रकों में लोडिंग सहित विविध कार्य कर रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ये आढ़तियों के काम थे और इसके लिए अन्य एजेंसी को नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं थी।

2.2.8.4 *एफ.सी.आई. से भुगतानों की प्राप्ति न होने के कारण हानि*

एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी., एस.बी.आई. द्वारा संस्वीकृत सी.सी.एल. का उपयोग करके खाद्यान्नों को प्राप्त करती है तथा 2013 – 15 के दौरान ब्याज की प्रचलित दर 11.79 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। भुगतानों की विलंबित प्राप्ति इन लिमिटों की पुनर्भुगतान अवधि को बढ़ाती है तथा इसके परिणामस्वरूप कंपनी/निगम को ब्याज की हानि उठानी पड़ती है।

रबी मार्केटिंग सीजन 2013 तथा 2014 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रसारित प्रासंगिक व्यय की दरों के अनुसार, एजेंसी स्टोरेज बिंदु से एफ.सी.आई. तक डिलीवर स्टाक के लिए एफ.सी.आई. द्वारा अलग डिलीवरी प्रभार देय थे। ये डिलीवरी प्रभार, एफ.सी.आई. को स्टाक की डिलीवरी करते समय डिस्टैकिंग, लोडिंग तथा वेमेंट पर किए गए व्यय सहित एजेंसियों द्वारा उनके गोदामों पर स्टाक की स्टैकिंग और अनलोडिंग पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एच.ए.आई.सी. के चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जून 2013 से मार्च 2015 तक एफ.सी.आई. को स्टोरेज बिंदु से डिलीवर किए गए 11.87 लाख क्विंटल गेहूं[28] (फसल वर्ष 2013 – 14 तथा 2014 – 15) के लिए एफ.सी.आई. से ₹ 0.68 करोड़[29] राशि के डिलीवरी प्रभार वसूलनीय थे। इसी प्रकार, मई 2013 से मार्च 2015 के दौरान डिलीवर किए गए 11.03 लाख क्विंटल गेहूं (फसल वर्ष 2013 – 14 तथा 2014 – 15) के कारण एफ.सी.आई. से एच.एस.डब्ल्यू.सी. के चयनित कार्यालयों द्वारा ₹ 0.63 करोड़[30] वसूल किए जाने थे। इन डिलीवरी प्रभारों की अवसूली के परिणामस्वरूप एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. को

27 आढ़ती – मंडी में एक मध्यस्थ।

28 फसल वर्ष 2013 – 14 (फतेहाबाद – 3.31 लाख क्विंटल तथा करनाल – 6.33 लाख क्विंटल) तथा 2014 – 15 (फतेहाबाद – 0.69 लाख क्विंटल तथा करनाल – 1.54 लाख क्विंटल)।

29 एफ.एस.सीज – फतेहाबाद (₹ 0.23 करोड़) तथा करनाल (₹ 0.45 करोड़)।

30 सर्कल कार्यालय – रोहतक (₹ 0.63 करोड़)।

मार्च 2015 तक क्रमश: ₹ 8.68 लाख[31] तथा ₹ 7.33 लाख[32] की राशि के ब्याज की हानि हुई। जिला प्रबंधक, एच.एस.डब्ल्यू.सी., रोहतक ने इन डिलीवरी प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए एफ.सी.आई. के साथ-साथ अपने मुख्यालय के साथ जुलाई 2014 में इस मामले को उठाया लेकिन अभी तक (मार्च 2015) आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

2.2.8.5 एफ.सी.आई. को गारंटी फीस के दावे की प्रस्तुति में देरी के कारण ब्याज की हानि

पी.एज ने धान की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी, जिस पर राज्य सरकार लिए गए कैश क्रेडिट के 1/8 प्रतिशत की दर पर गारंटी फीस वसूल करती है, पर भारतीय स्टेट बैंक से लिमिट प्राप्त की। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार गारंटी फीस, एफ.सी.आई. को डिलीवर किए गए चावल की मात्रा पर, एम.एस.पी. के 1/8 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक वास्तविक आधार पर देय थी। दावे, फसल वर्ष/वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तुरंत किए जाने थे।

हमने अवलोकित किया कि:

1) एच.ए.आई.सी. ने अप्रैल 2010 में राज्य सरकार को 2004-05 से 2009-10 तक के धान के लिए ₹ 0.62 करोड़ की गारंटी फीस का भुगतान किया। तथापि, इसने अप्रैल 2013 में विलंब से दावा प्रस्तुत किया तथा यह दिसंबर 2013 में एफ.सी.आई. द्वारा मुक्त कर दिया गया था। इसी प्रकार, के.एम.एस. 2010-11 तथा 2011-12 के लिए कंपनी ने ₹ 0.23 करोड़ की गारंटी फीस का भुगतान किया (फरवरी 2012) लेकिन अगस्त 2014 में दावा प्रस्तुत किया। इस प्रकार, बिलों के विलंबित प्रस्तुतिकरण के कारण कंपनी ने ₹ 0.24 करोड़ (2004-05 से 2009-10 के लिए ₹ 18.66 लाख[33] तथा 2010-11 और 2011-12 के लिए ₹ 4.90 लाख[34]) की ब्याज हानि उठाई।

2) एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने के.एम.एस. 2010-11 तथा 2011-12 के धान के लिए ₹ 0.56 करोड़ की गारंटी फीस जमा (मार्च 2013) की लेकिन दिसंबर 2014 में एफ.सी.आई. को ₹ 0.43 करोड़ के दावे प्रस्तुत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.11 लाख[35] के ब्याज की हानि हुई।

दोनों पी.एज ने बताया कि देरी का कारण एफ.सी.आई. द्वारा उनके जिला कार्यालयों को समय पर बिक्री प्रमाण-पत्र जारी न करना था तथा सूचित किया कि जिला प्रबंधकों को सीजन की समाप्ति के तुरंत बाद एफ.सी.आई. से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सलाह दे दी गई थी।

31 एफ.एस.सीज फतेहाबाद (₹ 4.30 लाख) तथा करनाल (₹ 4.38 लाख)।

32 सर्कल कार्यालय-रोहतक (₹ 7.33 लाख)।

33 35 महीनों के लिए 10.30 प्रतिशत की दर पर ₹ 62.13 लाख पर परिकलित।

34 22 महीनों के लिए 11.79 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 22.69 लाख पर।

35 21 महीनों के लिए 10.79 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 42.93 लाख पर।

2.2.8.6 एफ.सी.आई. को बिक्री बिलों की प्रस्तुति में देरी के कारण ब्याज की हानि

एफ.एस.डी. द्वारा प्रतिवर्ष जारी दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि मिलर को धान की मिलिंग के लिए संबंधित पी.एज के साथ एक अनुबंध का निष्पादन करना होता है। अनुबंध के अनुसार एफ.सी.आई. से भुगतान के दावे के लिए चावल की डिलीवरी के तुरंत बाद पी.एज को डिलीवरी दस्तावेजों की आपूर्ति करना मिलर्ज की जिम्मेदारी थी, जिसमें विफल रहने पर मिलर, विलंबित अवधि के लिए ब्याज की सी.सी.एल. दर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

हमने अवलोकित किया कि पी.एज के चयनित जिलों में मिलर द्वारा डिलीवरी दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण में देरी के कारण 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान एफ.सी.आई. को बिक्री बिलों के प्रस्तुतिकरण में 2 दिनों से लेकर 71 दिनों तक की देरी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप प्रचलित सी.सी.एल. दरों के न्यूनतम–आधार पर ₹ 0.44 करोड़ (12 दिनों का समय देने के बाद संकुचित परिकलन) के ब्याज की हानि हुई।

दोनों पी.एज ने बताया कि देरी एफ.सी.आई. की ओर से थी तथा उसने डिस्पैच दस्तावेजों को हस्ताक्षर करने में समय लिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा सह देरी, एफ.सी.आई. द्वारा दस्तावेजों को हस्ताक्षर करने तथा एफ.सी.आई. को बिक्री बिलों के इसके प्रस्तुतिकरण की तिथि से परिकलित की गई थी।

2.2.8.7 एफ.सी.आई. को ड्राईएज बिलों के प्रस्तुतिकरण में देरी के कारण ब्याज की हानि

प्रत्येक के.एम.एस. के शुरू होने से पहले भारत सरकार सी.एम.आर. की अस्थाई दरें निर्धारित करती है जिसमें धान के एम.एस.पी. तथा प्रासंगिक व्यय की दरें भी शामिल होती हैं। प्रासंगिक व्यय में धान के एम.एस.पी. के एक प्रतिशत का ड्राईएज[36] भी शामिल होता है। ड्राईएज राशि पी.एज द्वारा मिलर्ज को भुगतान की जाती है तथा बाद में भारत सरकार द्वारा प्रतिपूरित की जाती है। भारत सरकार के निर्देशों (अप्रैल 2013) के अनुसार ड्राईएज का भुगतान तभी अनुमत किया जाएगा जब राज्य सरकार के प्रधान सचिव एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें जिसमें मिलर्ज को राज्य एजेंसियों द्वारा भुगतान किए गए इन प्रभारों का उल्लेख हो।

हमने अवलोकित किया कि चयनित पांच एफ.एस.सीज (एच.ए.आई.सी.) तथा एक राजस्व जिला कार्यालय (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) में के.एम.एस. 2012–13 के लिए मिलर्ज को ड्राईएज प्रभारों के रूप में ₹ 7.81 करोड़ का भुगतान किया गया था। प्रधान सचिव ने के.एम.एस. 2012–13 के लिए अप्रैल 2014 में अपेक्षित प्रमाण–पत्र जारी किया। यह देखा गया था तीन एफ.एस.सीज[37] ने 9 से 12 महीनों की देरी से जनवरी तथा मार्च 2015 में एफ.सी.आई. को के.एम.एस. 2012–13 के लिए ड्राईएज बिल प्रस्तुत किए। दो एफ.एस.सीज[38] के लिए ड्राईएज बिल अभी तक (फरवरी 2015) प्रस्तुत नहीं किए थे। एच.एस.डब्ल्यू.सी. के राजस्व जिला (अंबाला) ने 11 महीनों की देरी से फरवरी 2015 में ड्राईएज बिल प्रस्तुत किया। इस प्रकार, एफ.सी.आई. को अपेक्षित

36 ड्राईएज से तात्पर्य धान की नमी की मात्रा में कमी के कारण भार में कमी होना है।

37 यमुनानगर, करनाल तथा फतेहाबाद।

38 कैथल तथा कुरूक्षेत्र।

प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतिकरण में देरी के कारण पी.एज ने ₹ 0.63 करोड़[39] के ब्याज की हानि उठाई।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने बताया कि प्रधान सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति की प्राप्ति में देरी तथा तत्पश्चात प्रथम दृष्टया गलत बिल के प्रस्तुतिकरण के कारण यह देरी हुई थी तथा इरादतन कोई देरी नहीं की गई थी। तथापि, तथ्य रहता है कि एक जिला कार्यालय में परिहार्य देरी के कारण एच.एस.डब्ल्यू.सी. को ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

2.2.9 मानवशक्ति

किसी संगठन की कुशल तथा सुचारू कार्यप्रणाली के लिए उपयुक्त योग्यता का पर्याप्त स्टाफ अपेक्षित होता है। सितंबर 2015 तक एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के संबंध में विस्तृत स्टाफ स्थिति नीचे तालिकाबद्ध है:

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

श्रेणी	संस्वीकृत संख्या	31.09.2015 को तैनाती	कमी की प्रतिशतता
श्रेणी-ए	7	3	57
श्रेणी-बी	26	7	73
श्रेणी-सी	120	21	82
श्रेणी-डी	35	75	(+) 114
कुल	**188**	**106**	

हमने अवलोकित किया कि श्रेणी ए में 2004 से रिक्त पड़ा मुख्य लेखा अधिकारी (सी.ए.ओ.) का एक पद तथा उप-महाप्रबंधक (डी.जी.एम.) के क्रमश: 2009 तथा 2012 से रिक्त पड़े दो पद शामिल हैं। पुन:, श्रेणी बी में रिक्त 19 पदों में डी.एमज (संस्वीकृत 15 में से) के 14 पद शामिल हैं जो पदस्थों की रिटायरमेंट पर रिक्त हुए। सी.ए.ओ., डी.जी.एमज तथा डी.एमज की अनुपस्थिति में खाद्यान्नों की खरीद तथा स्टोरेज से संबंधित मुख्यालय तथा फील्ड में जिला कार्यालयों का कार्य, कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा देखा जा रहा था। अधिक वित्तीय जोखिम वाला उच्च जिम्मेदारी का काम कनिष्ठ अधिकारियों से करवाना खतरे से खाली नहीं था।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

श्रेणी	संस्वीकृत संख्या	30.09.2015 को तैनाती	कमी की प्रतिशतता
श्रेणी-ए	10	6	40
श्रेणी-बी	21	15	29
श्रेणी-सी	707	430	39

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है श्रेणी-'ए' के 4 पद, श्रेणी-'बी' के 6 पद तथा श्रेणी-'सी' के 277 पद रिक्त थे। श्रेणी-'ए' तथा 'बी' में मुख्य रिक्तियां प्रबंधकों, डी.एमज तथा एस.डी.ई. (सी) के पदों की थी। हमने अवलोकित किया कि प्रबंधकों, तकनीकी सहायकों (टी.एज), कनिष्ठ तकनीकी सहायकों (जे.टी.एज) तथा अकाउंटिंग स्टाफ के पदों की अनुपस्थिति में खाद्यान्नों की खरीद और भण्डारण तथा उनके लेखांकन से संबंधित फील्ड में सर्कल कार्यालयों का कार्य कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था।

[39] 9 महीनों के लिए 10.74 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 7.81 करोड़ पर परिकलित।

दोनों पी.एज ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

2.2.10 आंतरिक नियंत्रण

2.2.10.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंधन साधन है जिसका प्रयोग यह समुचित आश्वासन देने हेतु किया जाता है कि प्रबंधन के उद्देश्य कुशल, प्रभावी तथा सुव्यवस्थित ढंग से प्राप्त किए जा रहे हैं। पी.एज द्वारा अपनाई गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा ने दर्शाया कि वे अपर्याप्त थे तथा अन्यत्र एवं निम्नलिखित इंगित की गई कमियों के अनुसार अपने परिचालनों के आकार के अनुरूप नहीं थी:

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

- कंपनी के पास प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर कर्त्तव्यों/जिम्मेदारियों को स्पष्ट तौर पर निर्धारित करने के लिए कोई लेखा मैनुअल नहीं था।

- कंपनी ने सी.एम.आर. पर राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में, मिलर्ज के पास संयुक्त अभिरक्षा में रखे गए धान के भण्डार तथा परिणामस्वरूप निकले चावल का अनिवार्य पाक्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया। स्टॉक के भौतिक सत्यापन न किए जाने के परिणामस्वरूप धान के गबन के मामले हुए।

- एफ.सी.आई. से देयों की समय पर दावा करने की प्रणाली में कमी थी।

- ***चावल का गबन***

जींद स्थित एच.ए.आई.सी. के गोदाम को वार्षिक आधार पर एफ.सी.आई. को किराए पर दिया गया था। स्टाक के भण्डारण, संरक्षण तथा अभिरक्षा की जिम्मेदारी एच.ए.आई.सी. स्टाफ की थी तथा भण्डार के खराब होने या असामान्य भण्डारण हानियों के कारण हुई कमी के मामले में एफ.सी.आई. द्वारा इसे एच.ए.आई.सी. से वसूल किया जाना था। के.एम.एस. 2010-11 के स्टॉक की डिलीवरी के समय मई 2013 में ₹ 0.41 करोड़ की कीमत की सी.एम.आर. के 1,595 क्विंटल की कमी देखी गई थी। एफ.सी.आई. ने इसे नवंबर 2013 में किराया बिलों से वसूल किया। चूककर्त्ता कर्मचारियों के विरूद्ध सितंबर 2013 में एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी तथा विभागीय कार्यवाहियां अभी तक (नवंबर 2015) लंबित थीं।

- ***बोरियों का गबन***

एच.ए.आई.सी. में मौजूदा प्रचलन के अनुसार, धान/सी.एम.आर. की पैकिंग के लिए जरूरत के आधार पर मंडी इंचार्ज को स्टोरकीपर द्वारा बोरियां जारी की गई थीं तथा इन बोरियों का भौतिक सत्यापन वार्षिक आधार पर 31 मार्च को किया जाना था।

हमने देखा कि वर्ष 2012-13 के लिए, मार्च 2013 में पीपली गोदाम पर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था तथा यह विलंब से दिसंबर 2013 में की गई थी जब 5.65 लाख बोरियों की

कमी पाई गई। जनवरी 2014 में एच.ए.आई.सी. मुख्यालय द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ₹ 3.02 करोड़ कीमत की 7.18 लाख जूट बोरियों की कमी सूचित (मई 2014) की। यद्यपि कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेखापरीक्षा ने मानीटरिंग तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पद्धतिक कमियां अवलोकित की।

उपर्युक्त बताई गई कमियों ने कंपनी के विभिन्न कार्यो की सही मानीटरिंग तथा निरीक्षण को प्रभावित किया तथा यह इसकी कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में रूपांतरित हो गईं।

एच.ए.आई.सी. ने बताया कि आंतरिक नियंत्रण बिजनेस के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है परंतु मिलर्ज को धान के आबंटन में असंगति, समयबद्ध अंतराल पर भौतिक सत्यापन के न किए जाने के कारण धान का गबन, एफ.सी.आई./मिलर्ज के दावे को देरी से प्रस्तुत न करना आदि जैसे उपर्युक्त बिंदु इसका विपरीत दर्शाते हैं।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

निगम के पास प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर कर्त्तव्यों/जिम्मेदारियों के निर्धारण के लिए कोई अकाउंटस मैनुअल नहीं है। एफ.सी.आई. को बिलों के प्रस्तुतिकरण तथा उसके भुगतानों की प्राप्ति में देरी, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का निगम के आकार तथा गतिविधियों के अनुरूप नहीं होना दर्शाते हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने सूचित किया कि इसने अपनी गतिविधियों के लिए अकाउंटस मैनुअल तैयार करने का निर्णय ले लिया था।

2.2.10.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

कंपनी ने एक आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल को अपना लिया (मार्च 2014)। क्षेत्रीय यूनिटों की आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.एज) की एक फर्म द्वारा करवाई गई थी जिसने किन्हीं पद्धतिक चूकों/कमियों को इंगित नहीं किया तथा मुख्यत: कैश, बैंक तथा जरनल वाउचरों में कमियों, स्टाक आइटमों में असंगति तथा स्टोर रजिस्टरों आदि के गलत रख-रखाव तक ही सीमित रही। कंपनी ने जोखिम कारकों पर आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कंपनी ने बताया कि कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

सितंबर 2013 में एक आंतरिक लेखापरीक्षा सैल बनाया गया था। निगम ने न तो कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार किए थे और न ही आंतरिक लेखापरीक्षा में किए जाने वाली जांच का क्षेत्र तथा सीमा निर्धारित की थी। मुख्यालय, जहां पर अधिकांश व्यय/निर्णय लिए गए थे, की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। वर्ष 2013-14 के दौरान नौ सर्कल कार्यालयों में से केवल तीन सर्कल कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई थी तथा 2014-15 के दौरान किसी यूनिट

की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट मुख्यत: नकद, स्टोरेज बिलों, लेखा–बहियों के रख–रखाव जैसे क्षेत्रों तक सीमित थी तथा कोई पद्धतिक कमियां रिपोर्ट नहीं की गई थीं।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि इसने आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

2.2.10.3 अन्य मामले–किसानों को भुगतान

पी.एज को एफ.एस.डी. द्वारा प्रतिवर्ष जारी निर्देशों के अनुसार 48 से 72 घंटों के अंदर धान की खरीद के लिए किसानों को भुगतान किए जाने थे। हमने अवलोकित किया कि पी.एज के पास 2010–11 से 2014–15 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक किसान से खरीदी गई मात्रा के विवरण तथा उनको किए गए भुगतानों के विवरण नहीं थे। जिला कार्यालयों ने बी.सी.पी.एज/आढ़तियों पर प्रत्येक किसान को किए गए भुगतान का विवरण देने का दबाव बनाए बिना ही केवल उन्हें किए गए भुगतान के संबंध में ही रिकार्ड मेंनटेन किया। पुनः, एच.ए.आई.सी. के तीन[40] एफ.एस.सीज तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के चार[41] चयनित जिलों में हमने अवलोकित किया कि के.एम.एस. 2010–11 से 2014–15 के दौरान धान की खरीद की तिथि से 1 से 48 दिनों[42] के भीतर बी.सी.पी.ए./कच्चा आढ़तियों को भुगतान किए गए थे। इस प्रकार, पी.एज यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि सभी मामलों में किसानों को भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर कर दिए गए थे।

एच.ए.आई.सी. ने अपने उत्तर में बताया कि खरीद दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद ही बी.सी.पी.एज/आढ़तियों को भुगतान किए गए थे। एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने अपने उत्तर में बताया कि उसने विलंबित भुगतान के संबंध में किसी किसान से कोई शिकायत प्राप्त नहीं की थी। उत्तर गलत है क्योंकि एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेख इंगित करते हैं कि आढ़तियों को भुगतान, धान की खरीद की तिथि से 1 से 17 दिनों के भीतर किए गए थे तथा यह तथ्य रहता है कि किसानों को भुगतान करने में देरी थी।

निष्कर्ष

एच.एस.डब्ल्यू.सी. 2010–11 से 2014–15 के दौरान किसी भी वर्ष में धान की खरीद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। एच.ए.आई.सी. ने धान की खरीद गतिविधियों के लाभ/हानि का अलग से परिकलन नहीं किया। दोनों पी.एज में धान के आबंटन में राज्य सरकार के निर्देशों से विचलन के मामले देखे गए थे। राज्य सरकार के निर्देशों की अननुपालना तथा धान की मिलिंग के लिए एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में सही गारंटी प्राप्त न करना, एच.ए.आई.सी. में मिलर्ज के पास संयुक्त अभिरक्षण में रखे धान तथा परिणामी उत्पन्न चावल का अनिवार्य पाक्षिक भौतिक सत्यापन न करना, आदि ने धान के गबन को सुगम बनाया। एफ.सी.आई. ने धान के संरक्षण तथा रख–रखाव की प्रतिपूर्ति नहीं की क्योंकि ये बिल अनिवार्य दस्तावेजों से समर्थित नहीं थे। एच.ए.आई.सी. ने के.एम.एस. 2004–05 से के.एम.एस. 2011–12 के लिए गारंटी फीस

40 कैथल, करनाल तथा यमुनानगर।

41 फतेहाबाद, करनाल, कुरूक्षेत्र तथा यमुनानगर।

42 एच.एस.डब्ल्यू.सी. के संबंध में 1 से 17 दिन तथा एच.ए.आई.सी. के संबंध मे 1 से 48 दिन।

तथा के.एम.एस. 2012 – 13 के लिए ड्राईएज के दावे एफ.सी.आई. को समय पर प्रस्तुत नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई। दोनों पी.एज के आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियां थी।

सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

i. एच.एस.डब्ल्यू.सी. को धान की खरीद के लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास करने के निर्देश देना क्योंकि स्थाई लागत खरीद की किसी भी मात्रा के बावजूद स्थिर रहती है तथा मिलिंग के लिए धान के आबंटन तथा इसकी आगे मानीटरिंग हेतु राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना करना;

ii. एच.ए.आई.सी. को इसकी विभिन्न गतिविधियों की कार्यकुशलता का अलग से परिकलन करने के निर्देश देना;

iii. अपने निर्देशों का संशोधन करना तथा पी.एज के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए मुख्यत: बी.जी. या एफ.डी.आर. के रूप में मिलर्ज से गारंटी तथा सुरक्षा की राशि को बढ़ाना;

iv. एच.ए.आई.सी. को अनिवार्य भौतिक सत्यापन करने तथा इसे नियमित रूप से करने के लिए तुरंत निर्देश जारी करना; तथा

v. पी.एज को उनके आर्थिक प्रबंधन को सरल करने तथा एफ.सी.आई. और मिलर्ज से उनके देयों का समय पर दावा करने के निर्देश देना।

अध्याय – 3

3. लेन–देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

राज्य सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के संपादनों की नमूना–जांच से उद्भूत मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में शामिल हैं।

सरकारी कंपनियां

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.1 अतिरिक्त व्यय

संशोधित बोली की स्वीकार्यता की क्लॉज एन.आई.टी. में शामिल न करने के कारण पी.टी.पी.एस. को निविदा इन्क्वारी रद्द करनी पड़ी थी तथा उसको इस अनुबंध अवधि में ₹ 0.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) क्रय विनियम, 2011 की क्लॉज 8.7 (i) प्रावधान करती है कि बोलीदाता द्वारा स्वत: प्रस्तुत संशोधित बोली के किसी मामले में मूल प्रस्ताव के साथ–साथ संशोधित प्रस्ताव भी खोले जाएंगे तथा केवल निम्नतम प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

कंपनी के पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) ने तीन वर्ष की अवधि के लिए 52 सीट की क्षमता वाली चार डीजल चालित बसों एवं 40 सीट की क्षमता वाली एक मिनी बस किराए पर लेने और परिचालन करने के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस (एन.आई.टी.) जारी किया (3 मई 2013)। बोलियां दो भाग में खोली जानी थी अर्थात् तकनीकी बोली (भाग–I) तथा मूल्य बोली (भाग–II)। भाग–I 22 मई 2013 को खोला जाना था तथा भाग–II उसके पश्चात् केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाना था जो भाग–I की एन.आई.टी. शर्तों को पूरा करते थे।

तीन बोलीदाताओं अर्थात् मैसर्ज पाल ट्रेवल्ज, पानीपत, मैसर्ज रणजीत ट्रांसपोर्ट कंपनी, भटिण्डा तथा मैसर्ज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पानीपत ने निविदाओं में भाग लिया। बोली का भाग–I 22 मई 2013 को खोला गया तथा सभी तीन बोलीदाता बोली के भाग–II खोलने के लिए योग्य पाए गए। तथापि, एक बोलीदाता मैसर्ज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पानीपत ने बोली का भाग–II खोलने से पहले अपनी संशोधित बोली प्रस्तुत की (17 जून 2013) तथा पी.टी.पी.एस. ने 17 जून 2013 को सभी तीन बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां (मैसर्ज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पानीपत की मूल एवं संशोधित बोली सहित) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खोली:

क्र. सं	कार्य का विवरण	मैसर्ज पाल ट्रेवल्ज पानीपत	मैसर्ज रणजीत ट्रांसपोर्ट कंपनी	मैसर्ज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी	
				मूल प्रस्ताव	संशोधित बोली
		दर प्रति बस प्रति माह (₹)			
1.	52 सीट वाली बस का किराया	93,232	1,46,048	97,972	90,678
2.	40 सीट वाली बस का किराया	68,726	1,11,288	72,827	68,843

इस प्रकार, मैसर्ज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पानीपत एल–1 बोलीदाता के रूप में प्रकट हुई। लेकिन अवार्ड का पत्र जारी करने से पूर्व मैसर्ज पाल ट्रेवल्ज, पानीपत ने रिप्रेजेंटेशन किया

(19 जून 2013) कि एन.आई.टी. में किसी बोलीदाता से संशोधित बोली स्वीकार करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था; यदि संशोधित बोलियां स्वीकार होनी थी तो उनको इसकी सूचना नहीं दी गई थी और इसके अभाव में वे एल-1 बोलीदाता थे तथा कार्य उनको दिया जाना चाहिए था। पी.टी.पी.एस. की भण्डार क्रय समिति ने रिप्रेजेंटेशन पर विचार किया तथा निविदाएं रद्द करने एवं बोलियां पुन: आमंत्रित करने का निर्णय लिया (19 जून 2013)। पी.टी.पी.एस. ने निविदाएं पुन: आमंत्रित की (30 जून 2013) तथा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दो कार्य आदेश दिए (17 फरवरी 2014), एक मैसर्ज पाल ट्रेवल्ज, पानीपत (एल-1) को ₹ 1,09,649 प्रति बस प्रति माह की लागत पर चार बसों (52 सीट की क्षमता वाली) को किराए पर लेने और परिचालन के लिए तथा दूसरा मैसर्ज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पानीपत (एल-1) को ₹ 83,749 प्रति बस प्रति माह की लागत पर एक बस (40 सीट की क्षमता वाली) के लिए दिए। दोनों फर्मों की अनुबंध अवधि 09 जनवरी 2014 से 08 जनवरी 2017 तक तीन वर्ष थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (जनवरी 2015) कि यद्यपि कंपनी ने, अपने क्रय विनियम 2011 के नियमानुसार मई 2013 में निविदा पूछताछ के विरूद्ध मैसर्ज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी से संशोधित मूल्य बोली स्वीकार कर ली थी। चूंकि इस संबंध में आवश्यक क्लॉज निविदा के नियमों एवं शर्तों में शामिल नहीं की गई थी, उसे इस निविदा पूछताछ को रद्द करना पड़ा। जून 2013 में पुन: निविदा आमंत्रित करने पर प्राप्त दरें मई 2013 की रद्द की गई निविदा पूछताछ की एल-I बोलियों की तुलना में मई 2013 की रद्द की गई निविदा पूछताछ की एल-I बोलियों की तुलना में, 52 सीट की क्षमता वाली चार बसों के लिए ₹ 16,417 प्रति बस प्रति माह तथा 40 सीट की क्षमता वाली एक बस के लिए ₹ 15,023 प्रति बस प्रति सीट तक उच्चतर थी। इस प्रकार, एन.आई.टी. की शर्तों में संशोधित बोलियों की स्वीकार्यता की क्लॉज शामिल न करने के कारण पी.टी.पी.एस. पानीपत द्वारा उच्चतर दरों पर कार्य देना पड़ा तथा इस अनुबंध अवधि के दौरान उसे ₹ 0.29 करोड़[1] का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा।

प्रबंधन तथा सरकार ने बताया (अक्तूबर 2015) कि एन.आई.टी. को सभी बोलीदाताओं को समान अवसर प्रदान करने हेतु रद्द किया गया था। अत: यह तथ्य बना रहता है कि चूंकि एन.आई.टी. की शर्तों में यह क्लॉज शामिल नहीं थी कि संशोधित बोलियां स्वीकार्य होंगी और स्वीकृत संशोधित बोली वाली कंपनी को उसके विरूद्ध की जा रही निविदा पूछताछ को निरस्त करना पड़ा। इस प्रकार, कंपनी पुन: निविदा में प्राप्त उच्चतर दरों के कारण ₹ 0.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय कर रही होगी।

3.2 लॉजिस्टिक एजेंट को अनुचित भुगतान करने के कारण हानि

कंपनी ने 21,631.43 मीट्रिक टन आयातित कोयलों पर जो प्राप्त नहीं हुआ था, रेलवे भाड़ा, कस्टम ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी तथा पोर्ट चार्जिज के प्रति ₹ 4.71 करोड़ का भुगतान किया।

कंपनी ने अपने थर्मल पावर स्टेशनों अर्थात् दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट (डी.सी.आर.टी.पी.पी.), यमुनानगर, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (आर.जी.टी.पी.पी.) खेदड़, हिसार तथा पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.), पानीपत के लिए 14.50 लाख मीट्रिक

[1] ₹ 16,417 x 4 बसें x 12 महीने x 3 वर्ष जमा ₹ 15,023 x 12 महीने x 3 वर्ष।

टन आयातित कोयले की आपूर्ति हेतु एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, कोलकाता[2] (आपूर्तिकर्त्ता) को क्रय आदेश (क्र.आ.) दिया (17 अक्तूबर 2012)। इस कोयले में से, छः लाख मीट्रिक टन पी.टी.पी.एस. पानीपत, दो लाख मीट्रिक टन डी.सी.आर.टी.पी.पी. तथा छः लाख पचास हजार मीट्रिक टन आर.जी.टी.पी.पी. को दिया जाना था। अदानी एंटरप्राइजिज लिमिटेड को लोजिस्टिक एजेंट (एल.ए.) के रूप में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ही नामित किया गया था। तदनुसार, कंपनी ने अंतर्देशीय लोजिस्टिक गतिविधियों के लिए एल.ए. को कार्य आदेश दिया (17 अक्तूबर 2012)। पोर्ट पर कार्गो की प्राप्ति से लेकर पावर प्लांटस को इसकी सुपुर्दगी तक संपूर्ण कार्यों के लिए एल.ए. उत्तरदायी था तथा ₹ 250 प्रति मीट्रिक टन की दर पर उसे हैंडलिंग चार्जिज का भुगतान किया जाना था। क्लॉज 6.1 के साथ पठित क्लॉज 6 में निर्धारित किया गया था कि पोर्ट चार्जिज, कस्टम डयूटी तथा रेलवे भाड़ा वास्तविक आधार पर (सांविधिक कर सहित) तथा अन्य कर/सांविधिक शुल्क यदि कोई है, भुगतान किए जाने थे।

उपर्युक्त क्रय आदेश के विरूद्ध 24 जलयानों के माध्यम से प्राप्त आयातित कोयले के संबंध में प्राप्त मात्रा तथा किए गए भुगतान की नमूना-जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2014) कि मात्रा 21,631.43 मीट्रिक टन कम प्राप्त की गई थी। कंपनी ने एल.ए. को भुगतान करते समय, कम प्राप्त कोयले की लागत की सी.आई.एफ. मूल्य[3] पर कटौती कर ली। तथापि, कटौती की राशि परिकलित करते समय इसने रेलवे भाड़ा, कस्टम डयूटी, स्टाम्प डयूटी तथा पोर्ट चार्जिज, जो एल.ए. द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले कोयले की लागत[4] का हिस्सा बनते हैं, के लागत तत्वों पर विचार नहीं किया। कंपनी ने कभी प्राप्त न हुए कोयले की मात्रा के लिए रेलवे भाड़ा, कस्टम डयूटी, स्टाम्प डयूटी तथा पोर्ट चार्जिज के प्रति ₹ 4.71 करोड़ का भुगतान किया जिसकी कटौती एवं वसूली की जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप एल.ए. को अनुचित लाभ हुआ तथा कंपनी को ₹ 4.71 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन/सरकार ने बताया (नवंबर 2015) कि रेलवे भाड़ा, कस्टम डयूटी, स्टाम्प डयूटी तथा पोर्ट चार्जिज का भुगतान, प्राप्त मात्रा को ध्यान में रखे बिना क्रय आदेश की क्लॉज 6.1 (ii) के अनुसार दस्तावेजी प्रमाण के साथ वास्तविक आधार पर किया जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित क्लॉज ''प्राप्त मात्रा को ध्यान में रखे बिना'' शर्त का कहीं उल्लेख नहीं करती। आगे अनुवर्ती क्लाज 6.2 में प्रावधान था कि अनलोडिंग स्थान पर अर्थात् एच.पी.जी.सी.एल. थर्मल पावर स्टेशनों पर प्रत्येक रेक के जांच परिणामों के आधार पर भुगतान में मात्रा एवं गुणवत्ता भिन्नता के लिए समायोजन किए जाएंगे। प्राप्त न किए गए कोयले हेतु वसूली भी, ट्रांसपोर्टेशन प्वाईट पर सभी लागत तत्वों को परिगणना में लेकर परिकलित की जानी चाहिए थी, न कि केवल सी.आई.एफ. मूल्य पर। अतः प्लांट पर वस्तुतः प्राप्त आयातित कोयले की मात्रा के आधार पर रेलवे भाड़ा, कस्टम डयूटी, स्टाम्प डयूटी तथा पोर्ट चार्जिज के भुगतान समायोजित किए जाने चाहिए थे। पुनः एक अन्य मामले में, प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2015) कि नई एन.आई.टी. में, 10 लाख एम.टी. आयातित कोयले के खरीद हेतु, एच.पी.जी.सी.एल. थर्मल पावर प्लांटस में प्राप्त किए जाने वाले आयातित कोयले की निवल समायोजित मात्रा पर कस्टम डयूटी भुगतान हेतु, प्रावधान किए गए हैं।

2 एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

3 लैडिंग पोर्ट पर मैरिन बीमा तथा मैरिन भाड़ा सहित लागत।

4 भारतीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सामग्री लागत पर लागत लेखांकन मानक-6 पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार।

3.3 कस्टम ड्यूटी का अधिक भुगतान

कंपनी ने आयातित कोयला पर, जो गारंटिड विशिष्टताओं से कमतर थी, एक फर्म को ₹ 2.10 करोड़ की अधिक कस्टम ड्यूटी भुगतान की।

कंपनी ने अपने थर्मल पावर स्टेशनों को क्रमश: 14.50 लाख मीट्रिक टन तथा 20.00 लाख मीट्रिक टन आयातित स्टीम कोयला की आपूर्ति के लिए मैसर्ज एम.एस.टी.सी. लिमिटेड को दो क्रय आदेश (क्र.आ.) दिए (17 अक्तूबर 2012 तथा 2 सितंबर 2013)। चूंकि मैसर्ज एम.एस.टी.सी. लिमिटेड ने मैसर्ज अदानी एंटरप्राइजिज लिमिटेड को लोजिस्टिक एजेंसी (एल.ए.) के रूप में नामित किया था, इस आयातित कोयले की हैंडलिंग के लिए एल.ए. के पक्ष में भी कंपनी द्वारा दो कार्य आदेश (का.आ.) साथ-साथ जारी किए गए। इन दो क्रय आदेशों के अनुसार पी.टी.पी.एस. पानीपत, डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर तथा आर.जी.टी.पी.पी. हिसार द्वारा क्रमश: 15.92 लाख मीट्रिक टन, 4.40 लाख मीट्रिक टन तथा 14.18 लाख मीट्रिक टन कोयला प्राप्त किया जाना था। कार्य आदेश की शर्तों एवं नियमों में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान था कि आयातित कोयले की गुणवत्ता क्रय आदेश तथा कार्य आदेश में दिए गए विशिष्टताओं के अनुसार होगी। यदि प्राप्त कोयले की विशिष्टता, गारंटिड विशिष्टताओं से कम हो तो अंतिम भुगतान, गुणवत्ता भिन्नताओं के समायोजन के पश्चात् किया जाना था।

पोर्ट पर कार्गो की प्राप्ति से लेकर थर्मल पावर प्लांट्स को इसकी सुपुर्दगी तक संपूर्ण कार्यों के लिए एल.ए. उत्तरदायी था और उसे हैंडलिंग चार्चिज का भुगतान किया जाना था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पोर्ट चार्जिज का भुगतान, कस्टम ड्यूटी, रेलवे भाड़ा तथा टैक्स/सांविधिक शुल्क, जिनके लिए वास्तविक आधार पर भुगतान किया जाना था, भी शामिल था।

फर्म ने पी.टी.पी.एस. पानीपत को 9.06 लाख मीट्रिक टन[5] आर.जी.टी.पी.पी. हिसार को 13.97 लाख मीट्रिक टन[6] तथा डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर को 4.66 लाख मीट्रिक टन[7] कोयला 2012-13 से 2014-15 के दौरान आपूरित किया।

हमने अवलोकित किया कि इस आपूर्ति के विरूद्ध कंपनी ने, पोर्ट पर आयातित कोयले के मूल्य के आधार पर कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया। यद्यपि कंपनी ने अनुबंध में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता से भिन्नताओं के कारण ₹ 58.20 करोड़ एल.ए. से वसूल कर लिए थे किंतु उस पर भुगतान की गई कस्टम ड्यूटी, जो ₹ 2.10 करोड़ परिकलित की गई, वसूल नहीं की गई थी। इस प्रकार कंपनी ने, मैसर्ज अदानी एंटरप्राइजिज लिमिटेड को ₹ 2.10 करोड़ की अधिक कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया था।

5 अक्तूबर 2012 के कार्य आदेश के विरूद्ध 10 जलयानों के माध्यम से 6.96 लाख मीट्रिक टन तथा सितंबर 2013 के कार्य आदेश के विरूद्ध 4 जलयानों के माध्यम से 2.10 लाख मीट्रिक टन।

6 अक्तूबर 2012 के कार्य आदेश के विरूद्ध 7 जलयानों के माध्यम से 5.48 लाख मीट्रिक टन तथा सितंबर 2013 के कार्य आदेश के विरूद्ध 9 जलयानों के माध्यम से 8.49 लाख मीट्रिक टन।

7 अक्तूबर 2012 के कार्य आदेश के विरूद्ध 5 जलयानों के माध्यम से 2.23 लाख मीट्रिक टन तथा सितंबर 2013 के कार्य आदेश के विरूद्ध 5 जलयानों के माध्यम से 2.43 लाख मीट्रिक टन।

प्रबंधन तथा सरकार ने बताया (नवंबर 2015) कि कस्टम डयूटी, आदि जैसे सांविधिक भुगतान, भारत में डिस्चार्ज पोर्ट पर प्राप्त मात्रा पर करना पड़ता है और वह क्रय आदेश/कार्य आदेश के प्रावधान के अंतर्गत वास्तविक अनुसार भुगतान होता है। यदि प्लांटस में प्राप्त निवल समायोजित मात्रा पर कस्टम डयूटी के भुगतान के संबंध में प्रावधान किया जाता है तो आपूर्ति/एल.ए., कोयले के आयात के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस तथ्य पर ध्यान देगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। फिर भी, एच.पी.जी.सी.एल. थर्मल पावर प्लांटस में प्राप्त होने वाले आयातित कोयले की निवल समायोजित मात्रा पर कस्टम डयूटी भुगतान करने हेतु नए एन.आई.टी. में प्रावधान किया गया है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अनलोडिंग सिरे पर अर्थात् एच.पी.जी.सी.एल. थर्मल पावर स्टेशनों पर प्राप्त परिणामों के अनुसार, भुगतान हेतु पावर स्टेशनों पर हुई मात्रा एवं गुणवत्ता भिन्नताओं के आधार पर समायोजनों के लिए इंगित कार्य आदेश की क्लॉज 6.2 में प्रावधान किया गया था। अत: आयातित कोयले के मूल्य में कटौती के लिए प्लांटस पर वस्तुत: प्राप्त मात्रा के आधार पर कस्टम डयूटी के भुगतान समायोजित किए जाने चाहिए थे।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.4 बीमा दावों के अप्रस्तुतिकरण के कारण हानि

घातक दुर्घटनाओं के लिए ग्रुप एक्सीडेंटल बीमा पालिसी की शर्तों के तहत बीमा कंपनियों को दावों के अप्रस्तुतिकरण के कारण कंपनी ने ₹ 0.74 करोड़ की हानि उठाई।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने स्टाफ अर्थात् राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के बीमा हेतु 17 जुलाई 2010 से 16 जुलाई 2011 तक की अवधि के लिए घातक एवं अघातक दुर्घटनाओं के विरूद्ध एक ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी ली थी (16 जुलाई 2010)। पालिसी की शर्तो के अनुसार, बीमा कंपनी द्वारा प्रत्येक घातक दुर्घटना मामले में ₹ तीन लाख जो 1 अक्तूबर 2010 से ₹ पांच लाख तक बढ़ा दिए गए, की क्षतिपूर्ति दी जानी थी। फील्ड कार्यालयों द्वारा दुर्घटना के 28 दिनों के अंदर दावे, बीमा कंपनी को सूचित किए जाने अपेक्षित थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (फरवरी 2015) कि यद्यपि कंपनी द्वारा बीमा कंपनी को दावे सूचित करने के लिए फील्ड कार्यालयों को दिशानिर्देश समय पर जारी कर दिए गए थे, इसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी दावे समय पर सूचित एवं अनुरक्षित किए जा रहे हैं जिससे बीमा कंपनियों से दावे वसूल किए जा सके, ऐसी कोई आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली नहीं बनाई। कंपनी ने जुलाई 2010 से मार्च 2015 के दौरान ₹ 0.96 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया (नौ घातक दुर्घटना मामलों में मुख्य अभियंता, परिचालन, पंचकूला-₹ 0.58 करोड़ तथा सात घातक दुर्घटना मामलों में मुख्य अभियंता, परिचालन, रोहतक-₹ 0.38 करोड़) लेकिन बीमा कंपनियों को ₹ 0.74 करोड़[8] के दावे बिलकुल भी सूचित नहीं किए तथा इस प्रकार इसे वसूल करने का अवसर खो दिया।

[8] ₹ 3 लाख X 1 मामला (अक्तूबर 2010 से पहले होने के कारण) जमा ₹ 5 लाख X 8 मामले = ₹ 43 लाख (पंचकूला) + ₹ 5 लाख X 5 मामले जमा ₹ 3.45 लाख + ₹ 2.88 लाख वास्तविक आधार पर = ₹ 31.33 लाख रोहतक।

प्रबंधन (दिसंबर 2015) तथा सरकार (जनवरी 2016) ने अपने उत्तर में बताया कि रोहतक सर्कल में कुल सात मामलों में से, तीन मामलों में दावे (₹ 15 लाख) विलंब से दर्ज किए गए तथा अस्वीकृत कर दिए गए थे और कि दोनों सर्कलज के लिए उत्तरदायिता निर्धारित करने हेतु विभागीय कार्यवाही प्रक्रिया अधीन हैं।

तथ्य रहता है कि कंपनी ने बीमा दावों के प्रस्तुतिकरण एवं वसूली पर नजर रखने के लिए संस्थागत यंत्रावली की अपनी कमी के कारण ₹ 0.74 करोड़ की हानि उठाई।

3.5 राजस्व की हानि

शुल्क दर आदेशों के अननुरूप श्रेणियों के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति के कारण कंपनी ₹ 2.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।

जनवरी 2001 में जारी, विद्युत की आपूर्ति के लिए शुल्क दर तथा कंपनी के सामान्य एवं विविध प्रभारों की सूची में यह प्रावधान किया गया था कि स्कूलों/कालेजों/शैक्षणिक संस्थाओं/रेलवे (ट्रैक्शन को छोड़कर) को 10 के.डब्ल्यू. से अधिक सामान्य/मिश्रित भार बल्क सप्लाई (बी.एस.) श्रेणी के अंतर्गत जारी/निर्मुक्त की जाएगी। बिक्री निर्देश (1989 तथा 1993) तथा पुननिर्देश (नवंबर 2006) तथा जनवरी 2001 के टैरिफ आर्डर के अनुसार भी सामान परिसरों में लोड को इकट्ठा किया जाना अपेक्षित था। सितंबर 2010 तक हाई टेंशन (एच.टी.) औद्योगिक एवं बी.एस. उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ समान थे। यह संशोधित किया गया (1 अक्तूबर 2010 से प्रभावी) और नए टैरिफ में विद्युत प्रभार तथा स्थाई प्रभार शामिल थे। बी.एस. श्रेणी के मामले में स्थाई प्रभार स्वीकृत भार (एस.एल.) के आधार पर लगाए जाने थे तथा एच.टी. औद्योगिक श्रेणी के मामले में अनुबंधित मांग (सी.डी.) के आधार पर लगाए जाने थे। बी.एस. उपभोक्ताओं पर तथा 20 किलोवाट से ऊपर संयोजित भार वाले गैर घरेलु आपूर्ति (एन.डी.एस.) उपभोक्ताओं पर स्थाई प्रभार ₹ 130 प्रति किलोवाट प्रति माह की दर पर लगाए जाने थे। पुन: अप्रैल 2014 से, स्थाई प्रभार एच.डी. औद्योगिक तथा बी.एस. दोनों ही श्रेणियों में सी.डी. के आधार पर लगाए गए थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया:

(क) राज्य में जगाधरी एवं कालका स्थित उत्तरी रेलवे की दो कार्यशालाएं हैं और उनका एस.एल. एवं सी.डी. क्रमश: 13,288 किलोवाट एवं 5,200 के.वी.ए. तथा 3,407 किलोवाट एवं 900 के.वी.ए. था। इंगित विनियमों के अनुसार इन कार्यशालाओं का विद्युत आपूर्ति कनैक्शन एच.टी. श्रेणी की बजाय बी.एस. श्रेणी के अंतर्गत प्रभारित किया जाना था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007-08 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)-हरियाणा सरकार, में बी.एस. उपभोक्ता श्रेणी के रेलवे वर्कशापस कालका की, गलत श्रेणी तथा इसके परिणामस्वरूप एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू छूट के हकदार नहीं होने की सूचना दी गई थी। लोक उपक्रम की समिति में चर्चा (नवंबर 2011) के दौरान विभाग ने श्रेणी में हुई त्रुटि स्वीकार की तथा बताया कि उन्होंने रेलवे पर पीक लोड खपत प्रभार के रूप में ₹ 0.29 करोड़ प्रभारित कर दिए थे जो बृहद् आपूर्ति श्रेणी (अब एच.टी. औद्योगिक श्रेणी) उपभोक्ताओं पर भारित किए जाते थे। तद्नुसार, कोपु ने पैरा समाप्त कर दिया था।

हमने अवलोकित किया कि गलत श्रेणी इंगित किए जाने तथा कोपु के समक्ष कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने (नवंबर 2011) के बावजूद उन्होंने बिलिंग के लिए रेलवे वर्कशापस की विद्युत आपूर्ति कनैक्शन की बी.एस. श्रेणी में परिवर्तन हेतु सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, टैरिफ की गलत दर लागू करने के कारण कंपनी दिसंबर 2011 से मार्च 2015 तक ₹ 2.34 करोड़[9] के अतिरिक्त राजस्व से वंचित रही।

(ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र (एन.आई.टी.) ने मौजूदा 31 विद्युत आपूर्ति कनैक्शनों (एन.डी.एस.[10] एवं डी.एस.[11] के अंतर्गत जारी) को इकट्ठा करने तथा 2,980 किलोवाट के बी.एस. श्रेणी में विद्युत आपूर्ति कनैक्शन जारी करने हेतु आवेदन किया (जून 2007)। एन.आई.टी. ने उसके लिए ₹ 0.30 करोड़ जमा करवा दिए (जून 2007)। चार वर्षों से अधिक समय बीतने के पश्चात् कंपनी ने एन.आई.टी. को सूचित किया (27 सितंबर 2011) कि रिपोर्टों के अप्रस्तुतिकरण, 11 के.वी. सबस्टेशन स्ट्रक्चर/ट्रांसफार्मरों से पावर इत्यादि के आरंभ न करने के कारण उनका आवेदन रदद् कर दिया गया तथा एन.आई.टी. को अपना आवेदन दुबारा प्रस्तुत करने को कहा। एन.आई.टी. ने लोड को इकट्ठा करने तथा विस्तार करने और 4,560 किलोवाट के संयुक्त लोड के लिए बी.एस. कनैक्शन जारी करने हेतु दुबारा आवेदन किया (30 सितंबर 2011) जो जारी कर दिया गया (नवंबर 2012)। पुनः एन.आई.टी., कुरूक्षेत्र को 31 पावर सप्लाई कनैक्शनों (एन.डी.एस. एवं डी.एस. श्रेणियों में जारी किए गए) में से 1,105 किलोवाट के कनैक्टिड भार वाले आठ कनैक्शन डी.एस. श्रेणी के अंतर्गत थे जिन पर कोई स्थाई प्रभार लागू नहीं था। तथापि, वर्तमान पावर सप्लाई कनैक्शनों को क्लब करने और बी.एस. श्रेणी में पावर सप्लाई कनेक्शन जारी करने में कंपनी द्वारा की गई देरी के कारण इन आठ डी.एस. पावर कनेक्शनों के 1,105 किलोवाट पर अक्तूबर 2010 से लेकर अक्तूबर 2012 तक की अवधि हेतु ₹ 0.36 करोड़ के फिक्सड चार्ज कंपनी वसूल नहीं कर सकी।

प्रबंधन (अक्तूबर तथा दिसंबर 2015) तथा सरकार (जनवरी 2016) ने अपने उत्तर में बताया कि तत्कालीन निर्देशों के अनुसार कनैक्शन जारी करने की तिथि से ही रेलवे वर्कशाप की श्रेणी एच.टी. औद्योगिक थी और बाद में कंपनी के लिए यह एच.टी. औद्योगिक से बल्क सप्लाई में परिवर्तित करना संभव नहीं था क्योंकि अनुबंध एच.टी. औद्योगिक के लिए था और कंपनी अनुबंध से बाहर नहीं जा सकती थी। पुनः राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि नए टैरिफ में एच.टी. औद्योगिक आपूर्ति की दरें बल्क सप्लाई दरों से अधिक है और एन.आई.टी. कुरूक्षेत्र के मामले में प्रबंधन (अक्तूबर 2015) तथा सरकार (नवंबर 2015) ने बताया कि विलंब, उपभोक्ता द्वारा शर्तो का पालन न करने तथा स्वभाविक प्रक्रिया, जिसने जॉब पूर्ण करने में समय लिया, के कारण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी एच.ई.आर.सी. विनियमों से बाहर नहीं जा सकती और केवल इसलिए क्योंकि इससे इसे लाभ होगा तो भी यह गलत श्रेणी के अंतर्गत टैरिफ प्रभारित

9 रेलवे वर्कशाप, जगाधरी के संबंध में ₹ 1.81 करोड़ तथा रेलवे वर्कशाप, कालका के संबंध में ₹ 0.53 करोड़।

10 एन.डी.एस. – गैर – घरेलू आपूर्ति।

11 डी.एस. – घरेलू आपूर्ति।

नहीं कर सकती तथा इसे एच.ई.आर.सी. विनियमों एवं विक्री निर्देशों (1989 एवं 1993) तथा पुनर्निर्देश (नवंबर 2006) एवं जनवरी 2001 के टैरिफ आदेश के रूप में भी समान परिसरों में लोड को इकट्ठा किया जाना था, जो इसके बावजूद की यह इसके स्वयं के हितों के लिए वित्तीय रूप से हानिकारक था, विलंबित हुआ था। इस प्रकार, कंपनी अपनी स्वयं की लापरवाही तथा समयवद्ध पद्धति में सुधारात्मक कार्यवाही करने में हुई विफलता के कारण ₹ 2.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

3.6 अतिरिक्त भुगतान

आयातित कोयले के सकल कैलोरिफिक मूल्य में ह्रास के परिणामस्वरूप ₹ 75.39 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

हरियाणा विद्युत क्रय केन्द्र (एच.पी.पी.सी.) ने विद्युत के क्रय के लिए, मैसर्ज चाइना लाइट पावर (सी.एल.पी.) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई की सहायक कंपनी मैसर्ज झज्जर पावर लिमिटेड (जे.पी.एल.) के साथ एक विद्युत क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) किया (07 अगस्त 2008)। तदनुसार, हरियाणा की विद्युत आवश्यकता पूरी करने हेतु मैसर्ज जे.पी.एल. द्वारा 1,320 मैगावाट (मै.वा.) महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झज्जर में स्थापित किया गया। पी.पी.ए. की सूची 7 के अनुसार, टैरिफ मासिक आधार पर तथा (i) क्षमता/स्थाई प्रभार एवं (ii) विद्युत/परिवर्तनीय प्रभार से समायुक्त दो भागों में भुगतान किया जाना था। वार्षिक क्षमता प्रभारों (फिक्सड लागत) की वसूली, अनुमोदित प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) के मानकों से संबंधित है। विद्युत/परिवर्तनीय प्रभार, निवल उद्धृत उष्णता दर अर्थात् 2,396 किलोकैलोरी/प्रति किलोवाट-आवर एवं कोयले की लागत तथा खपत के समय कोयले के सकल कैलोरीफिक मूल्य (जी.सी.वी.) पर आधारित थे। ऊर्जा प्रभारों के भुगतान के लिए सूत्र[12] के अनुसार, कोयले की लागत में वृद्धि या कोयले की जी.सी.वी. में कमी के परिणामस्वरूप, एच.पी.पी.सी. को बिल प्रस्तुत करने के लिए, ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि होगी। जे.पी.एल. विद्युत के उत्पादन के लिए देशी कोयले के साथ आयातित कोयले (उच्च लागत के साथ उच्चतर जी.सी.वी. वाला) का प्रयोग कर रही थी।

हमने अवलोकित किया कि अगस्त 2013 से मार्च 2015 के दौरान अनलोडिंग के समय जी.सी.वी. की तुलना में उपभोग के समय आयातित कोयले की जी.सी.वी. कम थी और यह 150 से 690 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम के मध्य थी। परंतु पी.पी.ए. में जे.पी.एल. को भुगतान के उद्देश्य से जी.सी.वी. में होने वाली कमी को सीमित करने के लिए कोई क्लॉज नहीं था। आयातित कोयले की जी.सी.वी. में कमी के कारण एच.पी.पी.सी. को अगस्त 2013 से मार्च 2015

[12] ऊर्जा प्रभार भुगतान = उद्धृत निवल ऊष्मा दर (2,396 किलोकैलोरी/प्रति किलोवाट-आवर) x कोयले की भारित औसत दर (₹/किलोग्राम)/भारित औसत जी.सी.वी. (किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम)।

की अवधि के लिए जे.पी.एल. को ₹ 75.39 करोड़[13] का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, जे.पी.एल. को अधिक भुगतान के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत की उच्चतर लागत वहन करनी पड़ी।

एच.पी.पी.सी. ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2015) कि कोयले की जी.सी.वी. में कमी के विभिन्न कारण थे जैसे कोयले की प्राप्ति और बॉयलर में इसकी अंतिम फीडिंग के मध्य काफी अंतराल होना, कोयले के सूख जाने के कारण वाष्पशीलता की हानि, कोयला यार्ड में स्वत: प्रज्वलन इत्यादि। इसके अतिरिक्त, कोई असीमित आश्वासन नहीं था कि अनलोडिंग के समय लिए गए नमूने हमेशा पूरे ढेर के सच्चे द्योतक हों। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि एच.पी.पी.सी. ने विभिन्न घटकों, जिनके परिणामस्वरूप जी.सी.वी. के मूल्य में कमी हो, को ध्यान में रखते हुए जी.सी.वी. के मूल्य में कमी के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग के मामले में बिजली के लिए एपीलेट ट्रिब्यूनल (ए.पी.टी.ई.एल.) ने भी कहा (दिसंबर 2014) कि थर्मल पावर स्टेशनों में प्राप्त करने और आग जलाने या कोयला कोठरी तक जी.सी.वी. में कमी 150 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम की सीमा में कम की जा सकती थी। जी.सी.वी. में कमी के मामले में भुगतान को सीमित करने के लिए पी.पी.ए. में कोई क्लॉज शामिल न करने के कारण, कंपनी ने मैसर्ज जे.पी.एल. को ₹ 75.39 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया।

पुनः, एच.पी.पी.सी. (सितंबर 2015) और सरकार (नवंबर 2015) ने बताया कि एज रिसीव्ड बेसिस (ए.आर.बी.) पर जी.सी.वी. की तुलना में एयर ड्राईड बेसिस (ए.डी.बी.) पर जी.सी.वी. हमेशा काफी अधिक होगा क्योंकि जी.सी.वी. (ए.डी.बी.) को मापने में सतह की नमी का ध्यान नहीं रखा जाता है। उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में प्राप्त कोयले और जलाते समय कोयले की जी.सी.वी. की तुलना ए.डी.बी. आधार पर की गई है। एच.पी.पी.सी. ने यह भी बताया कि ए.पी.टी.ई.एल. निर्णय जे.पी.एल. पर लागू नहीं है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने इंगित किया है कि कोयले की जी.सी.वी. में कमी को सीमित करने के लिए अनुबंध में कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं था और इस प्रकार जे.पी.एल. की कमियां डिस्कोम्ज को अग्रेषित कर दी गई हैं। जी.सी.वी. में 150 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम की कमी की गुंजाइश केवल अतिरिक्त भुगतान परिकलित करने की सूचक है।

उत्तरोत्तर, केंद्रीय बिजली नियामक आयोग ने अपने 2014 – 19 के विनियमनों में पावर प्लांट पर कोयले की प्राप्ति के समय पर के जी.सी.वी. के आधार पर ही भिन्न – भिन्न ऊर्जा प्रभारों के भुगतान का प्रावधान किया है और पावर प्लांट में जी.सी.वी. के मूल्य में कमी की गुंजाइश का कोई प्रावधान नहीं किया है। तथापि, लेखापरीक्षा ने संतुलित अवलोकन किया है और 150 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम की गुंजाइश अनुमत करने के पश्चात् ही हानि परिकलित की।

[13] 150 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम जी.सी.वी. की कमी की गुंजाइश अनुमत करने के पश्चात् परिकलित।

3.7 ठेका कार्यों के कार्यान्वयन में हानि

डिस्कोम्ज ने अनुबंध की अनियमित निरस्तगी और ठेकेदारों को अधिक भुगतान के कारण ₹ 33.51 करोड़ की हानि उठाई।

दो विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कोम्ज) अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा कृषि लोड को ग्रामीण घरेलू लोड से अलग करने के लिए 11 के.वी. के अतिरिक्त फीडर्ज की आपूर्ति तथा प्रस्थापन के लिए अनुबंध दिए गए जो अब तक सामान्य फीडर्ज द्वारा पोषित किए जा रहे थे।

क. यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने ₹ 33.89 करोड़ की लागत पर माल की आपूर्ति और प्रस्थापन हेतु 11 के.वी. के 145[14] फीडर्ज के निर्माण के लिए मैसर्ज टैराकोम को अनुबंध दिया (15 जून 2007) जो 31 मार्च 2008 तक पूर्ण करने थे। कार्य विलंबित हो गया तथा 31 दिसंबर 2008 तक उसके समय विस्तारण की संस्वीकृति दे दी गई। इस विस्तारण अवधि के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने निर्माण कार्यों में विलंब के लिए 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया (26 नवंबर 2008) और कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के पश्चात् 10 दिसंबर 2008 को अनुबंध समाप्त कर दिया। उस समय तक मैसर्ज टैराकोम ने ₹ 21.15 करोड़[15] का कार्य कर दिया था जिसके विरूद्ध ₹ 2.40 करोड़ के विलंब जुर्माने की कटौती करने के पश्चात् ₹ 10.59 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

ठेकेदार ने यू.एच.बी.वी.एन.एल. को एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए अभिवेदन कर दिया (जनवरी 2009) जिसने निरस्तन को गैर-कानूनी करार दिया (30 जुलाई 2011) क्योंकि यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने नोटिस जारी करने की तिथि से 14वें दिन ही और वह भी विस्तारित पूर्णता अवधि के भीतर (31 दिसंबर 2008 तक) अनुबंध निरस्त किया था। उसने यू.एच.बी.वी.एन.एल. को देय राशि के भुगतान तथा यू.एच.बी.वी.एन.एल. के ₹ 6.29 करोड़[16] के दावों को अस्वीकार करने के अतिरिक्त ब्याज सहित बैंक गारंटी जारी करने का आदेश दिया। कंपनी ने ₹ 4.53 करोड़ के ब्याज सहित किए गए कार्य की लागत की बकाया राशि ₹ 10.54 करोड़ का भुगतान कर दिया। आर्बिट्रेशन निर्णय के विरूद्ध पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर कंपनी की अपीलें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पैशल लीव पेटीशन क्रमशः 19 मार्च 2014 और 11 जुलाई 2014 को खारिज कर दी गई।

हमने अवलोकित किया कि यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने अनुबंध निरस्त करते समय अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों को अनदेखा किया और इस प्रकार ₹ 6.29 करोड़ के दावों की अवसूली और

14 बाद में कम करके 121 कर दिया गया था।

15 ₹ 20.54 करोड़ मूल्य के माल की आपूर्ति की तथा ₹ 0.61 करोड़ मूल्य का प्रस्थापन कार्य निष्पादित किया।

16 विलंब जुर्माना ₹ 2.40 करोड़, परिसमाप्ति क्षतियां ₹ 1.69 करोड़ और छोड़े गए कार्य को पूर्ण करने पर किया गया अतिरिक्त व्यय ₹ 2.20 करोड़।

भुनाई न गई बैंक गारंटी पर ₹ 1.72 करोड़ के ब्याज के कारण कुल ₹ 8.01 करोड़ की हानि उठाई।

आर्बिट्रेशन निर्णय के अनुसार मैसर्ज टैराकोम को भुगतान के पश्चात्, यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने बाद में आंकड़ा-मिलान (जुलाई 2014) के दौरान अवलोकित किया कि ठेकेदार ने ₹ 1.07 करोड़ मूल्य का उसको दिया गया माल नहीं लौटाया था और ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया (जुलाई 2014)। तथापि, कार्रवाई अभी प्रारंभ की जानी है (नवंबर 2015)। इस प्रकार, आपूरित माल के मिलान में विलंब के कारण, यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने ₹ 1.36 करोड़ (₹ 0.29 करोड़ के ब्याज सहित)[17] का अधिक भुगतान किया।

यू.एच.बी.वी.एन.एल. (जुलाई 2015) और सरकार (नवंबर 2015) ने उत्तर दिया कि अनुबंध इसलिए समाप्त किया गया था क्योंकि ठेकेदार निष्पादन समय-सारणी के अनुरूप निर्माण कार्यों को निष्पादित करने में विफल रहा था, न्यायालयों के निर्णय के अनुसार उसको भुगतान किया गया था और ₹ 1.36 करोड़ की वसूली/लेखाकरण के लिए कानूनी कार्यवाहियां प्रक्रिया अधीन है तथा तदनुसार कानूनी मामला दर्ज किया जाएगा। तथ्य यही रहा कि निरस्तगी गैर-कानूनी थी जैसा आर्बिट्रेटर ने भी कहा क्योंकि यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने कार्य पूर्ण करने के लिए इसके द्वारा संस्वीकृत विस्तारण अवधि की समाप्ति से पहले ही अनुबंध निरस्त कर दिया था।

ख. डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने भी मैसर्ज टैराकोम को 29 अक्तूबर 2007 तक पूर्ण करने के लिए ₹ 154.50 करोड़ की कुल लागत पर 261 फीडर्ज के निर्माण के लिए चार टर्नकी निर्माण कार्य प्रदान किए (30 मार्च 2007)। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने विलंब अवलोकित करते हुए 10 दिसंबर 2008 को अनुबंध समाप्त कर दिया।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ₹ 36.34 करोड़[18] मैसर्ज टैराकोम से वसूलनीय थे। इसके विरूद्ध डी.एच.बी.वी.एन.एल. के पास ₹ 33.86 करोड़[19] की कवरेज/प्रतिभूति थी। मैसर्ज टैराकाम ने अनुबंध की निरस्तन के विरूद्ध सिविल न्यायालय में एक मामला दर्ज कराया (दिसंबर 2008) जो कि रद्द कर दिया गया (जनवरी 2009)।

मामला आर्बिट्रेशन में चला गया जहां डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने विलंब जुर्माना और लिक्वीडेटिड डैमेजिज (एल.डी.) ₹ 34.76 करोड़ से कम करके ₹ 11.85 करोड़[20] करने के लिए एक समझौता करार का प्रस्ताव दिया (जून 2011)। कंपनी ने ₹ 24.14 करोड़ की कवरेज/प्रतिभूति मुक्त कर दी (जुलाई 2011-फरवरी 2012)। तथापि, मैसर्ज टैराकाम ने डी.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा परिकलित राशि पर विवाद किया (जनवरी 2012)। डी.एच.बी.वी.एन.एल. के निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) ने महाअधिवक्ता, हरियाणा से कानूनी राय प्राप्त करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2012) जिन्होंने योग्यता-आधार पर मामले पर कानूनी-विवाद करने की राय दी

17 आर्बिट्रेशन अभिवेदन की तारीख अर्थात् जुलाई 2011 से जुलाई 2014 अर्थात् भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज।

18 ₹ 19.31 करोड़ का विलंब जुर्माना, ₹ 15.45 करोड़ का एल.डी. और छोड़े गए कार्य को पूर्ण करने में ₹ 1.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

19 जनवरी 2009 में नकदीकरण किया गया ₹ 18.41 करोड़ का अवरोधन धन और ₹ 15.45 करोड़ का बी.जी.।

20 ₹ 8.81 करोड़ का विलंब जुर्माना और ₹ 3.04 करोड़ का एल.डी.।

(जनवरी 2013)। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने समझौते के निबंधनों को हटाने की मांग के लिए आर्बिट्रेटर के पास अभिवेदन दर्ज कर दिया (18 मार्च 2013)। इसी दौरान मैसर्ज टैराकाम को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास भेज दिया गया (अक्तूबर 2014)।

हमने अवलोकित किया कि इस तथ्य के बावजूद कि सिविल न्यायालय ने योग्यता आधार पर मामले का निर्णय पहले ही इसके पक्ष में दे दिया था डी.एच.बी.वी.एन.एल. समझौते के प्रस्ताव के लिए सहमत हो गया। पुनः, बी.ओ.डी. से इस समझौता-प्रस्ताव के अनुमोदन के बिना ही कवरेज/प्रतिभूति मुक्त कर दी जिस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ निदेशक मंडल/एच.पी.पी.सी. की अनन्य क्षमता के भीतर आने वाले निबंधन शामिल थे। इस प्रकार, डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने ₹ 24.14 करोड़ की अनियमित निर्मुक्ति द्वारा मैसर्ज टैराकोम को अदेय लाभ दिया और स्वयं को ₹ 10.56 करोड़[21] की ब्याज हानि उठाने के अतिरिक्त ₹ 24.49[22] करोड़ की वसूली के रूप में उपलब्ध कवरेज से वंचित रखा (अगस्त 2015)। पुनः, डी.एच.बी.वी.एन.एल. के मामला जीत जाने पर भी वसूली संदेहास्पद है क्योंकि मैसर्ज टैराकाम पहले ही बी.आई.एफ.आर. के पास चला गया है।

मामला सरकार और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के पास भेजा गया था (जुलाई 2015); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2016)।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

3.8 अतिरिक्त व्यय

कंपनी ने उच्चतर दर पर ट्रांसफार्मरों की खरीद में ₹ 1.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

25/31.5 एम.वी.ए. रेटिंग के छः विद्युत ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) की भंडार खरीद समिति (एस.पी.सी.) ने वित्तीय बोलियां खोली (25 अप्रैल 2011) जिसमें ₹ 3.52 करोड़ प्रति ट्रांसफार्मर की निम्नतम समीकृत दर[23] मैसर्ज टैक्नीकल एसोसिएट्स लिमिटेड (एल-1) की थी। एस.पी.सी. ने बैठक के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों[24] (डब्ल्यू.टी.डीज) को अवगत करवाया (17 मई 2011) कि एल-1 फर्म, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एम.वी.वी.एन.एल.), उत्तर प्रदेश द्वारा 12 अगस्त 2010 को ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी, परंतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्म की ब्लैकलिस्टिंग को स्थगित कर दिया था (22 दिसंबर 2010)। डब्ल्यू.टी.डीज ने यूटिलिटी स्तर उच्च शक्ति क्रय

21 ₹ 24.14 करोड़ X 12.5/100 X 42 माह/12 माह।

22 वसूलनीय राशि में ₹ 10.50 करोड़ का विलंब जुर्माना, ₹ 12.41 करोड़ का एल.डी. और छोड़े गए कार्य को पूर्ण करने में ₹ 1.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय शामिल है।

23 यह एफ.ओ.आर. गंतव्य कीमत (₹ 157.54 लाख) और ट्रांसफार्मर के उपयोग पर ट्रांसफोरमेशन हानियों के पूंजीकरण के कारण लोडिंग (₹ 194.61 लाख) का योग है।

24 निदेशक/परियोजना, निदेशक/तकनीकी, निदेशक/वित्त, मुख्य अभियंता और प्रबंध निदेशक से युक्त।

समिति[25] (यू.एल.एच.पी.पी.सी.) को एल-1 फर्म के बारे में विचार करने की सिफारिश की (14 जुलाई 2011) क्योंकि इसकी ब्लैकलिस्टिंग भिन्न विद्युत रेटिंग के ट्रांसफार्मरों के कारण थी और 25/31.5 एम.वी.ए. रेटिंग ट्रांसफार्मरों के लिए कोई प्रतिकूल रिपोर्ट सूचित नहीं की गई थी। एल-1 और एल-2 की दरों के मध्य कुल समीकृत लागत में ₹ 1.41 करोड़[26] का भारी अंतर था। तथापि, यू.एल.एच.पी.पी.सी. ने एल-2 फर्म (मैसर्ज विजय इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड) और एल-3 फर्म (मैसर्ज ई.सी.ई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को ₹ 3.76 करोड़ प्रति ट्रांसफार्मर के एल-2 फर्म की समीकृत दर पर प्रत्येक को तीन ट्रांसफार्मरों का आदेश यह ध्यान में रखते हुए दे दिया (20 जुलाई 2011) कि एल-1 फर्म के ब्लैकलिस्टिंग के आदेश की अनिश्चितता के कारण सुरक्षा और विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जा सकता था। चूंकि खरीद प्रस्ताव का कुल मूल्य अब ₹ 10.04 करोड़ था, राज्य स्तरीय उच्च शक्ति क्रय समिति (एस.एल.एच.पी.पी.सी.) का अनुमोदन अपेक्षित था परंतु कंपनी ने प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए एल-2 और एल-3 फर्मों को स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) जारी कर दिए (3 अगस्त 2011)। इसी बीच, एल-1 फर्म की ब्लैकलिस्टिंग 5 अगस्त 2011 को रद्द कर दी गई। बोलियों की वैधता 31 अगस्त 2011 तक थी। कंपनी को निरस्तगी की सूचना 9 अगस्त 2011 को प्राप्त हुई। एस.एल.एच.पी.पी.सी. ने 20 जुलाई 2011 को यू.एल.एच.पी.पी.सी. द्वारा लिए गए निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान कर दिया (21 सितंबर 2011)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एल-1 फर्म को नजरअंदाज करने तथा एल-2 और एल-3 फर्मों को आदेश देने का प्रारंभिक निर्णय न्यायसंगत नहीं था क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कंपनी द्वारा 12 जनवरी 2011 को तकनीकी बोलियों को खोलने से पहले ही 22 दिसंबर 2010 को एल-1 फर्म के ब्लैकलिस्टिंग के आदेशों को स्थगित कर दिया था। यू.एल.एच.पी.पी.सी. भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी क्योंकि खरीद मूल्य ₹ 10 करोड़ से अधिक था। वित्तीय प्रभावों, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश और बोलियों की वैधता समाप्त होने तक उपलब्ध पर्याप्त समय (9 अगस्त 2011 से 31 अगस्त 2011) को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को प्रस्तावों का पुनरावलोकन करना चाहिए था तथा एल-1 फर्म को आदेश जारी करना चाहिए था।

एल-1 फर्म, जो योग्य थी और कंपनी के साथ संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड रखे हुए थी, उसको नजरअंदाज करके एल-2 और एल-3 फर्म को कार्य प्रदान करने का कंपनी का निर्णय अनुचित था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन (अगस्त 2015) और सरकार (नवंबर 2015) ने अपने उत्तर में बताया कि फर्म को ब्लैकलिस्टिंग को छिपाने के कारण ही नहीं बल्कि विद्युत ट्रांसफार्मरों के घटिया निष्पादन पर एम.वी.वी.एन.एल. द्वारा ब्लैकलिस्टिंग किए जाने के कारण भी नजरअंदाज किया गया था। प्रबंधन ने आगे बताया कि यू.एल.एच.पी.पी.सी. ने इकाई दरों को अनुमोदित कर दिया था और क्रय आदेश तैयार करते समय यह पाया गया कि कुल खरीद का मूल्य ₹ 10 करोड़ से अधिक था और तदनुसार एस.एल.एच.पी.पी.सी. से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किया गया था।

25 पूर्णकालिक निदेशकों, चेयरमैन, विद्युत यूटिलिटीज हरियाणा और वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग हरियाणा से युक्त।

26 ₹ 375.53 लाख (एल-2) - ₹ 352.15 लाख (एल-1) X 6 ट्रांसफार्मर।

उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि यू.एल.एच.पी.पी.सी. द्वारा एल-1 को नजरअंदाज करने का निर्णय (20 जुलाई 2011) और एल-2 बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत दरें स्वीकार करना इसकी सक्षमता के बाहर था तथा इसे मोल-भाव करने और खरीद का निर्णय लेने की बजाय इस मामले पर निर्णय लेने का प्रस्ताव एस.एल.एच.पी.पी.सी. के समक्ष रखना चाहिए था। पुनः, फर्म द्वारा ब्लैकलिस्टिंग का तथ्य प्रकट करना कानूनी रूप से अपेक्षित नहीं था क्योंकि उसे न्यायालय द्वारा स्थगित किया जा चुका था तथा फर्म ने एच.वी.पी.एन.एल. को पहले भी इन ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति की थी जिन पर इसकी कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी।

हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

3.9 एक आबंटी को अनुचित लाभ

कंपनी ने विस्तारण फीस पर ब्याज प्रभारण न करके एक आबंटी को ₹ 1.89 करोड़ का अनुचित लाभ अनुमत किया।

कंपनी ने फेज-VI, उद्योग विहार, गुड़गांव में 8,800 वर्ग मीटर का एक प्लॉट ₹ 0.62 करोड़ की लागत पर मैसर्ज इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड (आबंटी) को लांड्री इकाई स्थापित करने के लिए आबंटित किया (अक्तूबर 1994)। आबंटी ने 12 अक्तूबर 1995 को प्लॉट का कब्जा ले लिया। आबंटन और समय-समय पर संशोधित औद्योगिक नीति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार आबंटी को 29 अप्रैल 2001[27] तक अनुमत आवृत्त क्षेत्र (पी.सी.ए.) के कम से कम 25 प्रतिशत में निर्माण करना था और वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करनी थी, जिसमें विफल होने पर प्लॉट वापस लिए जाने के लिए वह दायी था। आबंटी ने अपेक्षित निर्मित क्षेत्र का निर्माण तो जुलाई 2001 तक पूर्ण कर दिया परंतु इसने कोई वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी। कंपनी ने आबंटी को कई कारण बताओ नोटिस नियमित रूप से जारी किए (अगस्त 2001 से दिसंबर 2012) परंतु आबंटी ने या तो नोटिसों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की या कुछ नोटिसों की प्रतिक्रिया में परियोजना के कार्यान्वयन में विस्तारण का आग्रह किया। कंपनी ने न तो विस्तारण अनुमत किया और न ही प्लॉट वापस लिया।

कंपनी ने एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसंबर 2012) जिसकी प्रतिक्रिया में आबंटी ने सूचित किया (मई 2013) कि उसकी लांड्री परियोजना कार्यान्वित नहीं हो पाई क्योंकि होटल उद्योग को हाल के वर्षों के दौरान बुरी तरह आघात लगा था और मुंबई में उनके ग्रुप होटल पर आतंकी हमला भी हुआ था। आबंटी ने यह भी सूचित किया कि उसने परियोजना पर दुबारा कार्य शुरू किया है और इसे जनवरी 2014 तक पूर्ण करने की स्थिति में होगा। उसने लागू नियमों के अनुसार सभी लागू प्रभारों, विस्तारण फीस आदि के भुगतान करके समयावधि में अनुकूल विस्तारण की संस्वीकृति के लिए निवेदन किया। प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में ऐसे मामलों के निपटान के लिए शक्तिप्रदत्त स्थाई समिति की सिफारिशों पर कंपनी ने परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब की अवधि को विनियमित कर दिया और अपनी संपदा प्रबंधन प्रक्रिया (ई.एम.पी.) 2011 के अनुसार ₹ 250 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष की विस्तारण फीस के भुगतान पर, परंतु बिना ब्याज लगाए जो एक सिफारिश भी थी,

[27] विस्तारण फीस के भुगतान पर आबंटी को अनुमत एक वर्ष की विस्तारण की अधिकतम अवधि सहित।

29 अप्रैल 2015 तक विस्तारण की अनुमति दे दी (मार्च 2014)। आबंटी ने फरवरी से अप्रैल 2014 के दौरान ₹ 3.08 करोड़ की विस्तारण फीस जमा करवा दी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ई.एम.पी. 2011 में प्रावधान है कि परियोजना के कार्यान्वयन में विस्तारण की स्वीकृति विस्तारण फीस और विलंबित अवधि के लिए देय राशि पर 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के भुगतान की शर्त पर होगी। कंपनी के नियमों/नीति में विस्तारण फीस पर ब्याज छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, कंपनी ने विस्तारण फीस पर ब्याज न लगाकर जो ₹ 1.89 करोड़[28] परिकलित हुई, आबंटी को अदेय लाभ प्रदान किया जो इसके ई.एम.पी. 2011 के उल्लंघन में था।

कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2015) कि कार्रवाई, निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित की गई थी जिसने ई.एम.पी. 2011 अनुमोदित किया था और समय-समय पर उसमें परिवर्तन किए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप आबंटी को अनुचित लाभ तथा कंपनी को ₹ 1.89 करोड़ की हानि हुई थी।

3.10 अतिरिक्त व्यय

उद्धृत कीमत की अस्वीकृति के प्रावधान के परिणामस्वरूप बोली प्रक्रिया में विषमता आई जिसके कारण ₹ 1.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

चरणबद्ध रूप में संपदा प्रबंधन, केंद्रीय लेखा प्रणाली और पुनःस्थापना तथा पुनर्वास हेतु वार्षिक भुगतान प्रबंधन के लिए इंटरनेट आधारित एप्लीकेशन के विकास, कार्यान्वयन और रख-रखाव हेतु कंपनी ने एक एजेंसी नियुक्त करने के लिए निवेदन-प्रस्ताव (आर.एफ.पी.) दर्ज किया (जनवरी 2012)। बोली प्रक्रिया एक द्वि-चरणीय मूल्यांकन था। आर.एफ.पी. की धारा 4.1.2 के अनुसार केवल वे बोलीकर्ता, जिनकी पूर्व-योग्यता सह तकनीकी-बोलियों में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक थे, वित्तीय बोली के लिए योग्य थे। आर.एफ.पी. की धारा 4.1.3 में प्रावधान था कि औसत उद्धृण के 50 प्रतिशत से कम या अधिक मूल्य वाला उद्धृण तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बोलीकर्ता का चयन तकनीकी अंकों के लिए 70 प्रतिशत और वित्तीय अंकों के लिए 30 प्रतिशत महत्व के आधार पर परिकलित उच्चतम अंतिम अंकों के आधार पर किया जाना था (धारा 4.2)।

कंपनी ने सात बोलियां प्राप्त की जो 29 फरवरी 2012 को खोली गई जिनमें से तीन बोलीकर्त्ताओं ने पूर्व-योग्यता सह तकनीकी-बोली मूल्यांकन मानदंड में योग्यता प्राप्त की। तीन योग्य बोलाकर्ताओं की वित्तीय बोलियां 26 मार्च 2012 को खोली गई जिसके परिणाम निम्नानुसार थे:

क्र.सं.	बोलीकर्ता का नाम	वित्तीय उद्धृण (कर छोड़कर) ₹ में	तकनीकी अंक
1.	मैसर्ज मार्स टेलीकॉम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	65,25,000	83
2.	मैसर्ज सिल्वरटच टैक्नोलोजीज लिमिटेड, अहमदाबाद	1,92,15,201	80
3.	मैसर्ज देव इन्फारमेशन टैक्नोलोजीज लिमिटेड, अहमदाबाद	2,25,00,000	82

[28] 2001-02 से 2012-13 की अवधि के लिए 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर देय ₹ 22 लाख की वार्षिक विस्तारण फीस पर परिकलित क्योंकि राशि फरवरी 2014 से अप्रैल 2014 के दौरान प्राप्त हुई थी।

मैसर्ज मार्स टेलीकॉम की बोली न्यूनतम होते हुए भी आर.एफ.पी. दस्तावेज की धारा 4.1.3 के तहत् अयोग्य कर दी गई क्योंकि यह तीनों बोलीकर्ताओं के औसत उद्धृणों (₹ 80.40 लाख)[29] के 50 प्रतिशत से कम थी। अन्य दो बोलीकर्ताओं की बोलियां अंतिम अंकों के निर्धारण के लिए ली गई। आर.एफ.पी. दस्तावेज की धारा 4.1.4 के तहत् शेष दोनों बोलकर्ताओं के अंतिम अंक परिकलित किए गए और 86 अंक प्राप्त करने वाले मैसर्ज सिल्वरटच टैकनोलोजीज लिमिटेड को ₹ 1.92 करोड़ का कार्य प्रदान कर दिया गया (जून 2012)। संपूर्ण कार्य 31 मई 2013 से पहले पूर्ण किया जाना था परंतु अब (नवंबर 2015) पूर्ण किया गया है।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2014) कि धारा 4.1.3 (वित्तीय प्रस्ताव निर्धारित करने के लिए) आर.एफ.पी. दस्तावेज में सूचना प्रौद्योगिकी सचिवालय, हरियाणा सरकार द्वारा 14 नवंबर 2011 को आई.टी. और ई.-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता/सिस्टम इंटेग्रेटर नियुक्त करने के लिए जारी किए मार्गनिर्देशों के आधार पर डाली गई थी। इन मार्गनिर्देशों को परिचालित करने में सरकार ने इंगित किया था कि वे अधिक से अधिक केवल सूचक थे और प्रगामी परिपक्वता पर आधारित सुधारात्मक प्रबंध के लिए वहां अवसर दिया गया था। अत: मार्गनिर्देश अनिवार्य नहीं थे। पुन:, यह अवलोकित किया गया कि कोई लागत अनुमान तैयार नहीं किए गए थे।

कंपनी ने फिर भी मार्गनिर्देशों को पूर्ण रूप में अपनाया। मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 14 के परिशिष्ट-क में उल्लेख था कि ''कीमत उद्धृणों, जो बहुत कम या बहुत अधिक थे, पर विचार न करने के प्रावधान को भी 'गुणवता और लागत आधारित चयन' प्रणाली में आने वाली विषमता को छांटने के रूप में अपनाया जा सकता है, जैसे कि जो उद्धृण औसत उद्धृत कीमत के 50 प्रतिशत से कम हैं उन पर विचार न करना'' और कंपनी ने आर.एफ.पी. में इस प्रावधान को शामिल किया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यह प्रावधान उन निविदाओं के मामले में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जहां द्वि-भागीय बोली (तकनीकी और वित्तीय) आमंत्रित की जाती है क्योंकि तकनीकी बोलियां, बोलीकर्ताओं के आदेश के कार्यान्वयन में सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित की जाती हैं। एक बार बोलीकर्ता तकनीकी रूप से योग्य हो जाए तो यह स्पष्ट होने पर कि बोलीकर्ता कार्य के कार्यान्वयन में सक्षम है, वित्तीय बोली केवल न्यूनतम बोलीकर्ता का पता लगाने के लिए खोली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, तकनीकी स्वीकृति के बारे में और अधिक आश्वासन प्रदान करने हेतु धारा 4.1.4 के अंतर्गत अंतिम अंकों में तकनीकी इनपुट के लिए 70 प्रतिशत का महत्व पहले ही दिया जा चुका था। उपर्युक्त मामले में, न्यूनतम बोलीकर्ता (एल-1) अर्थात् मैसर्ज मार्स टेलीकॉम ने पूर्व-योग्यता सह तकनीकी-बोली में उच्चतम अंक (83) प्राप्त किए थे जिसने दर्शाया कि वे कार्य आदेश के कार्यान्वयन में सक्षम थे। तथापि, चूंकि कंपनी ने आर.एफ.पी. में अनुचित प्रावधान शामिल किया था कि औसत उद्धृण के 50 प्रतिशत से अधिक मूल्य वाले या 50 प्रतिशत से कम मूल्य वाले उद्धृण को अस्वीकृत किया जाएगा, इसे न्यूनतम बोलीकर्त्ता को अस्वीकार करना पड़ा। किन्हीं अनुमानों के अभाव में, उनके पास बोलीकर्ता की गंभीरता मूल्यांकित करने के और कोई अन्य उपाय नहीं थे।

[29] (₹ 65.25 लाख + ₹ 192.15 लाख + ₹ 225 लाख)/3 = ₹ 160.80 लाख/2

अत: उन कीमत उद्धृणों को अस्वीकृत करने के उपर्युक्त प्रावधान ने बोली प्रक्रिया को विषम बनाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ (₹ 1.92 करोड़-₹ 0.65 करोड़) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार/कंपनी ने अपने उत्तर में बताया (सितंबर 2015) कि धारा 4.1.3, हरियाणा सरकार द्वारा ई-गर्वनैंस परियोजना की विफलता के जोखिम के परिहार के लिए जारी मानक मार्गनिर्देशों के अनुरूप आर.एफ.पी. में शामिल की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि मार्गनिर्देश, अनिवार्य नहीं थे और कंपनी को इसके कार्यान्वयन से पहले मार्गनिर्देशों के परिणामों के बारे में विचार करना चाहिए था। तथ्य रहता है कि तकनीकी रूप से योग्य फर्म, जो एल-1 भी थी, को इस आधार पर कि इसका उद्धृण औसत उद्धृण से 50 प्रतिशत से कम था, अस्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप कंपनी ने ₹ 1.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

हरियाणा राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

3.11 अतिरिक्त व्यय

कंपनी ने उच्च ऊर्जा प्रभारों तथा विद्युत यंत्रों के रख-रखाव के कारण ₹ 0.48 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

कंपनी ने निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला से ₹ 23.05 करोड़ मूल्य के 37,300 मेजों तथा 1,11,900 कुर्सियों की आपूर्ति का आदेश प्राप्त किया (अक्तूबर 2013)। कंपनी ने इस आदेश को आर.ओ. अंबाला और आर.ओ. कुरूक्षेत्र सहित अपने छ:[30] क्षेत्रीय कार्यालयों (आर.ओज) को बांट दिया। आर.ओ. अंबाला और आर.ओ. कुरूक्षेत्र ने 28,136 मेजों (क्रमश: 14,299 और 13,837 मेजों) तथा 84,408 कुर्सियों (क्रमश: 42,897 और 41,511 कुर्सियों) की आपूर्ति करनी थी। दोनों आर.ओ. कार्यालयों ने 28,093 मेजों (क्रमश: 14,256 और 13,837 मेजों) और 84,279 कुर्सियों (क्रमश: 42,768 और 41,511 कुर्सियों) का निर्माण और आपूर्ति की।

कंपनी की आर.ओ. कुरूक्षेत्र में एक आरा मिल सहित अपनी कार्यशाला थी और कच्चा माल एवं फिक्सर्ज खरीद कर तथा ठेकेदारों को बढ़ई कार्य (यंत्र तथा मशीनों सहित) और पालिश के लिए श्रम का भुगतान करके मेजों और कुर्सियों का निर्माण किया गया था। तथापि, आर.ओ. अंबाला में कच्चा माल जैसे लकड़ी इत्यादि जो कंपनी द्वारा खरीदी गई थी किंतु निर्माण कार्य एल-1 ठेकेदारों को कुटेशनज (बढ़ई की दर; पालिशिंग के श्रम प्रभार और ऊर्जा की लागत व बिजली के उपकरणों के रख-रखाव हेतु) आमंत्रित करने के पश्चात् प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2014) कि आर.ओ. अंबाला में ठेकेदारों को कार्य प्रदान करने से पहले कंपनी ने बढ़ई कार्य, श्रम प्रभारों इत्यादि की आर.ओ. कुरूक्षेत्र (जहां कंपनी की अपनी आरा मिल है) की दरों से तुलना नहीं की थी। ठेकेदारों को भुगतान किए गए ऊर्जा प्रभार वास्तविक आधार पर होने चाहिए थे और बिजली उपकरणों के रख-रखाव के कारण किया गया भुगतान इन उपकरणों की लागत से अधिक नहीं होना चाहिए था। तथापि, आर.ओ. कुरूक्षेत्र में ₹ 20.29 प्रति मेज और ₹ 5.75 प्रति कुर्सी के विरूद्ध

30 अंबाला, गुड़गांव, हिसार, जींद, कुरूक्षेत्र तथा रोहतक।

आर.ओ. अंबाला ने ठेकेदार को ₹ 186.57 प्रति मेज और ₹ 53.77 प्रति कुर्सी की दर पर ऊर्जा प्रभारों का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.44 करोड़[31] का अतिरिक्त व्यय हुआ। पुनः, आर.ओ. अंबाला ने ठेकेदारों को बिजली के उपकरणों के रख-रखाव की लागत के रूप में निर्दिष्ट दरों पर ₹ 0.35 करोड़ का भुगतान किया जबकि आर.ओ. गुड़गांव कार्यालय ने भी इस आदेश के एक हिस्से का निष्पादन ₹ 0.10 करोड़ की लागत पर बिजली के उपकरण खरीद कर किया। आर.ओ. अंबाला ने आर.ओ. गुड़गांव के व्यय की तुलना में न सिर्फ ₹ 0.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय ही किया बल्कि भविष्य में प्रयोग के लिए कोई परिसंपत्ति भी सृजित नहीं की। अतः यदि आर.ओ. अंबाला ने आर.ओ. कुरूक्षेत्र द्वारा वास्तविक आधार पर भुगतान किए गए ऊर्जा प्रभारों को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रदान किया होता और अपने बिजली के उपकरण खरीदे होते, तो कंपनी ₹ 0.69 करोड़ (₹ 0.44 करोड़ और ₹ 0.25 करोड़) के अतिरिक्त व्यय का परिहार कर सकती थी।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2015) कि आर.ओ. अंबाला के पास इस आदेश को निष्पादित करने के लिए अपनी स्वयं की कार्यशाला हेतु स्थान नहीं था और इस हेतु पर्याप्त स्थान वाले ग्रामीण क्षेत्र में मासिक किराए के आधार पर एक भवन किराए पर लिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की भारी कमी के कारण जेनरेटर सैट प्रयुक्त किए गए थे जबकि आर.ओ. कुरूक्षेत्र के पास शहरी क्षेत्र में अपना परिसर था। जेनरेटर सैट के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा की लागत यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा दी गई आपूर्ति से 4-5 गुणा अधिक थी। पुनः, आर.ओ. अंबाला में आरा मिल मशीनों और जेनरेटर सेटों के प्रस्थापन के लिए स्थान के अभाव तथा इस प्रकार के भारी आदेश दुबारा प्राप्त करने की अनिश्चितता के कारण आर.ओ. अंबाला ने इन विद्युत उपकरणों को नहीं खरीदा।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस तथ्य, कि जेनरेटर सेटों द्वारा बिजली उत्पादन की दरें यू.एच.बी.वी.एन.एल. को देय विद्युत की लागत से पांच गुणा अधिक है, पर विचार करने के पश्चात् भी भुगतान किए गए बिजली प्रभार बहुत अधिक थे और तदनुसार कंपनी ने बिजली प्रभारों पर ₹ 0.23 करोड़[32] का अतिरिक्त व्यय किया। पुनः, जो उपकरण ₹ 0.10 करोड़ (आर.ओ. गुड़गांव में अधिग्रहण की लागत) में खरीदे जा सकते थे, उनके रख-रखाव पर ठेकेदार को किया गया ₹ 0.35 करोड़ का भुगतान, इस आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता कि ऐसे भारी आदेश की पुनरावृत्ति की निश्चितता नहीं थी।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2015) कि कंपनी का ग्रामीण क्षेत्र में भवन किराए पर लेने का निर्णय विवेकपूर्ण था क्योंकि उसी आकार के भवन का शहरी क्षेत्र में किराया ₹ 0.29 करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक था और कंपनी के उद्देश्य में कृषक और श्रमिक समुदाय के वित्तीय स्तर को बढ़ाने और वन पर आधारित संबंधित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन जैसे उद्देश्य शामिल थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि उच्चतर ऊर्जा प्रभारों पर किए गए ₹ 0.23 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में भवन को किराए पर लेने के कारण बचाई गई राशि से नहीं की जा सकती क्योंकि कंपनी को जेनरेटर

[31] अतिरिक्त व्ययः 14,256 मेज x (₹ 186.57 - ₹ 20.29) + 42,768 कुर्सियां x (₹ 53.77 - ₹ 5.75)।

[32] अतिरिक्त व्ययः 14,256 मेज x (₹ 186.57 - ₹ 20.29 x 5) + 42,768 कुर्सियां x (₹ 53.77 - ₹ 5.75 x 5)।

सैटों के द्वारा प्रयुक्त बिजली पर उच्चतर ऊर्जा प्रभार (यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा प्रभारित ऊर्जा की लागत का पांच गुणा) का भुगतान करना पड़ा।

अत:, कंपनी ने ठेकेदार को ₹ 0.48 करोड़ (अधिक ऊर्जा प्रभार-₹ 0.23 करोड़ और उपकरणों के रख-रखाव के लिए किया गया अधिक भुगतान-₹ 0.25 करोड़[33]) का अधिक भुगतान किया।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

3.12 राजस्व की हानि

कंपनी ने गेहूं स्टाक के अवैज्ञानिक और अनुपयुक्त परिरक्षण के कारण ₹ 7.89 करोड़ की हानि उठाई।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की ओर से केंद्रीय पूल के लिए मंडियों से गेहूं का प्रापण करती है और समय-समय पर दी गई समय सारणी के अनुसार इसे एफ.सी.आई. को प्रेषित करती है। गेहूं प्रेषित करने के पश्चात्, कंपनी खाद्यान्नों की लागत और अन्य प्रभारों की प्रतिपूर्ति का दावा एफ.सी.आई. से करती है। कंपनी के दावे न्यूनतम समर्थन मूल्य[34] जमा सांविधिक प्रभार और गेहूं के अन्य प्रासंगिक प्रभार, जैसे कि भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा समय-समय पर नियत किए जाते हैं, पर आधारित होते हैं। एफ.सी.आई. के मार्गनिर्देशों के अनुसार यदि स्टॉक की क्षति कंपनी की अभिरक्षा के दौरान हो तो भारत सरकार हानि की प्रतिपूर्ति नहीं करती क्योंकि प्रापण किए गए खाद्यान्नों की सुरक्षित अभिरक्षा/परिरक्षण कंपनी का उत्तरदायित्व है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (नवंबर 2014) कि एफ.सी.आई. ने फसल वर्ष 2010-11 और 2011-12 में 5,974.85[35] एम.टी. गेहूं का अधिग्रहण नहीं किया क्योंकि उसे अनुपयुक्त परिरक्षण तथा अवैज्ञानिक भंडारण के कारण क्षतिग्रस्त और उत्तरोत्तर जारी न किए जाने योग्य पाया गया। एफ.सी.आई. ने क्षतिग्रस्त गेहूं की मात्रा को मानवीय उपभोग के लिए अयोग्य तथा पशु आहार के रूप में वर्गीकृत किया जिसको पशु आहार निर्माताओं को विक्रय के माध्यम से निपटाया जाना था।

क्षतिग्रस्त स्टॉक के 5,974.85 एम.टी. में से, कंपनी ने जनवरी 2014 में निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् 2,457.55 एम.टी. का निपटान कर दिया और 3,517.30 एम.टी. की शेष मात्रा बच गई। तदोपरांत, मई 2014 में, 895.50 एम.टी. गेहूं (794.50 एम.टी.: नीलोखेड़ी, करनाल फसल वर्ष 2011-12 के लिए और 101 एम.टी.: अमीन, कुरूक्षेत्र फसल वर्ष 2012-13 के लिए) भी क्षतिग्रस्त पाया गया। कुल 4,412.80 एम.टी. (3,517.30 एम.टी. और 895.50 एम.टी.) गेहूं में से 4,327.70 एम.टी. का जून 2014 में निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् निपटान कर दिया

33 ₹ 35.42 लाख (उपकरणों के रख-रखाव के लिए किया गया भुगतान)-₹ 10.44 लाख (आर.ओ. गुड़गांव द्वारा खरीदे गए उपकरणों की लागत)।

34 एम.एस.पी. वह कीमत है जिस पर सरकार सीधे किसानों से फसल खरीदने को तैयार होती है यदि फसल की कीमत एम.एस.पी. से नीचे चली जाए।

35 जीतराम प्लिन्थ (इन्द्री-2,440 एम.टी.), एच.ए.आई.सी. मंडी (कुरूक्षेत्र-1,471.15 एम.टी.), एग्रो काम्पलैक्स (पिपली-617 एम.टी.), आर.डी. राइस मिल (330 एम.टी.) और एग्रो मंडी (कुरूक्षेत्र-1,471.15 एम.टी.) में भंडारित।

गया। शेष 85.10 एम.टी. को या तो भार की हानि या कमी के रूप में दिखाया गया। कंपनी ने ₹ 13.35 करोड़ के क्षतिग्रस्त स्टॉक, जो एफ.सी.आई. से वसूल कर लिए जाते यदि गेहूं का भंडारण एफ.सी.आई. के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाता, के विरूद्ध उसके निपटान से ₹ 5.46 करोड़ की वसूली की। अत:, कंपनी ने अवैज्ञानिक और अनुपयुक्त परिरक्षण के कारण क्षतिग्रस्त गेहूं (फसल वर्ष 2010-11 और 2011-12) के निपटान पर ₹ 7.89 करोड़ (₹ 13.35 करोड़-₹ 5.46 करोड़) की परिहार्य हानि उठाई।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया (जून 2015) कि गेहूं स्टॉक, खुले प्लिन्थ पर देर तक भंडारण के कारण क्षतिग्रस्त हुए। यह भी सूचित किया गया कि संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई थी।

मामला सरकार के पास भेजा गया था (मई 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

3.13 अनाधिकृत टोल संग्रहण

कंपनी ने पांच राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित होने के बावजूद हरियाणा मैकेनिकल वाहन (टोल-उद्ग्रहण), अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 29.31 करोड़ के टोल लगाना और एकत्र करना जारी रखा।

हरियाणा मैकेनिकल वाहन (टोल-उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996 की धारा 3 प्रावधान करती है कि एक बार किसी राज्य राजमार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित हो जाने पर उससे गुजरने वाले या किसी टोल सुविधा का उपयोग करने वाले किसी भी मैकेनिकल वाहन पर टोल उद्गृहीत नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग संघ-सूची के अंतर्गत आवृत्त हैं तथा इस विषय पर कोई कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है।

कंपनी राज्य राजमार्गों का विकास करती है तथा समय-समय पर राज्य सरकार के निर्देशों/अनुमोदन के अनुसार टोल एकत्र करती है। कंपनी द्वारा विकसित पांच राज्य राजमार्गों[36] पर पांच टोल बिंदुओं पर यह स्वयं अथवा ठेकेदारों द्वारा टोल एकत्र कर रही थी। इन पांच अनुबंधों की वैधता की अवधि अप्रैल 2014 से फरवरी 2016 के मध्य थी। अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों में प्रावधान किया गया था कि कंपनी 15 दिन का नोटिस जारी करने के पश्चात्, कोई कारण बताए बिना, किसी भी समय उनके अनुबंध को खत्म कर सकती है।

भारत सरकार, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने इन पांच राज्य राजमार्गों को 4 मार्च 2014 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया। हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने हरियाणा मैकेनिकल वाहन (टोल-उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी 15 दिन का नोटिस देने के पश्चात् कोई कारण बताए बिना उनके अनुबंध को खत्म कर सकती है, 25 दिसंबर 2014 तक इन सड़कों से टोल वसूलना जारी रखा तथा ₹ 29.31 करोड़ एकत्र किए।

[36] गुड़गांव-सोहना सड़क, सोहना-नूंह-फिरोजपुर झिरका-अलवर सड़क, यू.पी. बार्डर-सोनीपत गोहाना सड़क, सरदुलगढ़-सिरसा सड़क, नारनौल -सिंघाना सड़क।

प्रबंधन ने बताया (जून 2015) कि वित्त विभाग की सहमति तथा मंत्री परिषद के अनुमोदन के बिना अधिसूचित टोल स्थानों पर टोल के संग्रहण को बंद नहीं किया जा सकता था। मंत्री परिषद द्वारा इन टोल बिंदुओं को बंद करने के प्रस्ताव को अनुमोदन (25 नवंबर 2014) देने के पश्चात् इन्हें बंद करने की अधिसूचना जारी (10 दिसंबर 2014) कर दी गई थी तथा तद्नुसार 26 दिसंबर 2014 को इन्हें बंद कर दिया गया था। इसीलिए इन पांच स्थानों पर टोल का संग्रहण अनाधिकृत नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि जब कंपनी को मार्च 2014 में राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा का पता चला तो कंपनी ने टोल के संग्रहण को बंद करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तुरंत आरंभ नहीं की थी। टोलज के निरस्तीकरण के लिए अनुमोदन मांगने की प्रक्रिया को देरी से आरंभ करने के परिणामस्वरूप निर्णय लेने में देरी हुई तथा मार्च 2014 से दिसंबर 2014 तक टोल लगाना तथा संग्रहण करना उपयोगकर्ताओं पर अनावश्यक भार था।

मामला सरकार के पास भेज दिया गया था (मई 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड

3.14 मूल गतिविधियों की समीक्षा

कंपनी ने वर्ष 2012-13 से अपनी मूल गतिविधियों में परिचालनात्मक हानियां उठानी शुरू कर दी तथा इसने 2014-15 में उच्च खाद्य तथा ईंधन लागत, उच्च मानवशक्ति लागत, नवीन मार्केटिंग योजना की कमी तथा अपने कॉम्पलैक्सों पर सेवाओं की निम्न गुणवत्ता के कारण ₹ 5.44 करोड़ की हानि उठाई।

3.14.1 प्रस्तावना

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (कंपनी) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित (मई 1974) की गई थी। इसने 2010-11 से 2014-15 के दौरान 42 से 43 कांप्लैक्स संचालित किए जो पर्यटन विभाग द्वारा पट्टे पर दिए गए थे। कंपनी ने अपनी गतिविधियों को मूल गतिविधियों (अकोमोडेशन, केटरिंग तथा लिक्वर) तथा गैर-मूल गतिविधियों (लीजिंग, पार्किंग, गेट एंट्री, बोटिंग तथा पेट्रोल पंपों) में बांटा था। लेखापरीक्षा ने मूल गतिविधियों, जो राज्य में पर्यटन के बढ़ाने का मुख्य संघटक है, के संचालन की जांच की। कंपनी में मूल गतिविधियों से राजस्व का हिस्सा 2009-14 के दौरान 16.59 से 20.30 प्रतिशत के मध्य रहा। लेखापरीक्षा ने 11 कांप्लैक्सों[37], जिनकी कोर गतिविधियों ने 43 प्रतिशत टर्नओवर दिया, को कार्यक्षमता का निर्धारण करने के लिए विस्तृत संवीक्षा के लिए नमूने के रूप में चुना।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी के कुल परिचालानात्मक लाभ[38] में कोर गतिविधियों का हिस्सा 2010-11 में ₹ 5.79 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 2.37 करोड़ तक रह गया

37 'आकार के आधार पर आनुपातिक संभाव्यता विधि' के अनुसार उनके टर्नओवर के आधार पर यादवेन्द्र गार्डन पिंजौर, किंगफिशर अंबाला, मैगपाई फरीदाबाद, बड़खल झील फरीदाबाद, होटल राजहंस, सूरजकुंड, हरमिटेज हट्स सूरजकुंड, सारस दमदमा, बारबेट सोहना, ग्रे-पेलिकेन यमुनानगर, तिलयार रोहतक तथा स्काईलार्क पानीपत काम्पलैक्स चुने गए थे।

38 'काम्पलैक्स में कुल ऑपरेशनल लाभ/हानि घटा नॉन-कोर गतिविधियों से हुई बिक्रियों' के आधार पर लेखापरीक्षा में परिकलित। कुल आपरेशनल लाभ कंपनी के सामान्य ओवरहेड तथा मूल्यह्रास में कमी की अनुभाजन लागत को प्रभारित किए बिना परिकलित किए गए थे।

तथा अनुवर्ती वर्षों में हानि में बदल गया जो 2012 – 13 में ₹ 0.64 करोड़ से बढ़कर 2014 – 15 में ₹ 5.44 करोड़ हो गया। हानि उठाने वाले टुरिस्ट काम्पलैक्सों की संख्या 2010 – 11 में 26 (60 प्रतिशत) से बढ़कर 2014 – 15 मे 32 (76 प्रतिशत) हो गई। इनमें से, 24 काम्पलैक्स 2010 – 15 के दौरान अपनी मूल गतिविधियों में लगातार हानि उठा रहे थे तथा इस अवधि के दौरान उन्होंने ₹ 35.26 करोड़ की परिचालनात्मक हानि उठाई।

3.14.2 पर्यटक आगमन

कंपनी के काम्पलैक्सों में आने वाले घरेलू पर्यटकों[39] की संख्या 2010 – 11 में 68.25 लाख से कम होकर 2013 – 14 में 64.47 लाख रह गई तथा 2014 – 15 में बढ़कर 75.46 लाख हो गई। इसी समय 2010 – 15 के दौरान काम्पलैक्सों में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.30 लाख से बढ़कर 3.06 लाख हो गई। तथापि, समग्र पर्यटक आगमन 2010 – 11 में 69.55 लाख से घटकर 2013 – 14 मे 66.87 लाख रह गया लेकिन 2014 – 15 में बढ़कर 78.52 लाख हो गया। कंपनी को पर्यटकों के फीडबैक का विश्लेषण करके अपने काम्पलैक्सों में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन फ्रैंडली सुविधाओं को अपनाने की आवश्यकता है।

3.14.3 लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

कंपनी ने मूल गतिविधियों के लिए प्रत्येक काम्पलैक्स हेतु तिमाही वित्तीय लक्ष्य[40] निर्धारित किए। यह अवलोकित किया गया था कि लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले काम्पलैक्सों की संख्या 2010 – 11 में 12 से घटकर 2014 – 15 में 2 रह गई तथा लक्ष्यों को प्राप्त न करने वाले काम्पलैक्सों के संबंध में इस कमी की प्रतिशतता इस अवधि के दौरान सभी काम्पलैक्सों की 9.02 से 77.02 के मध्य रही। चयनित काम्पलैक्सों के संबंध में मुख्य मापदण्डों जैसे लाभप्रदता, अधिभोग तथा अन्य लागत घटकों की प्रवृतियां ***परिशिष्ट 7*** में दी गई हैं।

प्रबंधन (सितंबर 2015) तथा सरकार (दिसंबर 2015) ने बताया कि काम्पलैक्सों पर दबाव डालने के लिए लक्ष्यों को आमतौर पर ऊंचा रखा गया था तथा कच्चे माल की अधिक लागत, अधिक वेतन लागत तथा काम्पलैक्सों तक पहुंचने में मुश्किलों के कारण बिजनेस में कमी के कारण ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। कच्चे माल की लागत तथा वेतन बिलों में बढ़ोतरी के घटकों को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है तथा कंपनी को वास्तविक और प्राप्य लक्ष्यों को ही रखना चाहिए था। लक्ष्यों में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी वाले काम्पलैक्स 2012 – 13 में 3 से बढ़कर 2014 – 15 में 39 हो गए।

3.14.4 खाद्य लागत तथा ईंधन लागत

कंपनी ने खाद्य लागत (अगस्त 2008) तथा ईंधन लागत (दिसंबर 2012) के लिए मानदण्ड निर्धारित किए थे जिनके अनुसार इसके सभी काम्पलैक्सों के टर्नओवर की खाद्य लागत 20 से 35 प्रतिशत के मध्य तथा ईंधन लागत 5 से 12 प्रतिशत के मध्य होनी थी। चयनित 11 काम्पलैक्सों में, उन काम्पलैक्सों की संख्या जहां खाद्य लागत मानदण्ड से अधिक थी,

39 पर्यटन विभाग, हरियाणा द्वारा संकलित डाटा।

40 लक्ष्य 2012 – 13 तक टर्नओवर के अनुसार तथा 2013 – 14 से आपरेशनल लाभों के अनुसार निर्धारित किए गए थे।

2010 – 15 के दौरान 3 से 5 के मध्य रही। इन काम्पलैक्सों में ₹ 0.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय था। इसी प्रकार, वह काम्पलैक्स, जहां पर ईंधन लागत मानदण्ड से अधिक थी, 2010 – 11 में 4 से बढ़कर 2013 – 14 में 9 हो गए तथा 2014 – 15 में 7 रह गए। इन स्थानों पर ₹ 0.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय था।

लोक उपक्रम समिति ने भी सिफारिश की थी (मार्च 2013) कि कंपनी को खाद्य लागत मानदण्ड के नजदीक रखनी चाहिए तथा गुणवत्ता को बनाए रखने की कोशिश की जाए एवं लागत उचित हो। 2013 – 14 तथा 2014 – 15 के दौरान कंपनी अपनी खाद्य लागत को नियंत्रित करने में विफल रही। चयनित 11 काम्पलैक्सों में से 4 तथा 5[41] में खाद्य लागत अभी भी मानदण्ड से अधिक थी तथा दो वर्षों के दौरान अधिक उपभोग 4.55 प्रतिशत से 25.92 प्रतिशत के मध्य रहा।

प्रबंधन (सितंबर 2015) तथा सरकार (दिसंबर 2015) ने बताया कि कुछ इकाइयां कच्चे माल तथा ईंधन लागत की दरों में बढ़ोतरी के कारण मानदण्ड को प्राप्त नहीं कर सकी थीं तथा मानदण्ड की समीक्षा प्रक्रिया अधीन थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मानदण्ड कच्चे माल तथा ईंधन की लागत में प्रगति को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।

3.14.5 बिजली की लागत

हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने अपने पर्यटन काम्पलैक्सों में बिजली के उपभोग के लिए मानदण्ड निर्धारित नहीं किए थे। चयनित 11 काम्पलैक्सों में, 2010 – 15 के दौरान टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में बिजली की औसत लागत 5.39 (हर्मिटेज हटस, सूरजकुण्ड) से 32.31 (यादवेन्द्र गार्डन, पिंजौर) के मध्य रही। कंपनी को उच्च बिजली लागत नियंत्रित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने की आवश्यकता है। पुन:, कंपनी ने नमूना – जांच किए गए 11 काम्पलैक्सों में से केवल दो[42] के गैस्ट रूमों में ही की – कार्ड सिस्टम[43] स्थापित किए थे। की – कार्ड सिस्टम के प्रयोग से, कमरों में बिजली उपभोग को 20 से 30 प्रतिशत तक कम[44] किया जा सकता था तथा तद्नुसार कंपनी अपने बिजली प्रभारों से ₹ 1.71 करोड़ (₹ 8.54 करोड़ के बिजली बिलों का 20 प्रतिशत) बचा सकती थी।

कंपनी अपने काम्पलैक्सों में प्राप्त किए गए बिजली कनैक्शनों के लिए कुल संस्वीकृत लोड पर निर्धारित प्रभारों का भुगतान कर रही थी। पांच[45] काम्पलैक्सों में बिजली बिलों में दर्ज अधिकतम मांग इनके अनुमोदित/कनैक्टिड लोड से कम थी। यदि कंपनी वास्तविक जरूरतों के आधार पर अपने अनुमोदित लोड को कम करवा लेती, तो यह इन पांच काम्पलैक्सों में 2012 – 13 से 2014 – 15 के दौरान ₹ 0.44 करोड़ के भुगतान को बचा सकती थी।

41 बड़खल, फरीदाबाद, हरमिटेज हट्स सूरजकुंड, होटल राजहंस सूरजकुंड, यादवेन्द्र गार्डन पिंजौर तथा बारबेट सोहना।

42 सोहना तथा यमुनानगर।

43 एक ऊर्जा बचत प्रणाली जिसमें जब क्लांईट अपने कमरे में प्रवेश करने पर कमरे की चाबी के साथ लगे कार्ड को डालता है तो बिजली आ जाती है तथा जब क्लांईट कमरे को छोड़ता है, कार्ड के वापस निकालने पर बिजली बंद हो जाती है।

44 होटल एनर्जी सोल्युशनज (संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा आरंभ की गई परियोजना) में ऊर्जा दक्षता पर पेपर के अनुसार।

45 होटल राजहंस, तिलयार रोहतक, स्काईलार्क पानीपत, किंगफिशर अंबाला तथा मैगपाई फरीदाबाद।

तथ्यों को स्वीकार करते समय प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2015) कि बिजली बचाने तथा यूनिट लेवल पर संस्वीकृत लोड का पुन: निर्धारण करने के निर्देश जारी (सितंबर 2015) कर दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि होटल राजहंस, सूरजकुण्ड ने आवासीय स्टाफ क्वार्टरों सहित अपने काम्पलैक्स के लिए 802 के.डब्ल्यू. के बल्क आपूर्ति बिजली कनैक्शन प्राप्त किए थे। आवासीय क्षेत्र में 2009-15 के दौरान 197 के.डब्ल्यू. तथा 164 के.डब्ल्यू. के मध्य कनैक्टिड लोड के साथ 81 से 66 स्टाफ क्वार्टर थे। इसने आवासीय क्षेत्र में बिजली के उपभोग को मापने के लिए कोई सब-मीटर स्थापित नहीं किए थे तथा इसकी बजाय आबंटी कर्मचारियों से एकमुश्त राशि प्रभारित की थी। इस प्रकार, कंपनी को स्टाफ क्वार्टरों के लिए अलग मीटर न लगवाने के कारण 2009-15 के दौरान ₹ 0.83 करोड़[46] राशि वहन करनी पड़ी थी।

प्रबंधन (सितंबर 2015) तथा सरकार (दिसंबर 2015) ने बताया कि जून 2015 में प्रत्येक आवासीय डवैलिंग यूनिट में अलग घरेलू बिजनी कनैक्शन दे दिए गए थे। तथापि तथ्य रहता है कि स्टाफ क्वार्टरों के लिए अलग मीटर की स्थापना में विलंबित कार्रवाई के कारण कंपनी को 2009-15 के दौरान ₹ 0.83 करोड़ की राशि वहन करनी पड़ी थी।

3.14.6 मानवशक्ति लागत

कंपनी ने निर्णय (मार्च 1989) लिया था कि प्रत्येक काम्पलैक्स पर वेतन लागत उस काम्पलैक्स के टर्नओवर के 20 से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित 11 काम्पलैक्सों में 2010-15 के दौरान वेतन लागत टर्नओवर का 29.03 प्रतिशत (हर्मिटेज हटस, सूरजकुण्ड) से लेकर 58.75 प्रतिशत (स्काईलार्क, पानीपत) तक के मध्य रही थी। ₹ 149.88 करोड़ के कुल टर्नओवर के विरूद्ध, काम्पलैक्सों ने वेतन लागत पर ₹ 68.40 करोड़ (45.64 प्रतिशत) व्यय किए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2010-15 के दौरान लगातार उच्च मानवशक्ति लागत के बावजूद, प्रबंधन ने इसे पुनर्गठित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए।

प्रबंधन (सितंबर 2015) तथा सरकार (दिसंबर 2015) ने बताया कि सेवाओं की आउटसोर्सिंग को बढ़ाकर नियमित पदों की संख्या कम करने तथा बिक्री को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी।

3.14.7 काम्पलैक्सों का अधिभोग

कंपनी ने अधिभोग के लिए न तो कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे और न ही अपने काम्पलैक्सों के लिए ब्रेकइवन स्तर को परिकलित किया था। 2010-15 के दौरान काम्पलैक्सों के अधिभोग स्तर 55 प्रतिशत (2012-13) से 71 प्रतिशत (2010-11) के मध्य रहे थे।

2009-14 के दौरान 60 प्रतिशत[47] के कुल कमरा-अधिभोग के अखिल भारतीय औसत के विरूद्ध, चयनित 11 काम्पलैक्सों में से तीन काम्पलैक्सों[48] का औसत अधिभोग 44 प्रतिशत से

46 यह बिजली वितरण कंपनियों के मानकों के अनुसार एक कमरे के लिए 2 के.डब्ल्यू., दो कमरों के लिए 3 के.डब्ल्यू. तथा अधिकारी क्वार्टर के लिए 5 के.डब्ल्यू. के कनैक्टिड लोड को मानकर परिकलित किया गया है।

47 स्रोत: भारतीय डाटा की होटल तथा रेस्टोरेंट एसोसिएशन फेडरेशन।

48 यादविंद्र गार्डन पिंजौर, होटल राजहंस तथा सारस दमदमा।

57 प्रतिशत के मध्य रहा। होटल राजहंस का औसत अधिभोग 2009-14 के दौरान 31 प्रतिशत पर न्यूनतम था।

राज्य की पर्यटन नीति 2008 में उल्लेख है कि कंपनी पर्यटन को बढ़ाने तथा मार्केटिंग के लिए इवेंट मैनेजरों की सेवाएं ले सकती है तथा अधिक पर्यटक फ्रेंडली बनाने के लिए अपने होटलों में सुविधाएं प्रदान कर सकती है। तथापि, कंपनी ने 2010-15 के दौरान केवल दो अवसरों[49] को छोड़कर इवेंट मैनेजरों की सेवाएं नहीं ली थी।

प्रबंधन (सितंबर 2015) तथा सरकार (दिसंबर 2015) ने बताया कि अधिभोग प्रतिशतता किसी एक काम्पलैक्स के कारण नहीं बल्कि सभी पर्यटन काम्पलैक्सों तक पहुंचने में कठिनाई के कारण प्रभावित हुई थी तथा कमरों की दरों में परिवर्तनशीलता को प्रयोग आधार पर होटल राजहंस में कार्यान्वित (जून 2015) किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चयनित 11 काम्पलैक्सों में से केवल दो[50] में काम्पलैक्सों तक पहुंच बाधित थी तथा अलग-अलग काम्पलैक्सों का खराब बिजनेस निष्पादन समग्र कंपनी के निष्पादन को प्रभावित करता है।

लोक उपक्रम समिति ने भी सिफारिश की थी कि अधिभोग को सुधारने के लिए, काम्पलैक्सों के प्रभारी अधिकारियों को कमरों की परिवर्तनशील दरें प्रस्तावित करने की शक्तियां दी जाए ताकि वे प्राइवेट होटलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें लेकिन कंपनी ने अभी तक (नवंबर 2015) प्रयोग आधार पर केवल एक काम्पलैक्स पर ही कार्रवाई की थी।

3.14.8 सेवाओं की गुणवत्ता

सेवाओं की गुणवत्ता में ग्राहक की संतुष्टता को प्राप्त करने के लिए खाने की गुणवत्ता, स्वास्थ्यकर पर्यावरण, स्वच्छता, परिसरों की सुरक्षा तथा स्टाफ का व्यवहार शामिल है। तथापि, कंपनी ने अपने काम्पलैक्सों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर कोई नीति/मानदण्ड नहीं बनाए थे।

सेवाओं की गुणवत्ता की जांच तथा रख-रखाव के लिए, काम्पलैक्सों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, अक्तूबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान केवल आठ निरीक्षण (96 निरीक्षण के मानदण्ड के विरूद्ध) तथा 2014-15 में निरीक्षण के दौरान (192 निरीक्षणों के मानदण्ड के विरूद्ध) 40 निरीक्षण किए गए थे। इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण यंत्रावली, जिसके माध्यम से सेवाओं तथा ग्राहक संतुष्टता की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग तथा सुधार किया जाना चाहिए था, एक लापरवाह तरीके से क्रियान्वित की गई।

निष्कर्ष

प्रबंधन द्वारा निर्धारित मूल गतिविधियों के लिए वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले काम्पलैक्सों की संख्या की घटती प्रवृति थी। निम्न अधिभोग के साथ-साथ उच्च मानवशक्ति लागत और खाद्य, ईंधन तथा बिजली लागतों का निर्धारित मानदण्ड से अधिक होने के कारण 2012-13 से 2014-15 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी ने अपनी मूल गतिविधियों में हानि उठाई थी।

49 पिंजौर में मैंगो मेला 2014 तथा हेरिटेज फेस्टीवैल 2014.

50 किंगफिशर अंबाला तथा स्काईलार्क पानीपत।

सांविधिक निगम

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

3.15 परिहार्य व्यय

निगम ने भवन की जमाबंदी को अपने नाम किए बिना ही भवन निर्माण पर ₹ 0.69 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

राज्य सरकार ने राज्य खाद्यान्न भण्डारण क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया (19 जून 2012) तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (निगम) को भंडारण क्षमता सात लाख एम.टी. बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार ने इस अतिरिक्त भण्डारण के सृजन के लिए निगम को राजकीय पशुधन फार्म (जी.एल.एफ.) से संबंधित भूमि[51] के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन दिया (19 दिसंबर 2013)। निगम ने जी.एल.एफ. को ₹ 12.78 करोड़ का भुगतान किया (26 मार्च 2014) तथा भूमि का अधिपत्य लिया (1 अप्रैल 2014)। इसने राजस्व प्राधिकारियों, हिसार से भूमि का सीमांकन भी करा लिया (14 मई 2014)। तथापि, बिना जमाबंदी को अपने नाम कराए तथा जिला टाउन प्लानर, हिसार से भूमि बदलाव प्रयोग (सी.एल.यू.) प्राप्त किए, निगम ने ₹ 6.97 करोड़ के भण्डारण निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित (6 फरवरी 2014) करने के पश्चात् एक कार्य आदेश आबंटित (19 मई 2014) किया। ठेकेदार ने 1 जून 2014 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

निगम के प्रबंधन निदेशक ने अधिकारियों की मीटिंग (7 जून 2014) में निर्देश दिए कि जब तक जमाबंदी निगम के नाम नहीं हो जाती तथा आधिपत्य को सभी बाधाओं से मुक्त नहीं करा लिया जाता तब तक, निगम, निर्माण कार्य शुरू नहीं करेगा। जबकि कार्य प्रगति पर था, निगम को पता चला (7 अगस्त 2014) कि भूमि का प्रमुख भाग, जो इसने खरीदा था, पहले से ही भारत सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिगृहीत कर लिया था। निगम ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के साथ एक मीटिंग (14 अगस्त 2014) में बाई-पास परियोजना को बदलने का आग्रह किया लेकिन एन.एच.ए.आई. इससे सहमत नहीं हुआ तथा निगम को पहले से ही कर लिए गए निर्माण को गिराने के लिए कहा (12 सितंबर 2014)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि यह निर्देश दिया गया था (7 जून 2014) कि जब तक जमाबंदी निगम के नाम नहीं हो जाती, निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा, फिर भी जमाबंदी के बिना 20 अगस्त 2014 तक निर्माण कार्य चालू रहा। निगम ने मार्च 2015 तक ठेकेदार को ₹ 1.17 करोड़ के कार्य के निष्पादन के विरूद्ध ₹ 0.69 करोड़ का भुगतान कर दिया था।

इस प्रकार, यदि निगम ने, जब यह निर्णय लिया गया कि आवश्यक जमाबंदी के बिना निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा, तभी तुरंत निर्माण कार्य रोक दिया होता तो निगम द्वारा निर्माण पर किए गए व्यय को बचाया जा सकता था। जमाबंदी प्राप्त किए बिना भूमि पर निमार्ण तथा निर्देशों के बावजूद निर्माण कार्य चालू रखने के परिणामस्वरूप ₹ 0.69 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जो आगे ₹ 1.17 करोड़ तक बढ़ेगा जब ठेकेदार को संपूर्ण भुगतान किया जाएगा।

[51] 15 एकड़ 6 कनाल तथा 12 मरला।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर (सितंबर 2015) में बताया कि कई मामलों में, जहां निगम ने गोदाम बना दिए थे, जमीन की जमाबंदी की जानी बाकी थी तथा इसे कराए जाने की कोशिश की जा रही है। तथापि, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए, निगम ने निर्णय (जून 2015) लिया कि प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करे कि जिला उपायुक्त, जहां निर्माण किए जाने थे, के कार्यालय से एन.ओ.सी., यह स्पष्ट रूप से बताते हुए कि भूमि सभी बाधाओं से मुक्त है, प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू किया जाए। यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिगृहीत भूमि पर निर्माण गतिविधियों पर उठाई गई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ एक की टोकन मनी के विरूद्ध अतिरिक्त एक एकड़ भूमि के आबंटन को अनुमोदित (मई 2015) किया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि यदि निगम ने 7 जून 2014 के अपने निर्णय को लागू किया होता तो ₹ 0.69 करोड़ के व्यय को बचाया जा सकता था।

(महुआ पाल)

चण्डीगढ़ **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

दिनांक:

परिशिष्ट – 1

सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 1.11 में संदर्भित)

(कॉलम 4 एवं 6 से 8 तक आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष, जहां तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	प्रदत्त पूंजी	अंतिकरण हेतु लंबित लेखाओं की अवधि	वर्ष, जिनके लिए लेखे बकाया में है, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य (परिदान)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क	**कार्यरत सरकारी कम्पनियां**							
1.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2013-14	1.56	2014-15	-	-	7.39	-
2.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2013-14	5.00	2014-15	-	-	13.89	-
3.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2009-10	42.62	2010-11	5.49	-	-	4.10
				2011-12	-	-	-	4.00
				2012-13	-	-	-	4.35
				2013-14				6.50
				2014-15	-	-	-	6.75
4.	हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2010-11	20.47	2011-12	1.00	-	-	1.06
				2012-13	1.00	-	-	1.25
				2013-14	1.25	-	-	3.55
				2014-15	1.25	-	-	3.50
5.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2009-10	16.61	2010-11	-	-	-	1.50
				2011-12	-	-	-	3.35
				2012-13	-	-	-	3.91
				2013-14	-	-	5.00	-
				2014-15	-	-	-	2.10
6.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2013-14	48.83	2014-15	0.02	-	-	-
7.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2013-14	25.00	2014-15	-	-	68.00	-
8.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2011-12	23.66	2012-13	-	-	23.92	-
				2013-14	1.00		20.29	-
				2014-15	-	-	21.50	-
9.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2013-14	1630.28	2014-15	10.00	-	-	3136.59
10.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2013-14	1439.13	2014-15	10.00	37.48	-	2098.04
11.	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2013-14	9.88	2014-15	0.01	-	-	-
	कुल क (कार्यरत सरकारी कम्पनियां)				**31.02**	**37.48**	**159.99**	**5280.55**
ख	**कार्यरत सांविधिक निगम**							
	कुल ख (कार्यरत सांविधिक निगम)	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (क + ख)				**31.02**	**37.48**	**159.99**	**5280.55**

परिशिष्ट-2

अन्ततम अंतिमकृत वित्तीय विवरणियों/लेखों के अनुसार सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की संक्षेपित वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(अनुच्छेद 1.16 में संदर्भित)

(कॉलम 5 से 12 तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	प्रदत्त पूंजी	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	टर्नओवर	निवल लाभ(+)/ हानि(-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता	मैनपावर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
क.	**कार्यरत सरकारी कम्पनियां**												
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	4.14	13.22	(-) 40.29	2813.55	(-) 45.12	अन्तिमकरण अधीन	(-) 22.93	(+) 163.19	-	114
2.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	1.56	-	(+) 7.01	79.81	(+) 1.11	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 8.61	(+) 1.13	13.12	109
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	5.00	-	(+) 10.90	115.63	(+) 0.59	(-) 0.36	(+) 28.25	(+) 2.91	10.30	258
4.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	0.20	-	(+) 38.10	85.42	(+) 6.29	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 38.30	(+) 6.30	16.45	80
		2013-14	2015-16	0.20	-	(+) 43.23	72.85	(+) 5.81	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 43.43	(+) 5.82	13.40	73
क्षेत्रवार योग				**10.90**	**13.22**	**(+)20.85**	**3081.84**	**(-)37.61**	**(-) 0.36**	**(+)57.36**	**(+)173.05**	**301.69**	**554**
वित्त													
5.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2013-14	42.62	14.30	(+) 1.63	1.33	(+) 0.88	(-)3.70	(+)58.55	(+) 1.52	2.60	102
6.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2010-11	2015-16	20.47	60.26	(-) 9.26	0.99	(-) 1.88	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 80.73	(+) 1.41	1.75	32
7.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2014-15	16.61	-	(+) 0.77	3.53	(+) 0.66	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 18.25	(+) 0.66	3.62	41
क्षेत्रवार योग				**79.70**	**74.56**	**(-) 6.86**	**5.85**	**(-) 0.34**	**(-) 3.70**	**(+) 157.53**	**(+) 3.59**	**2.28**	**175**

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	प्रदत्त पूंजी	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	टर्नओवर	निवल लाभ(+)/ हानि(-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता	मैनपावर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
मूलभूत संरचना													
8.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	48.83	1934.01	(+) 1119.64	5073.29	(+) 748.59	अन्तिमकरण अधीन	(+) 3154.78	(+) 1046.76	33.18	580
9.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	25.00	183.85	(+) 0.35	45.43	(+) 0.08	अन्तिमकरण अधीन	(+) 209.20	(+) 21.47	10.26	190
10.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2015-16	122.04	-	(-) 25.28	126.16	0.00	(-) 8.51	(+) 96.76	(+) 97.44	100.70	71
		2013-14	2015-16	122.04	-	(-) 29.76	157.13	(-) 4.48	अन्तिमकरण अधीन	(+) 92.28	(+) 134.74	146.01	
क्षेत्रवार योग				**195.87**	**2117.86**	**(+)1090.23**	**5275.85**	**(+)744.19**	**-**	**(+)3456.26**	**(+)1202.97**	**34.81**	**841**
विद्युत													
11.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	2880.24	3802.50	(-) 438.45	5931.88	(-) 25.50	-	(+) 6718.18	(+) 896.22	13.34	3403
		2014-15	2015-16	2890.24	3310.28	(-) 333.68	6377.45	(+) 108.21	अन्तिमकरण अधीन	(+) 6340.73	(+) 758.05	11.96	
12.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	2111.84	5505.79	(+) 16.08	1056.52	(-) 175.14	(-) 959.47	(+)8093.57	(+) 273.17	3.38	4269
		2014-15	2015-16	2148.78	5818.45	(+) 189.26	1377.61	(-) 8.42	अन्तिमकरण अधीन	(+) 8495.48	(+) 468.04	5.51	
13.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	1630.28	16236.54	(-)13893.80	10111.94	(-) 1465.01	(-) 79.60	(+) 4494.54	(+) 143.87	3.20	9371
14.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	1439.13	10235.50	(-)10726.59	9849.88	(-) 2088.65	(-) 7.23	(+) 2005.92	(-) 1096.96	-	10056
15.	यमुना कोयला कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	2014-15	2015-16	1.24	-	(-) 0.05	-	(+) 0.01	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 1.19	(+) 0.01	0.84	-
क्षेत्रवार योग				**8109.67**	**35600.77**	**(-)24764.86**	**27716.88**	**(-)3453.86**	**(-) 86.83**	**(+)21337.86**	**(+)273.01**	**1.28**	**27099**
सेवाएं													
16.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2011-12	2015-16	23.66	-	(+) 31.91	250.03	(+) 2.01	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 57.34	(+) 2.01	3.51	1489
17.	हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	2012-13	2015-16	6.60	-	(+) 13.88	142.99	(+) 13.88	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+)21.35	(+) 17.26	80.84	118

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	प्रदत्त पूंजी	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	टर्नओवर	निवल लाभ(+)/ हानि(-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता	मैनपावर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18.	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	9.87	-	(+) 48.96	25.45	(+) 6.71	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 63.72	(+) 8.57	13.45	204
		2013-14	2014-15	9.88	-	(+)57.69	32.20	(+)8.73	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 72.45	(+) 10.49	14.48	-
19.	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.50	-	(+) 2.98	0.37	(+) 0.20	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 3.48	(+) 0.20	5.75	-
20.	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	2010-11	2011-12	14.72	-	(+) 8.99	1.09	(+) 4.85	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(+) 36.94	(+) 4.85	13.13	2
21.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.82	-	(-) 0.15	-	(-) 0.15	शून्य प्रमाणपत्र	(+) 0.67	(-) 0.15	-	-
क्षेत्रवार योग				**56.18**	**-**	**(+) 115.30**	**426.68**	**(+)29.52**	**-**	**(+) 192.23**	**(+) 34.66**	**18.03**	**1813**
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियां)				**8452.32**	**37806.41**	**(-) 23545.34**	**36507.10**	**(-) 2718.10**	**(-) 90.89**	**(+) 25201.24**	**(+) 1687.28**	**6.70**	**30482**
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2013-14	2015-16	5.84	32.77	-	97.11	(+) 34.23	(-) 2.28	(+) 324.45	(+) 35.37	10.90	667
क्षेत्रवार योग				**5.84**	**32.77**	**-**	**97.11**	**(+)34.23**	**(-) 2.28**	**(+)324.45**	**(+)35.37**	**10.90**	**667**
वित्त													
2	हरियाणा वित्तीय निगम	2013-14	2014-15	207.66	62.01	(-) 160.60	7.26	(+) 2.97	-	(+) 125.65	(+) 2.98	2.37	99
		2014-15	2015-16	207.66	-	(-) 108.77	4.02	(+) 51.83	अन्तिमकरण अधीन	(+) 224.24	(+) 52.13	23.25	
क्षेत्रवार योग				**207.66**	**-**	**(-) 108.77**	**4.02**	**(+) 51.83**	**-**	**(+) 224.24**	**(+) 52.13**	**23.25**	**99**
योग ख. (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				**213.50**	**32.77**	**(-) 108.77**	**101.13**	**(+) 86.06**	**(-) 2.28**	**(+) 548.69**	**(+) 87.50**	**15.95**	**766**
कुल योग (क+ख)				**8665.82**	**37839.18**	**(-) 23654.11**	**36608.23**	**(-) 2632.04**	**(-) 93.17**	**(+) 25749.93**	**(+) 1774.78**	**6.89**	**31248**

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	प्रदत्त पूंजी	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	टर्नओवर	निवल लाभ(+)/ हानि(-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता	नैनपावर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	10.89	-	(-) 352.89	-	(-) 2.98	शून्य प्रमाणपत्र	(-) 342.00	(-) 2.98	-	18
क्षेत्रवार योग				**10.89**	**-**	**(-) 352.89**	**-**	**(-) 2.98**	**-**	**(-) 342.00**	**(-) 2.98**	**-**	**18**
वित्त													
2.	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड #	31 अगस्त 2001 को समाप्त	2003-04	-	-	-	-	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग					-	-	-	-	-	-	-	-	-
विद्युत													
3.	हरियाणा कोयला कम्पनी लिमिटेड	24.01.2013 से 31.03.2014	2014-15	0.01	-	-	-	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**0.01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूलभूत संरचना													
4.	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड #	1997-98	1998-99	6.85	3.69	(-) 27.18	-	(-) 7.97	**-**	(+) 9.40	(-) 3.57	-	-
क्षेत्रवार योग				**6.85**	**3.69**	**(-) 27.18**	**-**	**(-) 7.97**	**-**	**(+) 9.40**	**(-) 3.57**	-	-
विविध													
5.	हरियाणा खनिज लिमिटेड	2011-12	2013-14	0.24	5.03	(-) 9.20	-	(-) 1.24	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	(-) 3.93	(-) 1.14	-	-
		2012-13	2015-16	0.24	5.03	(-) 9.68	-	(-) 0.49	शून्य टिप्पणियां	(-) 4.41	(-) 0.39	-	
क्षेत्रवार योग				**0.24**	**5.03**	**(-) 9.68**	**-**	**(-) 0.49**	**-**	**(-) 4.41**	**(-) 0.39**	**-**	**-**
योग ग. (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियां)				**17.99**	**8.72**	**(-) 389.75**	**-**	**(-) 11.44**	-	**(-) 337.01**	**(-) 6.94**	**-**	**18**
कुल योग (क+ख+ग)				**8683.81**	**37847.90**	**(-) 24043.86**	**36608.23**	**(-) 2643.48**	**(-) 93.17**	**(+) 25412.92**	**(+) 1767.84**	**6.96**	**31266**

@ नियोजित पूंजी, शेयर होल्डर फंड तथा दीर्घावधि उधारों को निरूपित करती है।

\# समापनाधीन कंपनियां।

परिशिष्ट-3

मार्च 2015 को समाप्त गत पांच वर्षों के लिए डी.सी.आर.टी.पी.पी. तथा आर.जी.टी.पी.पी. के कार्यकारी परिणाम दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.1.6 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
डी.सी.आर.टी.पी.पी.						
1	**आय**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	उत्पादित राजस्व	1152.38	957.65	296.34	1163.29	1274.84
	अन्य आय	-	113.82	53.32	212.98	110.67
	कुल आय	**1152.38**	**1071.47**	**349.66**	**1376.27**	**1385.51**
2	**उत्पादन**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	एम.यू. में विद्युत उत्पादन	3881.19	3239.00	963.31	3472.36	3515.53
	घटा: सहायक विद्युत उपभोग	377.68	300.00	100.78	314.35	309.12
	एम.यू. में निवल विद्युत उत्पादन	**3503.51**	**2939.00**	**862.53**	**3158.01**	**3206.41**
3	**व्यय**	**-**	**-**	**-**	**-**	
(क)	परिवर्तनीय लागत	808.77	727.78	269.46	975.73	992.72
(ख)	नियत लागत	375.83	416.80	437.69	422.27	398.78
(ग)	**कुल लागत (क+ख)**	**1184.60**	**1144.58**	**707.15**	**1398.00**	**1391.50**
4	**लाभ/हानि [1-3(ग)]**	**(-)32.22**	**(-)73.11**	**(-)357.49**	**(-)21.73**	**(-)5.99**
	परिवर्तनीय लागत प्रति इकाई (₹ में)	2.31	2.48	3.12	3.09	3.10
	नियत लागत प्रति इकाई (₹ में)	1.07	1.41	5.08	1.34	1.24
	एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत लागत (₹ में)	1.34	1.24	1.0193	1.1504	1.14
5	**कुल लागत प्रति इकाई (₹ में)**	**3.38**	**3.89**	**8.20**	**4.43**	**4.34**
6	**राजस्व प्रति इकाई (₹ में)**	**3.29**	**3.64**	**4.06**	**4.36**	**4.32**
7	**लाभ/हानि प्रति इकाई (₹ में)**	**(-)0.09**	**(-)0.25**	**(-)4.14**	**(-)0.07**	**(-)0.02**
आर.जी.टी.पी.पी.						
1	**आय**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	उत्पादित राजस्व	295.91	1553.46	1586.77	1745.33	2346.55
	ईंधन अधिभार समायोजन	87.04	-	-	-	-
	अन्य आय	-	272.14	402.93	322.50	291.73
	कुल आय	**382.95**	**1825.60**	**1989.70**	**2067.83**	**2638.28**
2	**उत्पादन**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	एम.यू. में विद्युत उत्पादन	2468.94	5558.00	4992.92	4381.96	5720.72
	घटा: सहायक विद्युत उपभोग	246.33	349.00	296.31	255.64	334.80
	एम.यू. में निवल विद्युत उत्पादन	**2222.61**	**5209.00**	**4696.61**	**4126.32**	**5385.92**
3	**व्यय**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(क)	परिवर्तनीय लागत	361.33	1541.96	1500.11	1336.44	1939.05
(ख)	नियत लागत	106.42	714.66	768.28	708.26	697.14
(ग)	**कुल लागत (क+ख)**	**467.75**	**2256.61**	**2268.39**	**2044.70**	**2636.19**
4	**लाभ/हानि [1-3(ग)]**	**(-)84.80**	**(-)431.01**	**(-)278.69**	**23.13**	**2.09**
	परिवर्तनीय लागत प्रति इकाई (₹ में)	1.63	2.96	3.19	3.24	3.60
	नियत लागत प्रति इकाई (₹ में)	0.47	1.37	1.64	1.72	1.29
	एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत लागत (₹ में)	1.47	0.96	0.9757	1.1282	1.01
5	**कुल लागत प्रति इकाई (₹ में)**	**2.10**	**4.33**	**4.83**	**4.96**	**4.89**
6	**राजस्व प्रति इकाई (₹ में)**	**1.72**	**3.50**	**4.24**	**5.02**	**4.90**
7	**लाभ/हानि प्रति इकाई (₹ में)**	**(-)0.38**	**(-)0.83**	**(-)0.59**	**0.06**	**0.01**

परिशिष्ट-4

मार्च 2015 को समाप्त गत पांच वर्षों के लिए डी.सी.आर.टी.पी.पी. तथा आर.जी.टी.पी.पी. के परिचालन निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.17. में संदर्भित)

क्र.सं.	विवरण		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	स्थापित क्षमता (एम.डब्ल्यू. में)						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.	इकाई I	300	300	300	300	300
		इकाई II	300	300	300	300	300
	आर.जी.टी.पी.पी.	इकाई I	600	600	600	600	600
		इकाई II	600	600	600	600	600
2	उत्पादित विद्युत (एम.यूज में)						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.	इकाई I	2235.96	2424.09	246.84	2182.62	1979.84
		इकाई II	1645.23	814.62	716.47	1289.75	1535.70
	आर.जी.टी.पी.पी.	इकाई I	1211.45	2870.20	1812.40	2779.00	3522.23
		इकाई II	25.93	2688.06	3180.52	1602.96	2198.49
3	सह उपभोग (एम.यूज में)						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.	इकाई I	205.16	212.59	32.25	189.85	171.43
		इकाई II	172.34	89.97	68.52	124.50	137.69
	आर.जी.टी.पी.पी.	इकाई I	104.01	176.93	106.10	157.53	211.74
		इकाई II	4.76	177.18	190.21	98.11	123.06
4	उत्पादित निवल विद्युत (एम.यूज में)						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.	इकाई I	2030.79	2211.50	214.58	1992.77	1808.41
		इकाई II	1472.88	724.65	647.95	1165.25	1398.01
	आर.जी.टी.पी.पी.	इकाई I	1107.43	2693.26	1706.30	2621.46	3310.49
		इकाई II	21.17	2510.89	2990.31	1504.86	2075.43
5	बैकिंग डाऊन आवरज						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.	इकाई I	220.40	120.60	412.90	1089.13	893.37
		इकाई II	301.33	111.67	251.27	919.43	1057.90
	आर.जी.टी.पी.पी.	इकाई I	131.12	163.66	512.04	2221.00	2062.00
		इकाई II	-	43.12	304.52	1104.31	1778.39
6	बैकिंग डाऊन प्रोस्पैक्टिव जनरेशन (एम.यूज. में)						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.	इकाई I	66.12	36.18	123.87	326.74	268.02
		इकाई II	90.4	33.5	75.38	275.83	317.37
	आर.जी.टी.पी.पी.	इकाई I	78.67	98.2	307.23	1332.6	1237.20
		इकाई II	-	25.87	182.71	662.59	1067.03
7	नियत लागत प्रति इकाई (₹ में)						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.		1.07	1.41	5.08	1.34	1.24
	आर.जी.टी.पी.पी.		0.47	1.37	1.64	1.72	1.29
8	परिवर्तनीय लागत प्रति इकाई (₹ में)						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.		2.31	2.48	3.12	3.09	3.10
	आर.जी.टी.पी.पी.		1.63	2.96	3.19	3.24	3.60
9	कुल लागत प्रति इकाई (₹ में)						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.		3.38	3.89	8.20	4.43	4.34
	आर.जी.टी.पी.पी.		2.10	4.33	4.83	4.96	4.89
10	बिक्री मूल्य प्रति इकाई (₹ में)						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.		3.29	3.64	4.06	4.36	4.32
	आर.जी.टी.पी.पी.		1.72	3.50	4.24	5.02	4.90
11	लाभ/हानि प्रति इकाई (₹ में)						
	डी.सी.आर.टी.पी.पी.		(-)0.09	(-)0.25	(-)4.14	(-)0.07	(-)0.02
	आर.जी.टी.पी.पी.		(-)0.38	(-)0.83	(-)0.59	0.06	0.01

परिशिष्ट 5

चूककर्ता मिलरों को आबंटित धान की अधिक प्रमात्रा दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.2.6 में संदर्भित)

आपूर्तिकर्ता की संख्या	के.एम.एस.	जिला कार्यालय का नाम	मिलर का नाम	स्थापित क्षमता (एम.टी. में)	आबंटित किया जाने वाला धान (एम.टी. में)	आबंटित धान (एम.टी. में)	आबंटित अधिक प्रमात्रा	देय चावल (एम.टी. में)	सुपुर्द चावल (एम.टी. में)	कम सुपुर्द चावल (एम.टी. में)	ब्याज सहित वसूलनीय कुल राशि (आंकड़े ₹ करोड़ में)
एच.एस.डब्ल्यू.सी.	2012-13	कुरूक्षेत्र	मैसर्ज जयंती राईस मिल	3	4000	4120	120	2760	1564	1196	4.54
एच.ए.आई.सी.	2012-13	जींद	दिलीप राईस मिल, नरवाना	2	4000	4756	756	3187	2129	1058	4.01
-	-	-	मैसर्ज संदीप राईस मिल्स, बकटुआ	2	4000	4328	328	2900	2077	823	3.06
-	-	-	मैसर्ज बोध प्रकाश रोहित कुमार, राईस मिल्स, चोड़मस्तपुर	2	4000	4448	448	2980	2671	309	1.14
-	-	-	मैसर्ज श्री कृष्णा एग्रो फूडस, चोड़मस्तपुर	4	6000	7180	1180	4811	2673	2138	7.95
-	-	करनाल	मैसर्ज अंबिका राईस मिल	2	4000	4070	70	2727	1779	948	3.53
-	-	जींद	मैसर्ज दया चंद राईस मिल, धमतान	6	6000	9449	3449	6331	5778	553	2.07
-	-	फतेहाबाद	मैसर्ज भगवती राईस मिल्स, रतिया	2	4000	4613	613	3090	2507	583	2.17
कुल				**-**	**36000**	**42964**	**6964**	**-**	**-**	**-**	**28.47**

परिशिष्ट-6

धान के गबन के कारण उठाई गई हानि दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.2.7.1 में संदर्भित)

आपूर्तिकर्ता की संख्या	के.एम.एस.	जिला कार्यालय का नाम	मिलर का नाम	आबंटित धान (एम.टी. में)	देय चावल (एम.टी. में)	सुपुर्द चावल (एम.टी. में)	कम सुपुर्द चावल (एम.टी. में)	चावल की लागत (₹ करोड़ में)	दंड राशि (₹ करोड़ में)	कुल बकाया (₹ करोड़ में)	ब्याज की दर (प्रतिशत में)	अवधि (महीनों में)	ब्याज की राशि (₹ करोड़ में)	वसूलनीय कुल राशि (₹करोड़ में)
एच.एस.डब्ल्यू.सी.	2012-13	कुरूक्षेत्र	मैसर्ज जयंती राईस मिल	4120	2760	1564	1196	2.66	1.33	3.99	11.83	20	0.79	4.78
	2013-14	यमुनानगर	गणपति एन्टरप्राईजिज, यमुनानगर	5153	3453	2615	838	1.97	0.19	2.16	11.83	12	0.26	2.42
एच.ए.आई.सी.	2012-13	जींद	दिलीप राईस मिल, नरवाना	4756	3187	2129	1058	2.35	0.23	2.58	11.83	20	0.51	3.09
-	2013-14	अंबाला	मैसर्ज सैनी एग्रो राईस मिल्स, नारायणगढ़	2418	1620	1106	514	1.21	0.12	1.33	11.83	12	0.16	1.49
-	-	-	मैसर्ज संदीप राईस मिल्स, बकटुआ	4328	2900	2077	823	1.93	0.19	2.12	11.83	12	0.25	2.37
-	-	-	मैसर्ज बोध प्रकाश रोहित कुमार, राईस मिल्स, चोड़मस्तपुर	4448	2980	2671	309	0.72	0.07	0.79	11.83	12	0.09	0.88
-	-	-	मैसर्ज जय मां शारदा मिल्स, नारायणगढ़	1023	685	162	523	1.23	0.12	1.35	11.83	12	0.16	1.51
-	-	-	मैसर्ज श्री कृष्णा एग्रो फूडस, चोड़मस्तपुर	7180	4811	2673	2138	5.01	0.50	5.51	11.83	12	0.65	6.16
-	-	-	मैसर्ज मितल राईस मिल्स, अंबाला	1925	1290	485	805	1.89	0.19	2.08	11.83	12	0.25	2.33
-	-	करनाल	मैसर्ज अंबिका राईस मिल	4070	2727	1779	948	2.22	0.22	2.44	11.83	12	0.29	2.73
-	-	-	मैसर्ज वैष्णो फूडस	2708	1814	377	1437	3.37	0.34	3.71	11.83	12	0.44	4.15
-	-	जींद	मैसर्ज दया चंद राईस मिल, धमतान	9449	6331	5778	553	1.30	0.13	1.43	11.83	12	0.17	1.60
-	-	-	मैसर्ज मितासो राईस मिल्स, नरवाना	1563	1047	850	197	0.46	0.05	0.51	11.83	12	0.06	0.57
-	-	फतेहाबाद	मैसर्ज भगवती राईस मिल्स, रतिया	4613	3090	2507	583	1.37	0.13	1.50	11.83	12	0.18	1.68
-	-	-	मैसर्ज महालक्ष्मी राईस मिल्स, रतिया	3807	2551	2478	73	0.17	0.02	0.19	11.83	12	0.02	0.21
एच.ए.आई.सी.	2014-15	अंबाला	गगन राईस मिल, अंबाला	5862	3927	2884	1043	2.56	1.28	3.84	-	-	0.00	3.84
-	-	-	मोहिन्द्र राईस मिल	6931	4644	3076	1568	3.85	1.92	5.77	-	-	0.00	5.77
-	-	-	महावीर एन्टरप्राईजिज	6322	4235	3292	943	2.32	1.16	3.48	-	-	0.00	3.48
-	-	कुरूक्षेत्र	श्याम ओवरसीज	3795	2543	1724	819	2.01	1.00	3.01	-	-	0.00	3.01
-	**-**	**-**	**कुल**	**84471**	**56595**	**40227**	**16368**	**38.6**	**9.19**	**47.79**	**-**	**-**	**4.27**	**52.06**

टिप्पणी: के.एम.एस. 2012-13 के लिए चावल की लागत ग्रेड-ए के लिए ₹ 2,223.71 प्रति क्विंटल थी, के.एम.एस. 2013-14 के लिए ₹ 2,345.15 प्रति क्विंटल थी तथा के.एम.एस. 2014-15 के लिए ₹ 2,456.98 प्रति क्विंटल थी।

परिशिष्ट-7

2010-11 से 2014-15 के दौरान चयनित कांप्लैक्सों के संबंध में मुख्य पैरामीटरों अर्थात लाभप्रदता, अधिभोग तथा अन्य लागत घटकों पर प्रवृत्तियां दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 3.14.3 में संदर्भित)

क्र.सं.	कांप्लैक्स का नाम	लाभ/हानि (₹ करोड़ में)		ईंधन लागत	खाद्य लागत	टर्नओवर की प्रतिशतता के रूप में वेतन लागत		टर्नओवर की प्रतिशतता के रूप में बिजली लागत		अधिभोग (प्रतिशत में)	
		रेंज	प्रवृत्ति	मानकों से अधिक वर्षों की संख्या	मानकों से अधिक वर्षों की संख्या	रेंज	प्रवृत्ति	रेंज	प्रवृत्ति	रेंज	प्रवृत्ति
1	पिंजौर	-1.00 से -2.45	हानि में वृद्धि	3 (2011-12 से 2013-14)	4 (2011-12 से 2014-15)	42.45 से 61.08	वृद्धि	22.10 से 49.00	वृद्धि	39 से 49	कमी
2	होटल राजहंस	-1.33 से 0.49	मिक्स	1 (2011-12)	2 (2013-14 से 2014-15)	43.12 से 59.16	मिक्स	9.80 से 15.21	वृद्धि	22 से 36	कमी
3	हरमिटेज हट्स	1.93 से 2.62	लाभ में कमी	4 (2010-11, 2012-13 से 2014-15)	4 2010-11 से 2012-13 एवं 2014-15)	25.48 से 38.39	वृद्धि	2.95 से 7.14	वृद्धि	64 से 80	कमी
4	बड़खल	-0.30 करोड़ से 0.83 लाख	हानि में वृद्धि	5 (2010-11 से 2014-15)	5 (2010-11 से 2014-15)	52.45 से 62.95	वृद्धि	8.00 से 12.49	वृद्धि	69 से 82	वृद्धि
5	मेगपी	0.52 से 0.95	लाभ में कमी	4 (2011-12 से 2014-15)	शून्य	35.65 से 42.32	वृद्धि	6.43 से 9.28	वृद्धि	78 से 84	मिक्स
6	दमदमा	-0.16 करोड़ से 2.26 लाख	हानि में वृद्धि	3 (2012-13 से 2014-15)	शून्य	43.51 से 65.51	मिक्स	8.09 से 11.01	मिक्स	50 से 54	वृद्धि
7	सोहना	-0.30 करोड़ से -1.34 लाख	हानि में वृद्धि	5 (2010-11 से 2014-15)	2 (2010-11 एवं 2014-15)	45.83 से 64.65	मिक्स	8.90 से 15.77	वृद्धि	59 से 68	कमी
8	रोहतक तिलयार	-1.89 से 0.21	2014-15 में लाभ तथा हानि में कमी	शून्य	2 (2010-11 एवं 2013-14)	20.93 से 33.80	मिक्स	4.88 से 13.50	मिक्स	50 से 74	कमी
9	अंबाला	-0.39 से 0.27	हानि में वृद्धि	4 (2010-11 से 2013-14)	1 (2010-11)	39.99 से 60.52	वृद्धि	8.06 से 15.88	वृद्धि	40 से 77	कमी
10	यमुनानगर	-0.23 करोड़ से -7.90 लाख	हानि में कमी	3 (2012-13 से 2014-15)	शून्य	43.65 से 100.72	कमी	6.36 से 11.06	कमी	58 से 69	वृद्धि
11	पानीपत स्काईलार्क	-0.39 से -0.58	हानि में वृद्धि	3 (2012-13 से 2014-15)	शून्य	57.04 से 61.98	कमी	9.65 से 14.67	मिक्स	56 से 74	वृद्धि

संकेताक्षरों की शब्दावली	
ए.सी.क्यू.	वार्षिक अनुबंध मात्रा
ए.डी.बी.	एयर ड्राईड बेसिस
ए.एच.पी.	ऐश हैंडलिंग प्लांट
ए.पी.	कृषि पंप
ए.आर.बी.	एज रिसीव्ड बेसिस
बी.सी.सी.एल.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
बी.सी.पी.ए.	बिलिंग-कम-भुगतान एजेंट
बी.जी.	बैंक गारंटी
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बी.ओ.डी.	निदेशक मंडल
बी.ओ.एम.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
बी.एस.	बल्क सप्लाई
बी.टी.जी.	बायलर टर्बाईन और जैनरेटर
सी.ए.	चार्टर्ड लेखाकारों
सी.ए.ओ.	मुख्य लेखा अधिकारी
सी.सी.एल.	सैंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड
सी.सी.एल.	कैश क्रेडिट लिमिट
सी.डी.	अनुबंध मांग
सी.ई.ए.	केंद्रीय बिजली प्राधिकरण
सी.आई.एल.	कोल इंडिया लिमिटेड
सी.एल.पी.	चाइना लाइट पावर
सी.एल.यू.	भूमि बदलाव प्रयोग
सी.एम.आई.एम.एस.	कंप्यूटरीकृत रख-रखाव तथा माल प्रबंधन प्रणाली
सी.एम.आर.	कस्टम मिल्ड राइस
सी.ओ.डी.	वाणिज्यिक परिचालन की तारीख
सी.ओ.एन.एफ.ई.डी.	हरियाणा राज्य उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार संघ लिमिटेड (कॉनफेड)
सी.ओ.पी.यू.	लोक उपक्रम समिति (कोपु)
डी.सी.आर.टी.पी.पी.	दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट
डी.जी.एम.	उप महाप्रबंधक
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.आई.एच.सी.ओ.एम.एस.	वितरण कंपनियां (डिस्कोम्ज)
डी.एम.सी.	जिला मिलिंग कमेटी
डी.पी.सी.	डायनिमिक मूल्य प्रभार
डी.एस.	विकास अधिभार
डी.टीस	वितरण ट्रांसफार्मर
ई.सी.एल.	ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड
ई.एम.पी.	संपदा प्रबंधन प्रक्रिया
ई.पी.सी.	अभियांत्रिकी, खरीद तथा निर्माण

संकेताक्षरों की शब्दावली	
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
एफ.आई.आर.	प्राथमिक सूचना रिपोर्ट
एफ.एस.ए.	ईंधन आपूर्ति अनुबंध
एफ.एस.सी.	किसान सेवा केन्द्र
एफ.एस.डी.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
एफ.टी.ओ.	फाइनल टेकिंग ओवर
जी.सी.वी.	ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू
जी.एल.एफ.	राजकीय पशुधन फार्म
जी.ओ.एच.	हरियाणा सरकार
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.ए.एफ.ई.डी.	हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा मार्केटिंग संघ लिमिटेड (हैफेड)
एच.ए.आई.सी.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
एच.ई.आर.सी.	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग
एच.आई.पी.	हाई इंटरमीडिएट प्रेशर
एच.पी.पी.सी.	हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र
एच.पी.पी.सी.	उच्च शक्ति क्रय समिति
एच.एस.डब्ल्यू.सी.	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम
एच.टी.	हाई टेंशन
जे.पी..एल.	झज्जर पावर लिमिटेड
जे.टी.एज.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक
के.एल.	किलो लीटर
के.एम.एस.	खरीफ मार्केटिंग सीजन
के.वी.ए.	किलो वोल्ट एम्पियर
के.डब्ल्यू.	किलो वाट
के.डब्ल्यू.एच.	किलो वाट आवर
एल.ए.	लोजिस्टिक एजेंट
एल.ए.	लोजिस्टिकस एजेंसी
एल.डी.	लिक्विडेटिड डैमेजिस
एम.सी.एल.	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड
एम.एम.	मिली मीटर
एम.डी.	प्रबंध निदेशक
एम.एल.	मिली लीटर
एम.ओ.ई. एंड एफ.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
एम.ओ.यू.	मैमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एम.टी.	मीट्रिक टन
एम.टी.पी.ए.	मिलियन टन प्रति वर्ष
एम.यूज	मिलियन यूनिटस

संकेताक्षरों की शब्दावली	
एम.वी.वी.एन.एल.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एम.डब्ल्यू.	मैगा वाट
एन.सी.एल.	नार्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड
एन.डी.एस.	गैर घरेलु आपूर्ति
एन.एच.ए.आई.	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन.आई.पी.	न्यू इंडिया पावर
एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रण नोटिस
एन.आई.टी.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
ओ.ई.एम.	मूल उपकरण उत्पादक
पी.एज	खरीद एजेंसियां
पी.एल.एफ.	प्लांट लोड फैक्टर
पी.ओ.	क्रय आदेश
पी.पी.ए.	विद्युत क्रय अनुबंध
पी.एस.यूज	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पी.टी.ओ.	अस्थाई अधिकरण
पी.टी.पी.एस.	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन
पी.वी.	भौतिक सत्यापन
आर.डी.एस.	ग्रामीण घरेलू आपूर्ति
आर.एफ.पी.	निवेदन-प्रस्ताव
आर.जी.टी.पी.पी.	राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट
आर.आई.एल.	रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.इन्फ्रा.)
आर.ओ.एम.	रन-आफ माइन्ज
एस.बी.आई.	भारतीय स्टेट बैंक
एस.ई.सी.	शंघाई इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन
एस.एल.	स्वीकृत भार
एस.एल.सी.	स्टैडिंग लिंकेज समिति
एस.पी.सी.	भंडार खरीद समिति
एस.टी.एल.	लघु अवधि ऋण
एस.एल.एच.पी.पी.सी.	राज्य स्तरीय उच्च शक्ति क्रय समिति
टी.एज	तकनीकी सहायक
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
यू.एल.एच.पी.पी.सी.	यूटिलिटी स्तर उच्च शक्ति क्रय समिति
डब्ल्यू.ओ.	कार्य आदेश
डब्ल्यू.टी.डी.	पूर्ण कालिक निदेशक